सीएसआईआर - केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधानसंस्थान,
CSIR- Central Electronics Engineering Research Institute,
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
(Council of Scientific and Industrial Research)
पिलानी-333031, राजस्थान, भारत
Pilani-333031, Rajasthan, India

निविदा संख्या : 30/MLP-002607/AEG/10-Pur/2026/T-21 **दिनांक : 20.09.2026**

वैश्विक निविदा दस्तावेज़
Reactor Chamber and Hollow Cathode Plasma Source compatible to ALD System

बोलियों के लिए आमंत्रण/ निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

01. निदेशक,**सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी, राजस्थान,** विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता/ सिस्टम इंटीग्रेटर्स या उनके अधिकृतविततरकों और विदेशी प्रिंसिपल्स के इंडियन एजेंट से, भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी अलग-अलग नीतिगत पहलों और अधिसूचनाओं के तहत, नीचे दी गई चीज़ों की खरीद के लिए सीलबंद बोलियां मंगाते हैं:

क्रम सं.	निविदा सं.	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	एकल/ दोहरी बोली	बिड सिक्युरिटी (ईएमडी) (भारतीय रुपये में)
1. 2.	30/MLP-002607/AEG/ 10-Pur/2026/T-21	Reactor Chamber Hollow Cathode Plasma Source compatible to ALD System ***(उक्त उपकरणों का विस्तृत विवरण आवश्यकतों की अनुसूची में उल्लिखित हैं)***	01 संख्या 01 संख्या	**द्वि-बोली**	**ईएमडी** जमा करने के बजाय बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन जमा करना होगा
कोटेशन जमा करने की आखिरी तारीख: 21.10.2026 at 02.30 P.M.					
खुलने की तारीख : 22.10.2026 at 03.30 P.M.					

02. इच्छुक बोलीदातासंस्थान की वेबसाइट **(www.ceeri.res.in)**या केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल **(www.etenders.gov.in)**या भंडार एवं क्रय अधिकारी , सीएसआईआर-सीरी, पिलानी-333031, राजस्थान, भारत के कार्यालय, ईमेल: spo.ceeri@csir.res.in, संपर्क: +91 1596 252428, 252321 से और जानकारी ले सकते हैं।

03. कोई भी इच्छुक बिडर ऊपर दिए गए कार्यालय में एक लिखित आवेदन जमा करके और ₹ 500/ - की अप्रतिदेय और अहस्तांतरणीय फीस देकर बिडिंग दस्तावेज का हर पूरा सेट खरीद सकता है। यह फीस निदेशक, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पिलानी में देय होगी । यह फीस सभी कार्य दिवस में कार्यालय के घंटों के दौरान, निर्णायक तिथियों/केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल पर बताई गई तारीख तक, खुद आकर या पोस्ट से देनी होगी। **इसके अलावा,**बिडिंग दस्तावेज**सीधे** हमारी वेबसाइट **www.ceeri.res.in से** फ्री में डाउनलोड किए जा सकते हैं। बिड्स इस कार्यालय में *(सीपीपी पोर्टल पर बताई गई*

*निर्णायक तिथियों के अनुसार) आईएसटी बजे या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए और **सीपीपी** पोर्टल पर बताई गई **निर्णायक तिथियों** के अनुसार* खोली जाएंगी ।

04. एक प्री-बिड कॉन्फ्रेंस ..... ***(तारीख)*** को **.....** बजे (आईएसटी) प्रशासन सम्मेलन कक्ष, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी में होगी। सभी होने वाले बिडर्स से अनुरोध है कि अगर कोई सवाल हो तो कृपया ऊपर दिए गए पते पर भेजें ताकि भंडार एवं क्रय अधिकारी तक **.....** तक पहुँच जाए।

(लागू होने पर रखें) **(लागू नहीं)**

05. सभी बिड्स के साथ ऊपर बताई गई बिड सिक्योरिटी होनी चाहिए और उन्हें ऊपर बताई गई तारीख और समय पर ऊपर दिए गए कार्यालय में पहुंचाना होगा / सीपीपी पोर्टल पर दी गई क्रिटिकल तारीखें। बिड्स, बिडर्स के अधिकृत प्रतिनिधि की मौजूदगी में खोली जाएंगी, जो बताई गई तारीख और समय पर आना चाहेंगे। अगर बिड मिलने और खोलने की बताई गई तारीख को खरीदार के कार्यालय में छुट्टी होती है, तो बिड्स जमा करने और बिड्स खोलने की नियत तारीख अगले कार्य दिवस पर तय समय पर होगी। (सही जानकारी के लिए कृपया सीपीपी पोर्टल की क्रिटिकल तारीखें देखें)

06. भारत सरकार की खरीद नीतियों के अनुसार,

क. अगर खरीदने की कीमत 50.00 लाख रुपये तक है, तो खरीदने वाला स्थानीय आपूर्तिकर्ता* को खरीदने में प्राथमिकता देना चाहता है।

ख. आपूर्तिकर्ता की पात्रता भारतीय आपूर्तिकर्ताओं तक सीमित है / आपूर्तिकर्ताओं की पात्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

ग. खरीदने वाली कंपनी का इरादा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट/माल को खरीदने में प्राथमिकता देना है।

*"स्थानीय आपूर्तिकर्ता" से तात्पर्य ऐसे आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता से है, जिसके खरीद के लिए पेश किए जाने वाले उत्पाद या सेवा में न्यूनतम 50% स्थानीय सामग्री की शर्त पूरी होती है, जैसा कि डीआईपीपी आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II) दिनांक 28मई, 2018 में अथवा इस आदेश के अनुसरण में सक्षम मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित किया गया है।

'लोकल कंटेंट' का मतलब है भारत में वैल्यू एडेड की वह रकम, जो नोडल मंत्रालय द्वारा तय न किए जाने तक, खरीदी गई चीज़ों की कुल कीमत (नेट डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स को छोड़कर) में से आइटम में इंपोर्टेड कंटेंट की कीमत (सभी कस्टम ड्यूटी सहित) घटाकर, कुल कीमत के हिस्से के तौर पर, परसेंट में होगी।

एमएसई / स्टार्ट अप इंडिया / मेक इन इंडिया के लिए महत्वपूर्ण नोट – डीपीआईआईटी नीति बोलीदाताओं
• हालांकि सरकार की लोक प्रापण परचेज़ प्रेफरेंस नीति से जुड़े प्रावधान निविदा दस्तावेज में संबंधित क्लॉज़ के तहत शॉर्ट में बताए गए हैं, फिर भी कोई भी बिडर जो एमएसएमई / स्टार्ट अप इंडिया/ मेक इन इंडिया / डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की नीति या भारत सरकार की कोई दूसरी नीति/योजना, जो अभी लागू है, के तहत छूट/ बेनिफिट/ प्रेफरेंस चाहता है, उसे बिडिंग के समय ही अपनी बिडिंग स्टेटस और सरकार की संबंधित नीति के तहत मांगे गए बेनिफिट/ प्रेफरेंस की घोषणा करनी होगी और ऐसे बेनिफिट्स दावा करने के लिए सभी संबंधित दस्तावेज/ प्रमाणपत्र वगैरह अटैच करने होंगे। बिडर को उस नीति के प्रावधान को भी साफ-साफ बताना होगा जिसमें वह उस बेनिफिट/ प्रेफरेंस के बारे में बताए, जिसके लिए वह पात्रता की शर्तें पूरी करता है।
• अगर बिडर अपना स्टेटस बताने में फेल हो जाता है और/या नीतिके लाभ/प्रेफरेंस/छूट वगैरह का दावा करने में फेल हो जाता है और/या बिडिंग के समय अपने दावा के सपोर्ट में ज़रूरी दस्तावेज/प्रमाणपत्र जमा करने में फेल हो जाता है , तो बिडिंग प्रोसेस में बाद के स्टेज में उसके दावा पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अपने दावा के सपोर्ट में कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र जमा करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि इससे टेंडरिंग प्रोसेस खराब हो जाएगा।

7. अलग-अलग तरह की खरीद के लिए 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की पात्रता।

(क) उन सभी सामान, सर्विस या काम की खरीद में, जिनके बारे में नोडल मंत्रालय/डिपार्टमेंट ने बताया है कि काफ़ी लोकल कैपेसिटी और लोकल कॉम्पिटिशन है, सिर्फ़ 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता', जैसा कि ऑर्डर में बताया गया है, ही खरीद की कीमत पर ध्यान दिए बिना बोली लगाने के लिए पात्र होगा।

(ख) जीएफआर, 2017 के रूल 161(iv) के अनुसार, ऊपर सब-पैरा 7(क) में शामिल नहीं होने वाले सभी सामान, सर्विस या काम की खरीद में, और जिनकी अनुमानित कीमत 200 करोड़ रुपये से कम है, ग्लोबल निविदा इन्क्वायरी डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर द्वारा तय की गई सक्षम अथॉरिटी की मंज़ूरी के बिना जारी नहीं की जाएगी। सिर्फ़ 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' और 'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता', जैसा कि ऑर्डर में बताया गया है, खरीदने वाली एंटिटी द्वारा की गई खरीद में बोली लगाने के लिए पात्र होंगे, सिवाय तब जब ग्लोबल निविदा इन्क्वायरी जारी न की गई हो। ग्लोबल निविदा इन्क्वायरी में, 'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता' भी 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' और 'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के साथ बोली लगाने के लिए पात्र होंगे ।

(ग) इस ऑर्डर के मकसद के लिए, कामों में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध और सर्विसेज़ में सिस्टम इंटीग्रेटर (SI) अनुबंध शामिल हैं।

7-क. खरीद वरीयता

(क) इस ऑर्डर के नियमों और नोडल मंत्रालय द्वारा जारी किसी खास निर्देश या इस ऑर्डर के अनुसार, खरीदने वाली कंपनियों द्वारा नीचे बताए गए तरीके से की गई खरीद में 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को खरीदने में प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) सामान या काम की खरीद में, जो ऊपर पैरा 7(ख) में आते हैं और जो बांटे जा सकते हैं, 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को 'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के साथ-साथ 'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता' पर खरीदने में प्राथमिकता मिलेगी, इस तरीके से:

(i) सभी योग्य बोलियों में से, सबसे कम बिड को एल-1कहा जाएगा। अगर एल-1'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' है, तो पूरी मात्रा का अनुबंधएल-1 को दिया जाएगा।

(ii) अगर एल-1 बिड 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' नहीं है, तो ऑर्डर मात्रा का 50% एल-1 को दिया जाएगा। इसके बाद, 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' में से सबसे कम बोली लगाने वाले को बाकी 50% मात्रा के लिए एल-1 मूल्य से मैच करने के लिए बुलाया जाएगा, बशर्ते श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता का बताया गया मूल्य मार्जिन ऑफ़ परचेज़ प्रेफरेंस के अंदर हो, और उस मात्रा का अनुबंध ऐसे 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को दिया जाएगा, बशर्ते एल-1 मूल्य से मैच हो। अगर ऐसा सबसे कम पात्र 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' एल-1 मूल्य से मैच नहीं कर पाता है या दी गई मात्रा से कम लेता है, तो मार्जिन ऑफ़ परचेज़ प्रेफरेंस के अंदर अगले ज़्यादा 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को बाकी मात्रा के लिए एल-1 मूल्य से मैच करने के लिए बुलाया जाएगा और इसी तरह, और उसी हिसाब से अनुबंध दिया जाएगा। अगर श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता पर कुछ मात्रा अभी भी बची हुई है, तो ऐसी बाकी मात्रा का ऑर्डर भी एल-1 बिडर को दिया जा सकता है।

(ग) सामान या काम की खरीद में, जो ऊपर पैरा 3(ख) में आते हैं और जो बांटे नहीं जा सकते, और सर्विस की खरीद में जहां बोली सिर्फ़ कीमत के आधार पर तय की जाती है, 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को 'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के साथ-साथ 'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता' पर खरीदने में प्राथमिकता मिलेगी, इस तरीके से:

(i) सभी योग्य बोलियों में से, सबसे कम बिड को एल-1 कहा जाएगा। अगर एल-1 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' है, तो अनुबंधएल-1 को दिया जाएगा।

(ii) अगर एल-1 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' नहीं है, तो 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' में सबसे कम बोली लगाने वाले को एल-1 कीमत से मैच करने के लिए बुलाया जाएगा, बशर्ते श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता की बताई गई कीमत खरीदने की पसंद के मार्जिन के अंदर न आए, और अनुबंध ऐसे 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को दिया जाएगा, बशर्ते एल-1 कीमत से मैच हो।

(iii) अगर ऐसा सबसे कम पात्र 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' एल-1मूल्य से मैच नहीं कर पाता है, तो मार्जिन ऑफ़ परचेज़ प्रेफरेंस में अगली ज़्यादा बोली लगाने वाले 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को एल1मूल्य से मैच करने के लिए बुलाया जाएगा और इसी तरह आगे भी अनुबंध उसी हिसाब से दिया जाएगा। अगर मार्जिन ऑफ़ परचेज़ प्रेफरेंस में कोई भी 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' एल-1 मूल्य से मैच नहीं करता है, तो अनुबंधएल-1बिडर को दिया जा सकता है।

(घ) खरीद संस्थाओं द्वारा की जाने वाली किसी भी खरीद में खरीद वरीयता नहीं मिलेगी।

8. छोटी खरीद पर छूट: पैराग्राफ 3 में दी गई किसी भी बात के बावजूद, ऐसी खरीद, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये से कम है, इस ऑर्डर से छूट प्राप्त होगी। हालांकि, खरीदने वाली एंटिटी को यह पक्का करना होगा कि इस ऑर्डर के नियमों से बचने के लिए खरीद को बांटा न जाए।

9. कम से कम लोकल कंटेंट: किसी आपूर्तिकर्ता को 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के तौर पर कैटेगरी में डालने के लिए लोकल कंटेंट की ज़रूरत ऑर्डर के पैरा "2" में बताई गई है। इस वजह से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि, अगर किसी नोडल मंत्रालय/डिपार्टमेंट को लगता है कि उनके नोडल मंत्रालय/डिपार्टमेंट से जुड़े किसी खास आइटम के लिए, ऑर्डर में बताई गई लोकल कंटेंट की परिभाषा काम नहीं कर रही है/उसमें कुछ कमियां हैं, तो वह उस खास आइटम के लिए लोकल कंटेंट के कैलकुलेशन के लिए कोई दूसरा सही तरीका बता सकता है।

10. खरीद वरीयता का मार्जिन: खरीद वरीयता का मार्जिन 20% होगा।

11. पहले से स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत: कम से कम लोकल कंटेंट, खरीद में पसंद का मार्जिन और मेक इन इंडिया को पसंद करने का तरीका निविदा बुलाने वाले नोटिस या खरीद के दूसरे तरीके में बताया जाएगा और किसी खास खरीद के दौरान इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

12. सरकारी ई-मार्केटप्लेस: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से खरीद के संबंध में, जहां तक संभव हो सके, प्रदर्शन के लिए आइटम को पंजीकृत करते समय न्यूनतम स्थानीय सामग्री को पूरा करने वाले आइटमों को विशेष रूप से चिह्नित किया जाएगा और जहां भी संभव हो, खरीद वरीयता के साथ और खरीद वरीयता के बिना स्वचालित तुलना के लिए प्रावधान किया जाएगा और उन मामलों में स्थानीय आपूर्तिकर्ता की सहमति प्राप्त करने के लिए प्रावधान किया जाएगा जहां खरीद वरीयता का प्रयोग किया जाना है।

13. लोकल कंटेंट का सत्यापन:

(क)निविदा, बिडिंग या सॉलिसिटेशन के समय 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को लोकल कंटेंट का परसेंटेज बताना होगा और सेल्फ-सर्टिफिकेशन देना होगा कि ऑफर किया गया आइटम 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के लिए लोकल कंटेंट की ज़रूरत को पूरा करता है, जैसा भी मामला हो। उन्हें

उन लोकेशन की डिटेल्स भी देनी होंगी जहाँ लोकल वैल्यू एडिशन किया गया है।

(ख) 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की खरीद के मामलों में, 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को कंपनी के स्टैच्युटरी ऑडिटर या कॉस्ट ऑडिटर (कंपनियों के मामले में) या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट (कंपनियों के अलावा दूसरे आपूर्तिकर्ता के मामले में) से एक प्रमाणपत्र देना होगा, जिसमें लोकल कंटेंट का परसेंटेज दिया गया हो।

(ग) इस ऑर्डर को लागू करने से जुड़ी शिकायतों पर फैसला उस काबिल अथॉरिटी द्वारा लिया जाएगा, जिसे खरीदने वाली कंपनी से जुड़ी खरीद से जुड़ी शिकायतों को देखने का अधिकार है।

(घ) नोडल मंत्रालय सेल्फ-डिक्लेरेशन और ऑडिटर/अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र के स्वतंत्र सत्यापन के लिए रैंडम बेसिस पर और शिकायतों के मामले में इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के साथ कमेटियां बना सकते हैं।

(च) नोडल मंत्रालय और खरीद करने वाली संस्थाएं ऐसी शिकायतों के लिए शुल्क निर्धारित कर सकती हैं।

(छ) के अंतर्गत सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन होगी, जिसके लिए बोलीदाता या उसके उत्तराधिकारियों को सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 151(iii) के अनुसार दो साल तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है और साथ ही कानून के अंतर्गत ऐसी अन्य कार्रवाइयां भी की जा सकती हैं, जो स्वीकार्य हो सकती हैं।

(ज) कोई आपूर्तिकर्ता जिसे इस ऑर्डर के उल्लंघन के लिए किसी प्रोक्योरिंग एंटिटी ने डिबार किया है, वह डिबारमेंट के समय तक किसी दूसरी प्रोक्योरिंग एंटिटी द्वारा प्रोक्योरमेंट के लिए इस ऑर्डर के तहत प्रेफरेंस के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसी दूसरी प्रोक्योरिंग एंटिटी के लिए डिबारमेंट उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को यह दूसरी प्रोक्योरिंग एंटिटी को पता चलेगा, नीचे पैराग्राफ 9(h) में बताए गए तरीके से।

(झ) व्यय विभाग इस प्रक्रिया के प्रभावी और सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करेगा, ताकि:

(i) किसी भी खरीद इकाई द्वारा इस आदेश के उल्लंघन के लिए निषेध के तथ्य और अवधि को संबंधित मंत्रालय/विभाग के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से स्थायी समिति के सदस्य- संयोजक और व्यय विभाग के ध्यान में लाया जाएगा;

(ii) समय-समय पर ऐसे मामलों को समेकित किया जाता है और ऐसे आपूर्तिकर्ताओं की केंद्रीकृत सूची या विकेन्द्रीकृत सूची को निषेध अवधि के साथ बनाए रखा जाता है तथा वेबसाइट(ओं) पर प्रदर्शित किया जाता है;

(iii) जिस एंटिटी ने डिबारमेंट किया है, उसके अलावा दूसरी खरीदने वाली एंटिटी के मामले में, डिबारमेंट वेबसाइट पर अपलोड होने की तारीख से इस तरह लागू होगा कि चल रही खरीद में कोई रुकावट न आए।

14. आपको सूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं. 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23.07.2020 और सीएसआईआर पत्र संख्या 13-4(99)/19-20/एसएंडपी/नीति दिनांक 05.08.2020 के अनुसार। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश का कोई भी बोलीदाता माल, सेवाओं (टर्नकी परियोजनाओं सहित) की किसी भी खरीद में बोली लगाने के लिए तभी पात्र होगा जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो, जो कि वित्त मंत्रालय के उपरोक्त संदर्भित आदेश में निर्दिष्ट है।

15. निदेशक, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी, किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार करने या आदेश को विभाजित करने, या कोई कारण बताए बिना बोली प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

भंडार एवं क्रय अधिकारी

अनुक्रमणिका

अध्याय	सामग्री
1	बोलीदाताओं के लिए निर्देश
2	अनुबंध की शर्तें
3	आवश्यकता की अनुसूची
4	स्पेसिफिकेशन्स और संबंधित तकनीकी विवरण
5	मूल्य अनुसूची प्रपत्र
6	योग्यता संबंधी जरूरतें
7	अनुबंध प्रपत्र
8	अन्य रूप

महत्वपूर्ण तिथि पत्रक

क्रम संख्या	अवस्था	दिनांक समय
1.	प्रकाशन तिथि और समय	कृपया सीपीपी पोर्टल (www.etenders.gov.in) पर दी गई तारीख और समय देखें। या यूआरएल पर क्लिक करें https://etenders.gov.in/eprocure/app?component=%24DirectLink&page=FrontEndTendersByOrganisation&service=direct&session=T&sp=SGTcD%2BRUO7BhBfui0B%2FOiww%3D%3D
2.	सेल/दस्तावेज डाउनलोड शुरू होने की तारीख और समय	21.09.2026 at 9.00 A.M.
3.	सवाल मिलने की आखिरी तारीख और समय	13.10.2026 at 5.00 P.M.
4.	प्री-बिड कॉन्फ्रेंस, अगर कोई हो	N.A.
5.	बोली जमा करने की शुरुआती तारीख और समय	21.09.2026 at 11.00 A.M.
6.	बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय	21.10.2026 at 2.30 P.M.
7.	बोली खोलने की तारीख और समय	22.10.2026 at 3.30 P.M.

खरीद योजना की संभावित समय सारणी

क्रम संख्या	अवस्था	अनुमानित समय सीमा
1.	बोली खोलने की तिथि	XX (सीपीपी पोर्टल की तारीख)
2.	तकनीकी बोली इवैल्यूएशन पूरा होने की तारीख	XX + 50
3.	बोलियों की अस्वीकृति की सूचना की तिथि	XX + 65
4.	बोली लगाने वालों से संदर्भ, अगर कोई हो, मिलने की तारीख	XX + 70
5.	वित्तीय बोली खोलना	XX + 80
6.	अवार्ड की अधिसूचना	XX + 90

अध्याय 1

बोलीदाताओं के लिए निर्देश

विषयसूची

क्रम संख्या	सामग्री
क.	**परिचय**
1.1	योग्य बोलीदाता
1.2	बोली लगाने की लागत
1.3	सार्वजनिक खरीद के लिए सत्यनिष्ठा संहिता
ख.	**बोली दस्तावेज**
1.4	निविदा दस्तावेज की कीमत
1.5	निविदा दस्तावेज का कंटेंट
1.6	निविदा दस्तावेज का स्पष्टीकरण
1.7	निविदा दस्तावेज में बदलाव
ग.	**बोलियों की तैयारी**
1.8	बोली की भाषा
1.9	खरीद वरीयता नीतियाँ
1.10	बोली में शामिल दस्तावेज़
1.11	बिड फॉर्म और मूल्य शेड्यूल
1.12	बोली मूल्य
1.13	बिड की करेंसी
1.14	बोली लगाने वाले की योग्यता और योग्यता बताने वाले दस्तावेज़
1.15	सामान की पात्रता और बोली दस्तावेज के हिसाब से होने को साबित करने वाले दस्तावेज
1.16	बिड सिक्युरिटी
1.17	बोलियों की वैधता अवधि
1.18	बोली का प्रारूप और हस्ताक्षर
घ.	**बोलियां प्रस्तुत करना और सील करना**
1.19	बोलियों का प्रस्तुतीकरण, सीलिंग और अंकन
1.20	बोलियाँ जमा करने की समय सीमा
1.21	विलंबित बोलियाँ
1.22	बोलियों को वापस लेना, बदलना और उनमें बदलाव करना

ड.	**<u>बोलियों को खोलना और उनका मूल्यांकन</u>**
1.23	क्रेता द्वारा बोलियाँ खोलना
1.24	गोपनीयता
1.25	बोलियों का स्पष्टीकरण
1.26	प्रारंभिक परीक्षा
1.27	बोलियों की प्रतिक्रियाशीलता
1.28	बोली लगाने वालों को रिजेक्शन पर सवाल उठाने का अधिकार
1.29	गैर-अनुरूपता, त्रुटि और चूक
1.30	नियम और शर्तों की जांच, तकनीकी मूल्यांकन
1.31	एकल मुद्रा में रूपांतरण
1.32	बोलियों का मूल्यांकन और तुलना
1.33	क्रेता से संपर्क करना
1.34	पद योग्यता
च.	**<u>अनुबंध प्रदान करना</u>**
1.35	बातचीत
1.36	अवार्ड मानदंड
1.37	विकल्प खंड
1.38	खरीदार को अवार्ड के समय मात्रा बदलने का अधिकार
1.39	खरीदार का किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी या सभी को अस्वीकार करने का अधिकार
छ.	**बोलियां**
1.40	अवार्ड की अधिसूचना
1.41	अनुबंध पर हस्ताक्षर
1.42	ऑर्डर स्वीकृति
1.43	परफ़ोर्मेंस सिक्युरिटी
1.44	बोली-पूर्व सम्मेलन
1.45	इंटीग्रिटी पैक्ट

एकपरिचय

1.1. योग्य बोलीदाता

1.1.1 यह बोलियों का आमंत्रण सभी आपूर्तिकर्ता के लिए खुला है, जो बोलियों/एनआईटी के आमंत्रण के पैरा 06 के अधीन है।

1.1.2 एआपूर्तिकर्ता या बिडर को किसी देश का माना जाएगा अगर (i) एंटिटी उस देश में इनकॉरपोरेटेड है, या ii) एंटिटी की ज़्यादातर शेयर होल्डिंग या असरदार कंट्रोल उसी देश से होता है; या (iii) सप्लाई किए जा रहे आइटम की 50% से ज़्यादा वैल्यू उस देश में जोड़ी गई है। इंडियन आपूर्तिकर्ता का मतलब उन एंटिटीज़ से है जो इंडिया के संबंध में इनमें से किसी भी टेस्ट को पूरा करती हैं।

1.1.3 एमएसएमई को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के स्वामित्व वाला माना जाएगा:
(क) एमएसई के मामले में, मालिकाना हक एससी / एसटी होगा ।
(ख) पार्टनरशिप एमएसएमई के मामले में, एससी/एसटी पार्टनर के पास यूनिट में कम से कम 51% (इक्यावन प्रतिशत) शेयर होने चाहिए।
(ग) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मामले में, कम से कम 51% (इक्यावन प्रतिशत) शेयर एससी/एसटी प्रमोटरों के पास होने चाहिए।

1.1.4 महिलाओं के एमएसएमई को भी ऊपर दिए गए उदाहरण/क्राइटेरिया के अनुसार तय किया जाएगा।

1.1.5 बिडर्स को ऐसी किसी फर्म या उसकी किसी एफिलिएटेड कंपनी से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, या पहले कभी जुड़ा नहीं रहा हो, जिसे परचेज़र ने इस बिड्स इनविटेशन के तहत खरीदे जाने वाले सामान की खरीद के लिए डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन्स और दूसरे दस्तावेज तैयार करने के लिए कंसल्टिंग सर्विस देने के लिए हायर किया हो।

1.1.6 जॉइंट वेंचर्स, कंसोर्टियम या एसोसिएशन की बिड्स, बशर्ते वे बिड जमा करने की तारीख से पहले बनी और रजिस्टर्ड हों।

1.1.7 जिन बिडर्स को खरीदार ने रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता की लिस्ट से कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया है या हटा दिया है या मंत्रालय/देश भर में खरीद से बैन कर दिया है, वे बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

1.2 बोली लगाने की लागत

1.2.1 बिडर अपनी बिड तैयार करने और जमा करने से जुड़े सभी खर्च उठाएगा, और "खरीदार", किसी भी हालत में इन खर्चों के लिए ज़िम्मेदार या लायबल नहीं होगा, चाहे बिडिंग प्रोसेस का तरीका या नतीजा कुछ भी हो।

1.3 सत्यनिष्ठा संहिता

1.3.1 बिडर्स/आपूर्तिकर्ता को बोली दस्तावेज में लोक प्रापण के लिए कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी का पालन करने के बारे में एक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इस कोड का कोई भी उल्लंघन होने पर, बिडर को न केवल रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता की लिस्ट से हटाया जा सकता है, बल्कि उस पर अनुबंध कैंसिल करने, बैन और ब्लैकलिस्ट करने या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया में कार्रवाई जैसी दूसरी सज़ा भी हो सकती है।

1.3.2 **लोक प्रापण के लिए ईमानदारी का कोड** : खरीदने वाले के साथ-साथ बोली लगाने वालों, आपूर्तिकर्ता, कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट को नैतिकता के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड का पालन करना चाहिए और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के दौरान या अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान किसी भी स्टेज पर, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से , नीचे दिए गए मना किए गए कामों में शामिल नहीं होना चाहिए:

i) " **भ्रष्ट आचरण** ": खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के लिए या अन्यथा खरीद प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन को प्रभावित करने के लिए रिश्वत, अवार्ड या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की पेशकश करना, याचना करना या स्वीकार करना;

ii) " **धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार** ": कोई भी चूक या गलत बयान जो गुमराह कर सकता है या गुमराह करने का प्रयास कर सकता है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किए जा सकें या किसी दायित्व से बचा जा सके। इसमें निविदा प्रक्रिया में भागीदारी के लिए या अनुबंध को सुरक्षित करने या अनुबंध के निष्पादन के लिए झूठी घोषणा करना या झूठी सूचना प्रदान करना शामिल है;

iii) " **प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार**": दो या दो से अधिक बोलीदाताओं के बीच, क्रेता की जानकारी के साथ या उसके बिना, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के दायरे में आने वाली कोई मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवस्था, या कोई अन्य व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकता है या बोली की कीमतों को कृत्रिम, गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर स्थापित कर सकता है;

iv) "**बलपूर्वक व्यवहार**": खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए, व्यक्तियों या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना;

v) " **कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट**": बोली लगाने वाली फर्म या उसके किसी भी एफिलिएट का हिस्सा लेना, जो या तो उस कंसल्टेंसी अनुबंध में शामिल हैं जिससे यह प्रोक्योरमेंट जुड़ा हुआ है; या अगर वे प्रोक्योरमेंट में एक से ज़्यादा बिड का हिस्सा हैं; या अगर बोली लगाने वाली फर्म या उनके लोगों के किसी ऐसे अधिकारी या खरीदार के साथ रिश्ते या फाइनेंशियल या बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन हैं जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप सेनिविदा या अनुबंध के एग्ज़िक्यूशन प्रोसेस से जुड़े हैं; या (होने वाले) बोली लगाने वाले द्वारा खरीदार से मिली जानकारी का गलत इस्तेमाल, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में गलत फ़ायदा उठाने या पर्सनल फ़ायदे के लिए; और

vi) **"बाधा डालने वाली कार्यप्रणाली ":** ऊपर वर्णित निषिद्ध प्रथाओं में से एक या एक से अधिक के आरोपों की खरीदार की जांच को जानबूझकर नष्ट करने, गलत साबित करने, बदलने या जांच के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य को छिपाने के द्वारा; या जांचकर्ताओं को गलत बयान देने और/या किसी पक्ष को जांच से संबंधित मामलों के बारे में अपने ज्ञान का खुलासा करने या जांच को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए उसे धमकी देने, परेशान करने या डराने के द्वारा; या खरीदार की इकाई के ऑडिट या सूचना तक पहुंच के अधिकारों को बाधित करके;

1.3.3 सक्रिय प्रकटीकरणका **दायित्व**

i) खरीदने वाले के साथ-साथ बोली लगाने वाले, आपूर्तिकर्ता, कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट, लोक प्रापण के लिए कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी के तहत किसी भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस या अनुबंध के कार्यान्वयन में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट (ऊपर बताई गई परिभाषा के तहत आने वाले – पहले से मौजूद या जैसे ही ये किसी भी स्टेज पर पैदा हों) को खुद से घोषित करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा न करना इस कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी का उल्लंघन माना जाएगा; और

ii) बोली लगाने वाले को, चाहे पूछा गया हो या नहीं, बोली के दस्तावेज में यह बताना होगा कि पिछले तीन सालों में किसी भी देश में किसी भी एंटिटी के साथ इस कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी का कोई भी उल्लंघन हुआ है या किसी दूसरी खरीदने वाली एंटिटी ने उसे डिबार किया है। ऐसा न करना इस कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी का उल्लंघन माना जाएगा;

iii) अपनी मर्ज़ी से जानकारी देने को बढ़ावा देने के लिए, ऐसी घोषणाओं का मतलब यह नहीं होगा कि बोली लगाने वाला अपने आप अयोग्य हो जाएगा। बताए गए हितों के टकराव की जांच की जाएगी और अगर हो सके तो खरीदार उसे कम करने के कदम उठाएगा।

1.3.4 **दंडात्मक प्रावधान**

बोली दस्तावेज या अनुबंध के अनुसार, खरीदार के दूसरे सज़ा के नियमों के अधिकारों पर कोई असर डाले बिना और उनके अलावा, अगर खरीदार इस नतीजे पर पहुँचता है कि किसी (होने वाले) बिडर/आपूर्तिकर्ता ने, सीधे या किसी एजेंट के ज़रिए, अनुबंध के लिए मुकाबला करने या अनुबंध पूरा करने में इस कोड ऑफ़ इंटेग्रिटी को तोड़ा है, तो खरीदार नीचे दिए गए एक या ज़्यादा तरीकों के साथ ज़रूरी कदम उठा सकता है:

i) **अगर किसी खरीद में उसकी बोलियां विचाराधीन हैं:**

क) बिड सिक्युरिटी की जब्ती या भुनाना;

ख) किसी भी प्री-अनुबंध बातचीत को रद्द करना; और

ग) बोली लगाने वाले को खरीद प्रक्रिया से रिजेक्ट करना और बाहर करना।

ii) **अगर कोई अनुबंध पहले ही दिया जा चुका है**

क) संबंधित अनुबंध को रद्द करना और खरीदार द्वारा उठाए गए नुकसान के लिए मुआवजे की वसूली;

ख) खरीद से संबंधित किसी अन्य सुरक्षा या बांड को जब्त करना या भुनाना;

ग) खरीदार द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान, अगर कोई हो, सहित भुगतान की रिकवरी, उस पर मौजूदा रेट पर ब्याज के साथ।

iii) **उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रावधान:**

क) रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता की लिस्ट से हटाना और बोली लगाने वाले को कम से कम एक साल के लिए खरीदार की भविष्य की खरीद में हिस्सा लेने से बैन करना/रोकना;

ख) प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के मामले में, आगे की प्रक्रिया के लिए सूचना संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में दायर की जा सकती है;

ग) ज़िम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या स्टाफ़ के ख़िलाफ़ सही डिसिप्लिनरी या क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करना।

ख. बोली दस्तावेज

1.4 निविदा दस्तावेज की कीमत

1.4.1 इच्छुक और योग्य बोली लगाने वाले, बोली लगाने के लिए दिए गए इनविटेशन में बताए गए बोली लगाने के दस्तावेज की कीमत चुकाकर बोली लगाने के दस्तावेज खरीद सकते हैं।बिड्स/एनआईटी या फिर, बोली दस्तावेज हमारी वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं, जैसा कि बिड्स/एनआईटी के इनविटेशन में बताया गया है, और ये फ्री हैं।

1.5 निविदा दस्तावेज का कंटेंट

1.5.1 ज़रूरी सामान, बिडिंग प्रोसेस और अनुबंध की शर्तें बोली दस्तावेज में बताई गई हैं, जिन्हें एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। बोली दस्तावेज, बिड्स के इनविटेशन और क्रिटिकल डेट शीट के अलावा, नीचे दिए गए **8** चैप्टर्स में बांटे गए हैं :

अध्याय 1: बिडर के लिए निर्देश (आईटीबी)

अध्याय 2: अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी) और विशेष शर्तेंअनुबंध (एससीसी)

अध्याय 3: आवश्यकताओं की अनुसूची

अध्याय 4: स्पेसिफिकेशन्स और उससे जुड़ी टेक्निकल डिटेल्स

अध्याय 5: मूल्य शेड्यूल फॉर्म

अध्याय 6: क्वालिफिकेशन की ज़रूरतें

अध्याय 7: अनुबंध प्रपत्र

अध्याय 8: दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें शामिल हैं:

(1) बोलीदाता सूचना प्रपत्र

(2) निर्माता का प्राधिकरण प्रपत्र (एमएएफ);

(3) बिड सिक्युरिटी प्रपत्र

(4) बोली सुरक्षित करने की घोषणा

(5) प्रदर्शन विवरण प्रपत्र

(6) विचलन विवरण प्रपत्र;

(7) सेवा समर्थन विवरण;

(8) बोली प्रपत्र

(9) परफ़ोर्मेंस सिक्युरिटी प्रपत्र;

(10) स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रपत्र

(11) इंटीग्रिटी पैक्ट

(12)बोली खोलने में भाग लेने के लिए प्राधिकरण पत्र का प्रारूप

(13) बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा और अखंडता संहिता की घोषणा का प्रारूप एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित हो।

1.5.2 बिडर से उम्मीद की जाती है कि वह बोली दस्तावेज में दिए गए सभी इंस्ट्रक्शन्स, फॉर्म्स, टर्म्स और स्पेसिफिकेशन्स को चेक कर ले। बोली दस्तावेज में ज़रूरी सभी जानकारी न देना या ऐसी बिड जमा करना जो हर तरह से बोली दस्तावेज से काफी मेल नहीं खाती, इसका रिस्क बिडर का होगा और इसकी वजह से उसकी बिड रिजेक्ट हो सकती है।

1.6 निविदा दस्तावेज का स्पष्टीकरण

1.6.1 अगर किसी होने वाले बिडर को बोली दस्तावेज के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो उसे स्पेशल कंडीशंस ऑफ़ अनुबंध (एससीसी) में बताए गए परचेज़र के पते पर क्रिटिकल डेट शीट में बताई गई तारीख तक लिखकर परचेज़र से संपर्क करना होगा। अगर कोई क्लैरिफिकेशन या सवाल है, तो उसे आम तौर पर डेडलाइन/प्री-बिड कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं माना जाएगा। अगर परचेज़र को क्लैरिफिकेशन के कारण निविदा दस्तावेज में बदलाव करना ज़रूरी लगता है, तो उसे निविदा दस्तावेज में बदलाव से जुड़े क्लॉज़ और बिड्स जमा करने की डेडलाइन से जुड़े क्लॉज़ के तहत प्रोसेस को फॉलो करना होगा।

जारी किए गए सवाल, स्पष्टीकरण और बदलाव दूसरे होने वाले बिडर के फ़ायदे के लिए खरीदार की वेबसाइट पर भी डाले जाएंगे और उन सभी बिडर को भी भेजे जाएंगे जिन्होंने निविदा**दस्तावेज खरीदे हैं।**

1.7 निविदा दस्तावेज में संशोधन

1.7.1 बिड जमा करने की डेडलाइन से पहले, परचेज़र किसी भी वजह से, चाहे अपनी मर्ज़ी से या किसी होने वाले बिडर के क्लैरिफिकेशन के जवाब में, निविदा दस्तावेज में बदलाव कर सकता है। इसे परचेज़र की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाएगा और सभी होने वाले बिडर से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी बिड जमा करने से पहले वेबसाइट पर जाकर बदलावों को ध्यान में रखें। हालांकि, बदलावों की कॉपी उन सभी बिडर को रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/कूरियर/ई-मेल से भेजी जाएंगी जिन्होंने निविदा दस्तावेज खरीदे हैं।

1.7.2 होने वाले बिडर्स को अपनी बिड तैयार करते समय बदलाव को ध्यान में रखने के लिए सही समय देने के लिए, परचेज़र अपनी मर्ज़ी से, बिड जमा करने की डेडलाइन बढ़ा सकता है और बदलावों को परचेज़र की वेबसाइट पर दिखा सकता है।

ग.बोलियों की तैयारी

1.8 बिड की भाषा

1.8.1 बिडर द्वारा तैयार की गई बिड, साथ ही बिडर और खरीदार के बीच बिड से जुड़े सभी लेटर और दस्तावेज सिर्फ़ अंग्रेजी भाषा में लिखे जाएंगे।

1.8.2 आपूर्तिकर्ता, दिए गए दस्तावेज के लिए, अगर कोई हो, तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद का सारा खर्च उठाएगा और ऐसे अनुवाद की सटीकता का सारा जोखिम उठाएगा।

1.9 खरीद वरीयता नीतियाँ

1.9.1 खरीदार का इरादा भारत सरकार की मौजूदा खरीद नीति के हिसाब से प्रोडक्ट रिज़र्वेशन/खरीद में प्राथमिकता/कीमत में प्राथमिकता देना है, ताकि छोटे और मीडियम एंटरप्राइज़ (SMEs) और समाज के पिछड़े तबकों को लंबे समय तक मदद देकर देश की आर्थिक तरक्की में मदद मिल सके और सरकारी खरीद में खास मार्केट एक्सेस के साथ-साथ पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को भी दूर किया जा सके।

1.9.2 उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, स्थानीय आपूर्तिकर्ता का तात्पर्य ऐसे आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता से है, जिसके खरीद के लिए प्रस्तावित उत्पाद या सेवा, डीआईपीपी आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II) दिनांक 28 मई, 2018 में या इस आदेश के अनुसरण में सक्षम मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्थानीय सामग्री को पूरा करती हैऔर स्थानीय सामग्री का तात्पर्य भारत में जोड़े गए मूल्य से है, जो कि नोडल मंत्रालय द्वारा अन्यथा निर्धारित किए जाने तक, खरीदी गई वस्तुओं के कुल मूल्य (शुद्ध घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) में से कुल मूल्य के अनुपात के रूप में वस्तु में आयातित सामग्री के मूल्य (सभी सीमा शुल्कों सहित) को घटाकर प्रतिशत में होगा।

1.10.1 **बोली में शामिल दस्तावेज़**

बिडर द्वारा तैयार की गई बिड में नीचे दिए गए दस्तावेज शामिल होंगे:

क. तकनीकी बोली

(क) बोलीदाता सूचना प्रपत्र;

(ख) सत्यनिष्ठा संहिता का पालन करने तथा सार्वजनिक खरीद के लिए हितों का कोई टकराव न होने कीघोषणा;

(ग) बोली आमंत्रण में निर्दिष्ट बिड सिक्युरिटी;

(घ) सेवा समर्थन विवरण प्रपत्र;

(ड.) विचलन विवरण प्रपत्र;

(च) प्रदर्शन विवरण प्रपत्र;

(छ) संलग्न प्रारूप के अनुसार निर्माता का प्राधिकरण फार्म;

(ज) दस्तावेजी साक्ष्य जो यह स्थापित करे कि बोलीदाता बोली लगाने के योग्य है और यदि उसकी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो वह अनुबंध निष्पादित करने के लिए योग्य है;

(झ) सत्यनिष्ठा संधि, यदि आवश्यक हो;

(ट) सामान की पात्रता और बोली दस्तावेज के हिसाब से होने को साबित करने वाले दस्तावेज; जिसमें इंडियन कस्टम्स टैरिफ नंबर (आईसीटी और एचएसएन सं.) लिखा हो।

(ठ) आवश्यकताओं की अनुसूची।

(ड) ***स्वयं प्रमाणन कि प्रस्तावित वस्तु में न्यूनतम स्थानीय सामग्री 50% है और उस स्थान (स्थानों) का विवरण देना जहां पर स्थानीय मूल्यवर्धन किया गया है, यदि बोलीदाता मेक इन इंडिया नीति के अंतर्गत लाभ उठाना चाहता है, यदि लागू हो।***

(ढ) 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की खरीद के मामले में, स्थानीय आपूर्तिकर्ता को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक (कंपनियों के मामले में) या किसी अभ्यासशील लागत लेखाकार या अभ्यासशील चार्टर्ड अकाउंटेंट (कंपनियों के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में) से एक प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा, जिसमें मेक इन इंडिया नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए स्थानीय सामग्री का प्रतिशत दिया गया हो, यदि लागू हो।

(ण) बोली लगाने वाले की स्थिति के बारे में दस्तावेजी सबूत यानी एमएसई है या नहीं, एससी/एसटी के स्वामित्व में है या नहीं और एमएसई का स्वामित्व किसी महिला उद्यमी के पास है या नहीं।

ख. <u>मूल्य बोली</u>

(i) बोली प्रपत्र;

(ii) लागू मूल्य अनुसूची प्रपत्र;

1.11. <u>बिड फॉर्म और मूल्य शेड्यूल</u>

1.11.1 बिडर को बोली दस्तावेज में दिया गया बिड फ़ॉर्म और सही मूल्य शेड्यूल फ़ॉर्म भरना होगा। इन फ़ॉर्म्स को इसके फ़ॉर्मेट में कोई बदलाव किए बिना पूरा किया जाना चाहिए और कोई दूसरा फ़ॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी खाली जगहों को मांगी गई जानकारी से भरना होगा। बिड फ़ॉर्म और सही मूल्य शेड्यूल फ़ॉर्म को बोली दस्तावेज के क्लॉज़ 1.18.3 के अनुसार जमा करना होगा।

1.12. <u>बोली मूल्य</u>

1.12.1 बिडर सही मूल्य शेड्यूल फ़ॉर्म पर, अनुबंध के तहत सप्लाई करने वाले सामान की यूनिट कीमतें और कुल बिड कीमतें बताएगा।

1.12.2 मूल्य-शेड्यूल फ़ॉर्म पर बताई गई कीमतें अलग से इस तरह से डाली जाएंगी:

(क) भारत में निर्मित वस्तुओं के लिए

(i) उद्धृत माल की कीमत, जिसमें पहले से चुकाए गए कर भी शामिल हैं।

(ii) जीएसटी और दूसरे टैक्स, अगर कोई हों, जो अनुबंध मिलने पर सामान पर देने होंगे।

(iii) मूल्य शेड्यूल फॉर्म में बताए गए मनचाहे डेस्टिनेशन पर सामान पहुंचाने के लिए इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, बीमा और दूसरी लोकल सर्विसेज़ के लिए ज़रूरी चार्ज।

(iv) जहां भी लागू हो, स्थापना, कमीशनिंग, पुर्जे, विस्तारित वारंटी, एएमसी/सीएमसी, साइट की तैयारी और प्रशिक्षण सहित किसी भी आकस्मिक सेवाओं, यदि कोई हो, की लागत।

(ख) विदेश में निर्मित वस्तुओं के लिए

(i) माल की कीमत, एफसीए (विदेश में सुपुर्दगी का नामित स्थान) या एफओबी (शिपमेंट का नामित बंदरगाह) पर उद्धृत, जैसा कि मूल्य अनुसूची फॉर्म में निर्दिष्ट है।

(ii) बीमा और सामान को पोर्ट/डेस्टिनेशन तक एयर/सी दोनों से ट्रांसपोर्ट करने का चार्ज।

(iii) एजेंसी कमीशन शुल्क, यदि कोई हो।

(iv) जहां भी लागू हो, स्थापना, कमीशनिंग, पुर्जे, विस्तारित वारंटी, एएमसी/सीएमसी, साइट की तैयारी और प्रशिक्षण सहित किसी भी आकस्मिक सेवाओं, यदि कोई हो, की लागत।

1.12.3 एफओबी, एफसीए, सीआईएफ, सीआईपी वगैरह शर्तें, इंटरनेशनल चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स, पेरिस द्वारा पब्लिश किए गए इनकोटर्म्स के मौजूदा एडिशन में बताए गए नियमों के हिसाब से चलेंगी।

1.12.4 **जहां पैकिंग, फॉरवर्डिंग, फ्रेट, बीमा चार्ज, टैक्स वगैरह का कोई ज़िक्र नहीं है, ऐसे ऑफर को अधूरा मानकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा।**

1.12.5 अनुबंध पीरियड के दौरान बताई गई कीमत फिक्स रहेगी और किसी भी वजह से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।

1.12.6 सभी लॉट और आइटम मूल्य शेड्यूल में अलग-अलग लिस्टेड और मूल्य किए जाने चाहिए। अगर किसी मूल्य शेड्यूल में आइटम लिस्टेड तो हैं लेकिन मूल्य नहीं हैं, तो उनकी कीमतें दूसरी चीज़ों की कीमतों में शामिल मानी जाएंगी। जो लॉट या आइटम मूल्य शेड्यूल में लिस्टेड नहीं हैं, उन्हें बिड में शामिल नहीं माना जाएगा।

1.12.7 खरीदार भारत सरकार के साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है और 23.07.1996 के नोटिफिकेशन नंबर 51/96-कस्टम्स, 14 नवंबर, 2017 के नोटिफिकेशन नंबर 47/2017-इंटीग्रेटेड टैक्स (रेट) और 45/2017-सेंट्रल टैक्स (रेट) के तहत आने वाले सभी इंपोर्ट पर नोटिफिकेशन नंबर 54/2002-कस्टम्स के हिसाब से रियायती कस्टम ड्यूटी और **जीएसटी** और **जीएसटी** लागू **है**।

1.12.8 कृपया अपने ऑफ़र में साफ़-साफ़ बताएं कि क्या बताई गई कीमतों के अलावा ड्यूटी और टैक्स अलग से हैं, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि कीमतों में टैक्स और ड्यूटी शामिल हैं और बाद में कानूनी बदलावों के लिए कोई दावा नहीं माना जाएगा।

1.12.9 "**जीएसटी** अभी लागू नहीं है, लेकिन अगर बाद में यह लागू होता है तो इसे चार्ज किया जाएगा" जैसी शर्तें तब तक मंज़ूर नहीं हैं, जब तक ऐसे मामलों में यह साफ़ तौर पर न कहा गया हो कि अगर टर्नओवर वगैरह बढ़ने की वजह से बाद में यह लागू होता है तो **जीएसटी** चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर कोई बोली लगाने वाला इस ज़रूरत को पूरा करने में नाकाम रहता है, तो उसकी बताई गई कीमत में उस आइटम पर आम तौर पर लगने वाली ड्यूटी की मात्रा जोड़ी जाएगी, ताकि दूसरे बोली लगाने वालों की कीमतों से तुलना की जा सके।

नोट: अनुबंध के तहत सभी भुगतान, सोर्स पर कानूनी लेवी (जैसे TDS वगैरह) काटने के बाद किए जाएंगे, जहां भी लागू हो।

1.13. बिड की करेंसी

1.13.1 भारत में सप्लाई के लिए मिले ऑफ़र के लिए कीमतें भारतीय रुपये में बताई जाएंगी और विदेशी देशों से सप्लाई के लिए मिले ऑफ़र के मामले में फ़्रीली कन्वर्टिबल विदेशी करेंसी में बताई जाएंगी। यानी, घरेलू निविदा देने वालों को अपना भुगतान भारतीय करेंसी में बताना और स्वीकार करना होगा; विदेशी आपूर्तिकर्ता के भारतीय एजेंट को उनका एजेंसी कमीशन भारतीय करेंसी में मिलेगा; भारत में दिए गए इंपोर्टेड सामान और सर्विस की कीमत, जो सीधे अनुबंध के तहत इंपोर्ट की जाती है, विदेशी करेंसी (करेंसी) में बताई जा सकती है।

1.14. बोली लगाने वाले की योग्यता और योग्यता बताने वाले दस्तावेज़

1.14.1 बोली लगाने वाला अपनी बोली के हिस्से के तौर पर, बोली लगाने के लिए अपनी योग्यता और अगर उसकी बोली स्वीकार हो जाती है तो अनुबंध पूरा करने के लिए अपनी योग्यता बताने वाले दस्तावेज देगा।

1.14.2 यदि बोली स्वीकार कर ली जाती है तो अनुबंध को निष्पादित करने के लिए बोलीदाता की योग्यता का दस्तावेजी साक्ष्य खरीदार की संतुष्टि के लिए स्थापित करेगा कि;

(क) बिडर, अगर कोई हो, तो बोली दस्तावेज में दिए गए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करता है।

(ख) जो बिडर वह सामान नहीं बनाता है जिसे वह सप्लाई करने का ऑफर करता है, उसे बिडिंग दस्तावेज में दिए गए फॉर्म का इस्तेमाल करके विनिर्माता ऑथराइजेशन फॉर्म (एमएएफ) जमा करना होगा ताकि यह दिखाया जा सके कि उसे सामान के विनिर्माता ने कोट करने और/या सामान सप्लाई करने के लिए सही तरीके से अधिकृत किया है।

(ग) अगर कोई बिडर इंडिया में बिज़नेस नहीं कर रहा है, तो उसे यह प्रमाणपत्र देना होगा कि बिडर को इंडिया में एक एजेंट रिप्रेजेंट करेगा जो वारंटी और पोस्ट-वारंटी पीरियड के दौरान सप्लाई, मेंटेनेंस, रिपेयर की ज़िम्मेदारियों वगैरह को पूरा करने के लिए तैयार और काबिल है या वारंटी और पोस्ट-वारंटी पीरियड के दौरान सप्लाई, मेंटेनेंस, रिपेयर की ज़िम्मेदारियों वगैरह को पूरा करने के लिए एक सिस्टम पक्का करेगा।

1.14.3 **कंडीशनल निविदा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

1.15 सामान की पात्रता और बोली दस्तावेज के हिसाब से होने को साबित करने वाले दस्तावेज

1.15.1 सामान की पात्रता साबित करने के लिए, सामान और सर्विस की पात्रता के डॉक्यूमेंट्री सबूत में दिए गए सामान और सर्विस के ओरिजिन देश का एक स्टेटमेंट होगा, जिसे शिपमेंट के समय ओरिजिन प्रमाणपत्र से कन्फर्म किया जाएगा।

1.15.2 यह पक्का करने के लिए कि सामान और सर्विस बिडिंग दस्तावेज के स्पेसिफिकेशन्स और ज़रूरतों के शेड्यूल के हिसाब से हैं, सामान और सर्विस के बिडिंग दस्तावेज के हिसाब से होने का डॉक्यूमेंट्री सबूत लिटरेचर, ड्रॉइंग और डेटा के रूप में हो सकता है, और इसमें ये शामिल होंगे:

(क) माल की आवश्यक तकनीकी और प्रदर्शन विशेषताओं का विस्तृत विवरण ;

(ख) एक लिस्ट जिसमें स्पेयर पार्ट्स, स्पेशल टूल्स वगैरह की पूरी जानकारी हो, जिसमें उपलब्ध सोर्स और मौजूदा कीमतें शामिल हों, जो प्राइस्ड-बिड में खरीदार द्वारा सामान का इस्तेमाल शुरू करने के बाद वारंटी पीरियड के दौरान सामान के ठीक से और लगातार काम करने के लिए ज़रूरी हैं; और

(ग) खरीदार के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स पर आइटम-दर-आइटम कमेंट्री, जिसमें यह दिखाया गया हो कि सामान और सर्विस उन स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से काफी हद तक रिस्पॉन्सिव हैं या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के प्रोविज़न्स में डेविएशन और अपवाद का स्टेटमेंट।

1.15.3 ऊपर दी गई जानकारी के लिए, बिडर को यह ध्यान रखना होगा कि खरीदार ने अपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स में कारीगरी, मटीरियल और उपकरण के लिए जो स्टैंडर्ड बताए हैं, वे सिर्फ़ बताने के लिए हैं, रोकने वाले नहीं। बिडर अपनी बिड में इन्हें बदल सकता है, बशर्ते वह खरीदार को यह दिखाए कि ये बदलाव टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए स्टैंडर्ड से काफ़ी हद तक मिलते-जुलते हैं।

1.15.4 **दूसरे ऑफ़र/मेक/मॉडल पर विचार नहीं किया जाएगा।**

1.16. <u>बिड सिक्युरिटी</u>

1.16.1 **बिड्स के साथ** एनआईटी **में दिए गए फ़ॉर्मेट (**अनुलग्नक-5 एफ**) के अनुसार एक बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन होना चाहिए। बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन जमा न करने पर बिड** अमान्य **हो जाएगी ।**

1.16.2 खरीदार को बिडर के व्यवहार के जोखिम से बचाने के लिए बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन ज़रूरी है, जिसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी ।

1.16.4 बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन वेंडर को अपने लेटर हेड पर स्टाम्प लगाकर और हस्ताक्षर करके जमा करना होगा।

1.16.8 जो बिडर अभी खरीदार के साथ रजिस्टर्ड हैं या एमएसएमई के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, वे निविदाकी वैलिडिटी पीरियड के दौरान भी रजिस्टर्ड रहेंगे और उन्हें ईएमडीके भुगतानसे छूट मिलेगी। अगर निविदाइन कैटेगरी में आता है , तो बिडर को अपने वैधरजिस्ट्रेशन डिटेल्स की सर्टिफाइड कॉपी देनी होगी। एमएसएमई को छोड़कर , यह छूट सिर्फ़ ट्रेड ग्रुप और रजिस्ट्रेशन की मॉनेटरी वैल्यू के लिए वैधहै। एमएसएमई को निविदादस्तावेजफ्री में दिए जाते हैं और उन्हें बिड सिक्योरिटी के भुगतान से छूट मिलती है , बशर्ते सामान उनके द्वारा बनाया गया हो और सर्विस उनके द्वारा दी गई हों , न कि उनके द्वारा की गई किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा, जिन फर्मों के पास उद्योग आधार मेमोरेंडम है, वे एमएसएमई के लिए लोक प्रापणनीतिके तहत एमएसएमई के लिए उपलब्ध सभी फायदों की हकदार हैं और नीचे दी गई किसी भी एजेंसी के साथ रजिस्टर हो सकती हैं:

क) जिला उद्योग केंद्र
ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग
ग) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
घ) कॉयर बोर्ड
ट) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
ठ) हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय

ड) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य निकाय

1.16.9 जहां एमएसएमई मंत्रालय ने कोई एग्रीगेटर नियुक्त किया है, जो खुद कुछ एमएसएमई यूनिट्स की ओर से कोट करते हैं, ऐसे ऑफ़र को एमएसएमई यूनिट्स का ऑफ़र माना जाएगा और ऐसी सभी सुविधाएं इन एग्रीगेटर्स को भी दी जाएंगी।

1.16.10 **किसी भी** अनुबंध **के लिए बोली लगाने के लिए अयोग्य:**

(क) यदि बोलीदाता बोली के प्रपत्र में निर्दिष्ट बोली वैधता अवधि के दौरान संशोधित/संशोधित, क्षतिग्रस्त या अवमूल्यित बोली वापस ले लेता है या विफल हो जाता है या

(ख) सफल बिडर के मामले में, अगर बिडर ऑर्डर के 14 दिनों के अंदर ऑर्डर एक्सेप्टेंस नहीं दे पाता है या अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर पाता है और/या अनुबंध/ऑर्डर की तारीख से 21 दिनों के अंदर निष्पादन सुरक्षा नहीं दे पाता है।

1.17. बोलियों की वैधता अवधि

1.17.1 खरीदार द्वारा तय की गई बिड खोलने की तारीख के बाद बिड कम से कम 180 दिनों तक वैध रहेंगी। इससे कम समय के लिए वैध बिड को खरीदार द्वारा जवाब न देने के कारण रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

1.17.2 खास हालात में, खरीदने वाला, वैलिडिटी का समय बढ़ाने के लिए बिडर से मंज़ूरी मांग सकता है। अनुरोध और उस पर जवाब लिखकर (पोस्ट, फैक्स या ई-मेल से) दिए जाएंगे। दी गई बिड सिक्योरिटी को भी सही तरीके से बढ़ाया जाएगा, ऐसा न करने पर बिड को तुरंत इग्नोर कर दिया जाएगा। बिडर अपनी बिड सिक्योरिटी ज़ब्त किए बिना अनुरोध को मना कर सकता है। अनुरोध मानने वाले बिडर को अपनी बिड में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होगी और न ही उसे इसकी इजाज़त होगी।

1.17.3 बिड का मूल्यांकन ऊपर दिए गए सुधारों को ध्यान में रखे बिना बिड की कीमतों पर आधारित होगा।

1.18. बिड का फॉर्मेट और साइनिंग

1.18.1 बिड्स एक लिफ़ाफ़े में या दो हिस्सों में जमा की जा सकती हैं, जैसा कि बिड्स के इनविटेशन में बताया गया है।

1.18.2 अगर बिड एक लिफ़ाफ़े में मंगाई जाती हैं , तो बिडर को बिड की दो कॉपी बनानी होंगी, और हर एक पर साफ़-साफ़ "ओरिजिनल बिड" और "कॉपी बिड" मार्क करना होगा, जैसा भी सही हो। अगर उनके बीच कोई अंतर होता है, तो ओरिजिनल बिड ही मान्य होगी।

1.18.3 अगर बिड टू-बिड सिस्टम पर मंगाई जाती हैं, तो बिडर को बिड दो अलग-अलग हिस्सों में जमा करनी होगी। एक हिस्से में तकनीकी बोली होगी, जिसमें बिड फॉर्म और मूल्य शेड्यूल को छोड़कर, बिड में शामिल दस्तावेज से जुड़े क्लॉज के तहत लिस्टेड सभी दस्तावेज होंगे। दूसरे हिस्से में प्राइस्ड-बिड होगी, जिसमें बिड फॉर्म और मूल्य शेड्यूल होंगे। बिडर को बिड की दो कॉपी तैयार करनी होंगी, और हर एक पर साफ-साफ "ओरिजिनल बिड" और "कॉपी बिड" मार्क करना होगा, जैसा सही हो।

1.18.4 बिड की ओरिजिनल और सभी कॉपी टाइप की हुई या ऐसी स्याही से लिखी होंगी जिसे मिटाया न जा सके और उन पर बिडर या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्हें बिडर को अनुबंध से जोड़ने के लिए सही तरीके से ऑथराइज़्ड किया गया हो। बिड के सभी पेज, बिना बदलाव वाले प्रिंटेड लिटरेचर को छोड़कर, बिड पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम और संपर्क विवरण के साथ उनके अपने नाम और संपर्क विवरण लिखेंगे ।

1.18.5 कोई भी बीच में लिखना, मिटाना या ओवरराइटिंग तभी मान्य होगी, जब उस पर बिड पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के शुरुआती नाम हों।

घ. बोलियों का प्रस्तुतीकरण और सीलिंग

1.19 बोलियों का प्रस्तुतीकरण, सीलिंग और मार्किंग

1.19.1 **बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय से पहले केवल ऑफलाइन माध्यम से डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करनी होंगी। (ऑनलाइन माध्यम से अथवा फैक्स/ई-मेल द्वारा प्राप्त बोलियों को मूल्यांकन हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा।)**

1.19.2 यदि निविदा केवल CPP पोर्टल (www.etenders.gov.in) पर प्रकाशित की गई है, तो ऑनलाइन बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। **अतः सभी बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ केवल ऑफलाइन माध्यम से प्रस्तुत करनी होंगी।**

1.19.3 दो- बिड आधार पर आमंत्रित की गई बोलियों के मामले में, बोलीदाता को **बिना मूल्य वाली वाणिज्यिक एवं तकनीकी बोली** अलग से तैयार करनी होगी, जिसमें **ITB 1.10.1** में सूचीबद्ध दस्तावेज़ शामिल होंगे, सिवाय **"l" एवं "m"** के। इसके अतिरिक्त, **मूल्य वाली बोली (Priced Bid)** अलग से तैयार की जाएगी। दोनों को क्रमशः **"Technical Bid"** और **"Priced Bid"** के रूप में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। **दोनों लिफाफों को एक मुख्य लिफाफे में बंद करके सील किया जाएगा, जिस पर निदेशक, सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-CEERI), पिलानी - 333031 (राजस्थान), भारत का पता लिखा होना चाहिए। साथ ही लिफाफे पर निविदा संख्या, अंतिम तिथि और खुलने की तिथि का उल्लेख होना चाहिए। यदि यह व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा रहा है, तो इसे क्रय अनुभाग में रखे गए निविदा बॉक्स में डालना होगा।**

1.19.4

(ए) अंदरूनी और बाहरी लिफाफे निदेशक, सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान , पिलानी – 333031 (राजस्थान), इंडिया के पते पर भेजे जाएंगे और अगर हाथ से डिलीवर किए जाते हैं, तो उन्हें खरीद अनुभाग में रखे निविदा बॉक्स में जमा करना होगा।

(ख) बोली लगाने वाले का नाम और पता, निविदा नंबर, आखिरी तारीख और एक चेतावनी " **22.10.2026 को दोपहर 3.30 बजे** से पहले न खोलें । " लिखें, जिसे बोली के इनविटेशन में बताए गए समय और तारीख के साथ पूरा किया जाना है।

1.19.5 अगर बाहरी लिफ़ाफ़ा ऊपर बताए गए तरीके से सील और मार्क नहीं किया गया है, तो खरीदार बिड के खो जाने या समय से पहले खुलने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। ऐसे मामलों में, तय तारीख और समय के अंदर खुली हालत में मिली बिड को बिडर के रिस्क पर स्वीकार किया जाएगा, अगर उसे बिड खोलने की तय तारीख और समय खत्म होने से पहले कंट्रोलर ऑफ़ स्टोर्स एंड परचेज़ को दिखाया जाता है।

1.19.6 दो-बिड सिस्टम की ज़रूरत के मुकाबले, एक ही लिफ़ाफ़े में बिड जमा करने वाली फर्मों को बिडर के रिस्क और ज़िम्मेदारी पर आगे के मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। हालांकि, अगर खुली हुई कीमत वाली बिड तकनीकी बोली से अलग तैयार की जाती है, तो निविदा खोलने वाली कमेटी कीमत बताए बिना तुरंत उसे सील कर देगी।

1.20. बिड जमा करने की डेडलाइन - सीपीपी पोर्टल पर दी गई ज़रूरी तारीखों के अनुसार

1.20.1 खरीदार को बिड्स क्लॉज़ 1.19.4 (क) में बताए गए पते पर मिलनी चाहिए, बिड्स के लिए इनविटेशन में बताए गए समय और तारीख के बाद नहीं। अगर बिड्स जमा करने की बताई गई तारीख को खरीदार के लिए छुट्टी होती है, तो बिड्स अगले कार्य दिवस पर तय समय तक मिल जाएंगी।

1.20.2 खरीदार अपनी मर्ज़ी से, बोली दस्तावेज में बदलाव से जुड़े क्लॉज़ के अनुसार बोली दस्तावेज में बदलाव करके बिड्स जमा करने की डेडलाइन बढ़ा सकता है। इस मामले में, खरीदार और बिडर्स के सभी अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ जो पहले डेडलाइन के तहत थीं, बाद में बढ़ाई गई डेडलाइन के तहत होंगी। (यह सिर्फ़ सीपीपी पोर्टल पर होगा)

1.21. देर से बोली

1.21.1 खरीदार द्वारा तय की गई बिड जमा करने की डेडलाइन के बाद खरीदार को मिली कोई भी बिड रिजेक्ट कर दी जाएगी।

1.21.2 ऐसे निविदा को लेट मार्क किया जाएगा और आगे के इवैल्यूएशन के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्हें बिल्कुल भी नहीं खोला जाएगा और बिना खोले उनके ओरिजिनल लिफाफे में बिडर्स को वापस कर दिया जाएगा

1.22 बोलियों को वापस लेना, प्रतिस्थापित करना और संशोधित करना।

1.22.1 कोई बिडर अपनी बिड जमा करने के बाद, आईटीबी क्लॉज़ 1.19 के अनुसार एक लिखित नोटिस भेजकर, जिस पर किसी ऑथराइज़्ड प्रतिनिधि का हस्ताक्षर हो, उसे वापस ले सकता है, बदल सकता है या बदल सकता है, और इसमें आईटीबी सब-क्लॉज़ 1.18.4 के अनुसार ऑथराइज़ेशन की एक कॉपी शामिल होगी (सिवाय इसके कि विड्रॉल नोटिस की कोई कॉपी ज़रूरी नहीं है)। बिड में बदलाव या बदलाव से जुड़ा हुआ संबंधित लिखित नोटिस के साथ होना चाहिए। सभी नोटिस इस तरह होने चाहिए:

(क) आईटीबी क्लॉज़ 1.18 और 1.19 के अनुसार जमा किया गया हो (सिवाय इसके कि विड्रॉल नोटिस के लिए कॉपी की ज़रूरत नहीं है), और इसके अलावा, संबंधित लिफ़ाफ़ों पर साफ़ तौर पर "विड्रॉल," "सब्स्टीट्यूशन," या "मॉडिफ़िकेशन" लिखा होना चाहिए; और

(ख) आईटीबी क्लॉज़ 1.20 के अनुसार, बोलियां जमा करने की तय समय सीमा से पहले खरीदार को मिल गई हों।

1.22.2 आईटीबी सब-क्लॉज 1.22.1 के अनुसार जिन बिड्स को वापस लेने का अनुरोध किया गया है, उन्हें बिडर्स को बिना खोले वापस कर दिया जाएगा। बिड्स जमा करने की डेडलाइन और बिड फॉर्म पर बिडर द्वारा बताई गई बिड वैलिडिटी की अवधि के खत्म होने या उसके किसी भी एक्सटेंशन के बीच के समय में कोई भी बिड वापस नहीं ली जा सकती, बदली नहीं जा सकती, या बदली नहीं जा सकती।

ई. बोलियों को खोलना और उनका मूल्यांकन

1.23 क्रेता द्वारा बोलियाँ खोलना

1.23.1 खरीदार, बोली लगाने वालों के ऑथराइज़्ड प्रतिनिधियों की मौजूदगी में, जो बोली के लिए इनविटेशन में दिए गए शेड्यूल के अनुसार आना चाहें, एक-एक करके सभी बोलियाँ खोलेगा। बोली लगाने वालों के जो प्रतिनिधि मौजूद होंगे, वे अपनी

मौजूदगी का सबूत देते हुए कोटेशन ओपनिंग शीट पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर बोली खोलने की बताई गई तारीख को खरीदार के लिए छुट्टी होती है, तो बोलियाँ अगले कार्य दिवस पर तय समय और जगह पर खोली जाएँगी। दो-पार्ट वाली बोली में, वित्तीय बोली सिर्फ़ टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद ही खोली जाएगी।

1.23.2 सबसे पहले, "वापसी" लिखे लिफाफों को खोला जाएगा और पढ़कर सुनाया जाएगा और उससे जुड़ी बिड वाला लिफाफा नहीं खोला जाएगा, बल्कि बिडर को वापस कर दिया जाएगा। जब तक उससे जुड़े विड्रॉल नोटिस में विड्रॉल का अनुरोध करने के लिए वैध प्राधिकार न हो और बिड खोलते समय उसे पढ़कर न सुनाया जाए, तब तक बिड विड्रॉल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बाद, "प्रतिस्थापन" लिखे लिफाफों को खोला जाएगा और पढ़कर सुनाया जाएगा और बदले जा रहे बिड के साथ एक्सचेंज किया जाएगा, और बदले जा रहे बिड को नहीं खोला जाएगा, बल्कि बिडर को वापस कर दिया जाएगा। जब तक उससे जुड़े प्रतिस्थापन नोटिस में प्रतिस्थापन का अनुरोध करने के लिए वैध प्राधिकार न हो और बिड खोलते समय उसे पढ़कर न सुनाया जाए, तब तक बिड प्रतिस्थापन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। "संशोधन" लिखे लिफाफों को खोला जाएगा और उससे जुड़ी बिड के साथ पढ़ा जाएगा। जब तक उससे जुड़े संशोधन नोटिस में संशोधन का अनुरोध करने के लिए वैध प्राधिकार न हो और बिड खोलते समय उसे पढ़कर न सुनाया जाए, तब तक बिड संशोधन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ़ उन्हीं लिफाफों पर आगे विचार किया जाएगा जिन्हें बिड खोलते समय खोला और पढ़ा जाएगा।

1.23.3 बिड लगाने वालों के नाम, बिड में बदलाव या उसे वापस लेना, बिड की कीमतें, डिस्काउंट, और ज़रूरी बिड सिक्योरिटी का होना या न होना और ऐसी दूसरी जानकारी जो खरीदने वाला अपनी मर्ज़ी से सही समझे, बिड खोलते समय बताई जाएगी। देर से आई बिड को छोड़कर, कोई भी बिड बिड खोलते समय रिजेक्ट नहीं की जाएगी। हालांकि, बिड फॉर्म और मूल्य शेड्यूल की जानकारी सिर्फ़ दो-बिड सिस्टम के मामले में प्राइस्ड-बिड खोलते समय ही बताई जाएगी।

1.23.4 देर से मिली बिड्स पर, हालात चाहे जो भी हों, आगे इवैल्यूएशन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

1.23.5 जो बिडर्स बिड खोलने की प्रक्रिया में भाग लेने में रुचि रखते हैं, उन्हें अपने प्रतिनिधियों को एक अथॉरिटी लेटर के साथ भेजना चाहिए, जिसे चैप्टर-9 में दिए गए फॉर्म के अनुसार बिड खोलते समय खरीदार को जमा करना होगा।

1.24. गोपनीयता

1.24.1 बिड्स की जांच, मूल्यांकन, तुलना, और क्वालिफिकेशन के बाद, और अनुबंध अवार्ड की सिफारिश से जुड़ी जानकारी, अनुबंध अवार्ड के पब्लिकेशन तक बिडर्स या ऐसे किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताई जाएगी जो ऑफिशियली इस प्रोसेस से जुड़ा नहीं है।

1.24.2 अगर कोई बिडर बिड या अनुबंध देने के फ़ैसलों की जांच, मूल्यांकन, तुलना और क्वालिफ़िकेशन के बाद खरीदार को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो उसकी बिड रिजेक्ट हो सकती है।

1.25 बोलियों का स्पष्टीकरण

1.25.1 बिड्स की जांच, मूल्यांकन, तुलना और क्वालिफिकेशन के बाद मदद के लिए, खरीदार अपनी मर्ज़ी से, बिडर से उसकी बिड के बारे में क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। क्लैरिफिकेशन के लिए अनुरोध और जवाब लिखित में होगा और बिड की कीमतों या असलियत में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, ऑफ़र नहीं किया जाएगा या इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि, खरीदार की मर्ज़ी पर, सबसे कम बोली लगाने वाले के अलावा कोई बातचीत नहीं की जाएगी। बिडर द्वारा अपनी बिड के बारे में दिया गया कोई भी क्लैरिफिकेशन, जो खरीदार के अनुरोध के जवाब में नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.26. प्रारंभिक परीक्षा

1.26.1 खरीदार यह पक्का करने के लिए बिड्स की जांच करेगा कि आईटीबी क्लॉज़ 1.10 में मांगे गए सभी दस्तावेज और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं, और यह तय करेगा कि जमा किया गया हर दस्तावेज पूरा है या नहीं।

1.26.2 खरीदार यह कन्फर्म करेगा कि बिड में नीचे दिए गए दस्तावेज और जानकारी दी गई है। अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज या जानकारी नहीं है, तो ऑफर रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

(ए) आईटीबी खण्ड 1.10 के अनुसार बोली प्रपत्र और मूल्य अनुसूची;

(ख) मिले सभी निविदा की पहले जांच की जाएगी ताकि यह देखा जा सके कि निविदा जांच दस्तावेज में बताई गई बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं या नहीं। जो निविदा बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अनरिस्पॉन्सिव माना जाएगा और नज़रअंदाज़ किया जाएगा। नीचे कुछ ज़रूरी बातें दी गई हैं, जिनके लिए शुरुआती जांच के दौरान किसी निविदा को अनरिस्पॉन्सिव घोषित किया जा सकता है और नज़रअंदाज़ किया जा सकता है:

(i) बोली हस्ताक्षर रहित है।

(ii) बोलीदाता पात्र नहीं है।

(iii) बिड की वैलिडिटी ज़रूरी समय से कम है।

(iv) बोली लगाने वाले ने प्रस्तावित निर्माता से आवश्यक प्राधिकरण पत्र के बिना एक अलग फर्म द्वारा निर्मित माल के लिए उद्धरण दिया है।

(v) बोलीदाता आवश्यक परफ़ोर्मेंस सिक्युरिटी देने के लिए सहमत नहीं है या बिड सिक्युरिटी प्रस्तुत नहीं की है।

(vi) बताया गया सामान घटिया है, ज़रूरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, वगैरह।

(vii) आवश्यकतों की अनुसूची (निविदा इन्क्वायरी में शामिल) के मुताबिक, बिडर ने उस शेड्यूल में बताई गई पूरी ज़रूरत के लिए कोटेशन नहीं दिया है।

(viii) बोलीदाता निविदा जांच में शामिल कुछ आवश्यक शर्तों से सहमत नहीं है।

1.27 बोली लगाने वाले का रिजेक्शन पर सवाल उठाने का अधिकार।

1.27.1 अगर किसी बिडर को लगता है कि सही प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा है और/या उसका निविदा गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसे अपनी बात कहने का अधिकार होगा। सिर्फ़ वही बिडर जिस पर सीधे असर पड़ा हो, इस बारे में नीचे दिए गए तरीके से बता सकता है:

i) केवल वह बोलीदाता ही ऐसा अभ्यावेदन कर सकता है जिसने संबंधित खरीद प्रक्रिया यानी पूर्व-योग्यता, बोलीदाता पंजीकरण या बोली, जैसा भी मामला हो, में भाग लिया हो;

ii) यदि तकनीकी बोलियों की बोली से पहले पूर्व-योग्यता बोली का मूल्यांकन कर लिया गया है, तो तकनीकी बोली के संबंध में समीक्षा के लिए आवेदन केवल उस बोलीदाता द्वारा दायर किया जा सकता है जिसने पूर्व-योग्यता बोली में अर्हता प्राप्त की हो;

iii) अगर वित्तीय बोली खुलने से पहले तकनीकी बोली का मूल्यांकन हो गया है, तो वित्तीय बोली के संबंध में रिव्यू के लिए आवेदन सिर्फ़ वही बिडर फाइल कर सकता है जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार की गई हो।

iv) इंटरनल गाइडलाइंस के हिसाब से खरीदार के ये फ़ैसले रिव्यू के दायरे में नहीं आएंगे:

क) खरीद की आवश्यकता का निर्धारण;

ख) खरीद या बोली प्रणाली के तरीके का चयन;

ग) चयन प्रक्रिया का विकल्प;

घ) खरीद प्रक्रिया में बोलीदाताओं की भागीदारी को सीमित करने वाले प्रावधान;

ई) एल1 बोलीदाता के साथ बातचीत में प्रवेश करने का निर्णय;

च) खरीद प्रक्रिया को रद्द करना, सिवाय इसके कि जहां बाद में उन्हीं आवश्यकताओं को फिर से निविदा देने का इरादा हो;

छ) अनुबंध की शर्तों में साफ़ न होने से जुड़े मामलों पर अनुबंधहस्ताक्षर होने के बाद विचार नहीं किया जा सकता है, ऐसे सभी मामलों को वेंडर/कॉन्ट्रैक्टर को अनुबंध पूरा होने से पहले बताना चाहिए; और

ज) स्पेसिफिकेशन्स के खिलाफ शिकायतें, सिवाय इस आधार पर कि वे या तो साफ़ नहीं हैं या बहुत ज़्यादा खास हैं जिससे कॉम्पिटिशन कम हो जाए, की इजाज़त है।

1.27.2 अगर कोई बिडर खरीदार के फैसले से नाराज़ है, तो वह खरीदार के रिजेक्शन की जानकारी देने की तारीख से 05 कार्य दिवस के अंदर, खरीदार के फैसले पर दोबारा सोचने के लिए, अनुबंध की स्पेशल शर्तों (एससीसी) में बताए गए खरीदार के पते पर लिखकर अपनी बात भेज सकता है।

1.28 बोलियों की प्रतिक्रियाशीलता

1.28.1 डिटेल्ड इवैल्यूएशन से पहले, खरीदार यह तय करेगा कि हर बिड बोली दस्तावेज के हिसाब से कितनी सही है। इस क्लॉज़ के मकसद के लिए, एक सही रिस्पॉन्सिव बिड वह है, जो बिना किसी बड़ी कमी, रिज़र्वेशन या चूक के बोली दस्तावेज की सभी शर्तों और नियमों के मुताबिक हो। एक बड़ी कमी, रिज़र्वेशन या चूक वह है जो:

(क) अनुबंध में बताए गए सामान और उससे जुड़ी सेवाओं के दायरे, क्वालिटी या परफॉर्मेंस पर किसी भी तरह से असर डालता है; या

(ख) किसी भी तरह से ऐसी सीमाएं जो बोली दस्तावेज , खरीदार के अधिकारों या अनुबंध के तहत बिडर की ज़िम्मेदारियों से मेल नहीं खातीं; या

(ग) अगर इसे ठीक किया गया, तो इससे दूसरे बिडर्स की कॉम्पिटिटिव पोजीशन पर गलत असर पड़ेगा, जो काफी रिस्पॉन्सिव बिड्स दे रहे हैं।

1.28.2 खरीदार किसी बिड के रिस्पॉन्सिव होने का फैसला, बिना किसी बाहरी सबूत के, बिड के कंटेंट के आधार पर ही करेंगे।

1.28.3 अगर कोई बिड काफी हद तक रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो उसे परचेज़र रिजेक्ट कर देगा और बाद में बिडर किसी भी बड़ी कमी, रिज़र्वेशन या कमी को ठीक करके उसे रिस्पॉन्सिव नहीं बना पाएगा।

1.28.4 अगर कोई बिडर शून्य चार्जेज/ कन्सिडरैशन बताता है, तो बिड को अनरिस्पॉन्सिव माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.29 गैर-अनुरूपता, त्रुटि और चूक

1.29.1 अगर कोई बिड काफी हद तक रिस्पॉन्सिव है, तो खरीदने वाला बिड में किसी भी ऐसी नॉन-कन्फर्मिटी या कमी को माफ कर सकता है जो कोई बड़ा बदलाव न हो।

1.29.2 अगर कोई बिड काफी हद तक रिस्पॉन्सिव है, तो परचेज़र अनुरोध कर सकता है कि बिडर एक सही समय के अंदर ज़रूरी जानकारी या दस्तावेज जमा करे, ताकि डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरतों से जुड़ी बिड में नॉन-मटेरियल नॉन-कन्फर्मिटीज़ या कमियों को ठीक किया जा सके। ऐसी कमी बिड की कीमत के किसी भी पहलू से जुड़ी नहीं होगी। बिडर अगर अनुरोध पूरी नहीं करता है, तो उसकी बिड रिजेक्ट हो सकती है।

1.29.3 अगर बिड काफी हद तक रिस्पॉन्सिव है, तो खरीदार नीचे दिए गए आधार पर अरिथमेटिकल गलतियों को ठीक करेगा:

(क) यदि इकाई मूल्य और पंक्ति वस्तु के कुल योग के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य को मात्रा से गुणा करके प्राप्त होता है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और पंक्ति वस्तु के कुल योग को सही किया जाएगा, जब तक कि खरीदार की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिंदु का स्पष्ट रूप से गलत स्थान न हो, ऐसी स्थिति में उद्धृत पंक्ति वस्तु का कुल योग लागू होगा और इकाई मूल्य को सही किया जाएगा;

(ख) अगर सबटोटल के जोड़ या घटाने से टोटल में कोई गलती होती है, तो सबटोटल को ही माना जाएगा और टोटल को ठीक किया जाएगा; और

(ग) यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में व्यक्त राशि मान्य होगी, जब तक कि शब्दों में व्यक्त राशि किसी अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसी स्थिति में आंकड़ों में व्यक्त राशि मान्य होगी, जो उपरोक्त (ए) और (बी) के अधीन है।

1.29.4 अगर कोई बिड काफी हद तक रिस्पॉन्सिव है, तो खरीदार अनुरोध कर सकता है कि बिडर टारगेट डेट के अंदर खरीदार द्वारा की गई अरिथमेटिक गलतियों के सही होने को कन्फर्म कर दे। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो सबमिट की गई बिड को इग्नोर कर दिया जाएगा और उसकी बिड सिक्योरिटी ज़ब्त की जा सकती है।

1.30 नियम और शर्तों की जांच, तकनीकी मूल्यांकन

1.30.1 खरीदार बिड की जांच करेगा ताकि यह कन्फर्म हो सके कि जीसीसी और एससीसी में बताए गए सभी नियम और शर्तें बिडर ने बिना किसी खास बदलाव या रिज़र्वेशन के मान ली हैं।

1.30.2 खरीदार आईटीबी क्लॉज़ 1.15 के अनुसार जमा की गई बिड के टेक्निकल पहलुओं की जांच करेगा, ताकि यह पक्का हो सके कि बोली दस्तावेज के शेड्यूल ऑफ़ रिक्वायरमेंट्स में बताई गई सभी ज़रूरतें बिना किसी बड़ी कमी या रिज़र्वेशन के पूरी हो गई हैं।

1.30.3 अगर, टर्म्स एंड कंडीशंस की जांच और टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद, परचेज़र यह तय करता है कि बिड आईटीबी क्लॉज़ 1.28 के अनुसार काफी हद तक रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो वह बिड को रिजेक्ट कर देगा।

1.31 एकल मुद्रा में रूपांतरण

1.31.1 जांच और तुलना करने में आसानी के लिए, खरीदार अलग-अलग करेंसी में बताई गई सभी कीमतों को भारत के किसी भी बैंक द्वारा तय किए गए सेलिंग एक्सचेंज रेट पर भारतीय रुपये में बदलेगा, जैसा कि बिड खुलने की तारीख को अखबारों में बताया गया है (दो-पार्ट बिडिंग के मामले में टेक्नो-कमर्शियल बिड)। इस मकसद के लिए, खरीदार www.xe.com या www.rbi.org या किसी दूसरी वेबसाइट पर बताए गए एक्सचेंज रेट का भी इस्तेमाल कर सकता है।

1.32 बोलियों का मूल्यांकन और तुलना

1.32.1 खरीदार हर उस बोली का मूल्यांकन करेगा जिसे मूल्यांकन के इस चरण तक, काफी हद तक जवाबदेह पाया गया है।

1.32.2 किसी बिड को इवैल्यूएट करने के लिए, परचेज़र सिर्फ़ नीचे बताए गए सभी फ़ैक्टर, मेथड और क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेगा। किसी और क्राइटेरिया या मेथड की इजाज़त नहीं होगी।

1.32.3 खरीदार द्वारा की जाने वाली सभी खरीद में सभी स्थानीय आपूर्तिकर्ता को इस तरह से खरीदने में प्राथमिकता दी जाएगी:

(क) जहां खरीदार ने बिड/एनआईटी के इनविटेशन के पैरा 06 के अनुसार, आपूर्तिकर्ता की पात्रता सिर्फ़ इंडियन आपूर्तिकर्ता तक सीमित कर दी है। यह सिर्फ़ उन आइटम के लिए लागू है जिनके लिए नोडल मंत्रालय ने बताया है कि Rs. 50.00 लाख तक की खरीद की लागत के लिए काफ़ी लोकल कैपेसिटी और लोकल कॉम्पिटिशन है।

(ख)अगर निविदा किए गए आइटम नोडल मंत्रालय द्वारा लोकल कैपेसिटी और लोकल कॉम्पिटिशन बताते हुए लिस्टेड नहीं हैं, तो वैल्यू की परवाह किए बिना, इवैल्यूएशन का यह प्रोसेस फॉलो किया जाएगा:

(i) सभी योग्य बोलियों में से, सबसे कम बिड को एल-1 कहा जाएगा। अगर एल-1 किसी स्थानीय आपूर्तिकर्ता की है, तो पूरी मात्रा का अनुबंधएल-1 को दिया जाएगा।

(ii) अगर एल-1 बिड किसी स्थानीय आपूर्तिकर्ता की नहीं है, तो ऑर्डर मात्रा का 50% एल-1 को दिया जाएगा। इसके बाद, स्थानीय आपूर्तिकर्ता में से सबसे कम बोली लगाने वाले को बाकी 50% मात्रा के लिए एल-1 मूल्य से मैच

करने के लिए बुलाया जाएगा, बशर्ते स्थानीय आपूर्तिकर्ता ने जो मूल्य बताया है, वह 20% के मार्जिन ऑफ़ परचेज़ प्रेफरेंस के अंदर हो। उस मात्रा का अनुबंध ऐसे स्थानीय आपूर्तिकर्ता को दिया जाएगा, जो एल-1 मूल्य से मैच करता है। अगर ऐसा सबसे कम पात्रस्थानीय आपूर्तिकर्ताएल-1 मूल्य से मैच नहीं कर पाता है या दी गई मात्रा से कम लेता है, तो मार्जिन ऑफ़ परचेज़ प्रेफरेंस के अंदर अगले ज़्यादा बोली लगाने वाले स्थानीय आपूर्तिकर्ता को बाकी मात्रा के लिए एल-1 मूल्य से मैच करने के लिए बुलाया जाएगा और इसी तरह आगे भी। अनुबंध उसी हिसाब से दिया जाएगा। अगर स्थानीय आपूर्तिकर्ता की तरफ से कुछ मात्रा अभी भी छूट जाती है, तो बाकी मात्रा का ऑर्डर भी एल-1 बिडर को दिया जा सकता है।

(ग) अगर निविदा किया गया आइटम डिवाइडेबल नहीं है, तो इवैल्यूएशन का यह प्रोसेस फॉलो किया जाएगा:

i. सभी योग्य बोलियों में से, सबसे कम बिड को एल-1कहा जाएगा। अगर एल-1 किसी स्थानीय आपूर्तिकर्ता की है, तो अनुबंधएल-1 को दिया जाएगा।

ii. अगर एल-1 किसी स्थानीय आपूर्तिकर्ता से नहीं है, तो स्थानीय आपूर्तिकर्ता में से सबसे कम बोली लगाने वाले को एल-1कीमत के बराबर बोली लगाने के लिए बुलाया जाएगा, बशर्ते स्थानीय आपूर्तिकर्ता की बताई गई कीमत 20% के मार्जिन ऑफ़ परचेज़ प्रेफरेंस के अंदर हो। इसलिए, अनुबंधएल-1 कीमत के बराबर कीमत वाले स्थानीय आपूर्तिकर्ता को दिया जाएगा।

iii. अगर ऐसा सबसे कम पात्रस्थानीय आपूर्तिकर्ताएल-1मूल्य मैच नहीं कर पाता है, तो मार्जिन ऑफ़ परचेज़ प्रेफरेंस के अंदर अगली ज़्यादा बोली लगाने वाले स्थानीय आपूर्तिकर्ता को एल-1 मूल्य मैच करने के लिए बुलाया जाएगा। यह तब तक दोहराया जा सकता है जब तक सभी स्थानीय आपूर्तिकर्ता को एल-1 मूल्य मैच करने का मौका न मिल जाए। अनुबंध उसी हिसाब से दिया जाएगा। अगर मार्जिन ऑफ़ परचेज़ प्रेफरेंस के अंदर कोई भी स्थानीय आपूर्तिकर्ताएल-1 मूल्य मैच नहीं करता है, तो अनुबंधएल-1बिडर को दिया जा सकता है।

1.32.4 इसके अलावा,निविदामें, जहाँ आइटम बांटे जा सकते हैं, एल-1 +15 (पंद्रह) परसेंट के मूल्य बैंड के अंदर कीमत बताने वाले भाग लेने वाले माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) को भी अपनी कीमत एल-1 मूल्य तक कम करके ज़रूरत का एक हिस्सा सप्लाई करने की इजाज़त होगी, अगर एल-1 मूल्यएमएसएमई के अलावा किसी और से हो और ऐसे एमएसएमई को कुल निविदा की गई कीमत का 25 (पच्चीस) परसेंट तक सप्लाई करने की इजाज़त होगी। अगर ऐसे मूल्य बैंड के अंदर एक से ज़्यादा एमएसएमई हैं, तो 25 (पच्चीस) परसेंट मात्रा इन बिडर्स के बीच बराबर-बराबर बांटी जाएगी।

1.32.5 इस 25% (पच्चीस परसेंट) मात्रा में, 25 (पच्चीस) परसेंट में से 25 (पच्चीस) परसेंट की खरीद प्रेफरेंस उन एमएसएमई के लिए रिज़र्व है जिनके मालिक अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के एंटरप्रेन्योर हैं (अगर वे निविदा प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और एल-1मूल्य मैच करते हैं)। इसके अलावा, एमएसएमई से होने वाली कुल सालाना खरीद में से, (3%) 25% टारगेट के अंदर से तीन परसेंट महिलाओं के मालिकाना हक वाले एमएसएमई से खरीद के लिए रखा जाएगा। बशर्ते, अगर ऐसे एससी/एसटीएमएसएमई निविदा प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाते हैं या निविदा की ज़रूरतें और एल-1मूल्य पूरा नहीं कर पाते हैं, तो चार परसेंट सब-टारगेट दूसरे एमएसएमई से पूरा किया जाएगा।

1.32.6 अगर आइटम बांटे नहीं जा सकते, तो मूल्य बैंड एल-1+ 15% के अंदर कीमत बताने वाले एमएसएमईको,एमएसएमई से सरकारी खरीद बढ़ाने की नीति की भावना को ध्यान में रखते हुए, एमएसएमई को कुल निविदा की गई मात्रा की पूरी सप्लाई के लिए दिया जा सकता है।

1.32.7 बोलियों का मूल्यांकन फ़ाइनल लैंडिंग कॉस्ट के आधार पर किया जाएगा, जो इस तरह से तय होगी:

भारत में निर्मित वस्तुओं के लिए

(i) सामान की कीमत, एक्स-वर्क्स में बताई गई, जिसमें पहले से चुकाए गए सभी टैक्स भी शामिल हैं।

(ii) अगर अनुबंध मिलता है तो सामान पर जीएसटी और दूसरे टैक्स, अगर कोई हों, देने होंगे।

(iii) सामान को मनचाही जगह पर पहुंचाने के लिए इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, बीमा और दूसरी लोकल सर्विस के चार्ज।

(iv) जहां भी लागू हो, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, स्पेयर पार्ट्स, एक्सटेंडेड वारंटी, एएमसी/सीएमसी, साइट की तैयारी और प्रशिक्षण का खर्च, जिसमें कोई भी अचानक होने वाली सर्विस, अगर कोई हो, शामिल है।

विदेश में निर्मित वस्तुओं के लिए

(i) सामान की कीमत, जो एफसीए (विदेश में सुपुर्दगी की बताई गई जगह) या एफओबी (शिपमेंट का बताया गया पोर्ट) पर बताई गई हो, जैसा कि बिडिंग दस्तावेज में बताया गया है।

(ii) बीमा और सामान को पोर्ट/डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का चार्ज।

(iii) एजेंसी कमीशन वगैरह, अगर कोई हो।

(iv) जहां भी लागू हो, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, स्पेयर पार्ट्स, एक्सटेंडेड वारंटी, एएमसी/सीएमसी, साइट की तैयारी और प्रशिक्षण का खर्च, जिसमें कोई भी अचानक होने वाली सर्विस, अगर कोई हो, शामिल है।

1.32.8 देसी और विदेशी ऑफ़र की तुलना क्रमशः फॉर डेस्टिनेशन बेसिस और सीआईएफ/सीआईपी बेसिस पर की जाएगी। हालांकि, किसी भी विदेशी बिडर द्वारा कोट किए गए सीआईएफ/सीआईपीमूल्य को नीचे दिए गए तरीके से आगे लोड किया जाएगा:

(a) कस्टम ड्यूटी और दूसरे कानूनी लेवी के लिए – लागू रेट के हिसाब से।

(b) कस्टम क्लीयरेंस, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए - सीआईएफ/सीआईपी वैल्यू का 2%।

साफ़ ब्यौरा देना चाहिए ताकि खरीदार के साथ सही तुलना की जा सके, और वह किसी भी आधार पर ऑर्डर करने का अधिकार रखता है, ऐसा न करने पर बोली को तुरंत नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा।

नोट: जहां पैकिंग, फॉरवर्डिंग, फ्रेट, बीमा चार्ज, टैक्स वगैरह का कोई ज़िक्र नहीं है, ऐसे ऑफर को अधूरा मानकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा ।

1.32.9 इम्पोर्टेड स्टोर्स के लिए ऑर्डर ज़रूरी नहीं कि एफओबी/एफसीए बेसिस पर हों, बल्कि यह ICC Incoterms 2010 में बताए गए किसी भी incoterm के बेसिस पर हो सकते हैं, जिसे ICC या किसी दूसरी तय अथॉरिटी द्वारा समय-समय पर बदला जा सकता है और जो खरीदार के लिए फायदेमंद हो ।

1.32.10 जहां भी एफओबी/एफसीए और सीआईएफ/सीआईपी बेसिस पर कोट की गई कीमत एक जैसी हो, अनुबंध सिर्फ़ सीआईएफ/सीआईपी बेसिस पर ही किया जाएगा।

1.32.11 जीसीसी और एससीसी ट्रांसपोर्ट का तरीका बताएंगे, यानी हवाई/समुद्र/सड़क/रेल से।

1.32.12 ऑप्शनल आइटम खरीदने का कोई प्रोविज़न नहीं है। निविदा दस्तावेज में दिए गए स्पेसिफिकेशन्स, मिली हुई बिड्स के रिस्पॉन्सिवनेस को इवैल्यूएट करने का आधार होंगे।

1.32.13 खरीदार आईटीबी क्लॉज़ 1.32 के अनुसार, सबसे कम कीमत वाली बोली तय करने के लिए सभी सही बोलियों की तुलना करेगा।

1.33 क्रेता से संपर्क करना

1.33.1 आईटीबी क्लॉज़ 1.25 के तहत, कोई भी बिडर, बिड खुलने के समय से लेकर अनुबंध मिलने तक, अपनी बिड से जुड़े किसी भी मामले पर परचेज़र से संपर्क नहीं करेगा।

1.33.2 अगर कोई बिडर बिड इवैल्यूएशन, बिड कम्पेरिजन या अनुबंध अवार्ड पर अपने फैसलों में परचेज़र को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो बिडर की बिड रिजेक्ट हो सकती है।

1.34 पद योग्यता

1.34.1 प्री-क्वालिफिकेशन न होने पर, परचेज़र अपनी संतुष्टि के लिए यह तय करेगा कि सबसे कम मूल्यांकन वाली रिस्पॉन्सिव बिड जमा करने वाला बिडर, आईटीबी क्लॉज़ 1.14 में दिए गए क्राइटेरिया के अनुसार, अनुबंध को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं।

1.34.2 यह तय करने में बोली दस्तावेज में दिए गए पात्रता क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाएगा और यह बिडर द्वारा जमा किए गए उसकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्री सबूतों की जांच के साथ-साथ ऐसी दूसरी जानकारी पर आधारित होगा जिसे खरीदने वाला ज़रूरी और सही समझे।

1.34.3 बिडर को अनुबंध देने के लिए पॉज़िटिव फ़ैसला ज़रूरी होगा। नेगेटिव फ़ैसला होने पर बिडर की बिड रिजेक्ट कर दी जाएगी।

एफ. अनुबंध प्रदान करना

1.35 बातचीत

1.35.1 आम तौर पर, कोई मोल-भाव नहीं होगा। अगर मोल-भाव होगा भी, तो वह एक अपवाद होगा और सिर्फ़ उन चीज़ों के मामले में होगा जिनकी सप्लाई का सोर्स लिमिटेड है। मोल-भाव सबसे कम कीमत वाले रिस्पॉन्सिव बिडर के साथ किया जाएगा। काउंटर ऑफ़र भी मोल-भाव के बराबर होते हैं और उन्हें एक बार की खरीदारी के मामले में मोल-भाव के बराबर माना जाएगा।

1.36 अवार्ड मानदंड

1.36.1 आईटीबी क्लॉज़ 1.39 के तहत, परचेज़र उस सफल बिडर को अनुबंध देगा जिसकी बिड को काफी हद तक रिस्पॉन्सिव माना गया है और जिसे सबसे कम कीमत वाली बिड माना गया है, बशर्ते कि बिडर अनुबंध को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए क्वालिफाइड पाया गया हो। अवार्ड की डिटेल्स परचेज़र की वेबसाइट पर होस्ट की जाएंगी।

1.37 खरीदार को अवार्ड के समय मात्रा बदलने का अधिकार

1.37.1 खरीदार के पास अनुबंध देते समय, ज़रूरतों के शेड्यूल में बताई गई चीज़ों और सेवाओं की मात्रा को यूनिट कीमत या दूसरे नियमों और शर्तों में बिना किसी बदलाव के 25% तक बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।

1.38 विकल्प खंड

1.38.1 खरीदार के पास ज़रूरी सामान की मात्रा को फ़ाइनल सुपुर्दगी डेट (या अनुबंध की बढ़ी हुई सुपुर्दगी डेट) तक, किसी भी समय 25% (पच्चीस) परसेंट तक बढ़ाने या घटाने का अधिकार है। इसके लिए उसे सही नोटिस देना होगा, भले ही शुरू में ऑर्डर की गई मात्रा सुपुर्दगी पीरियड (या बढ़ी हुई सुपुर्दगी पीरियड) की आखिरी डेट से पहले पूरी सप्लाई कर दी गई हो।

1.39 खरीदार का किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार

1.39.1 खरीदार के पास किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध दिए जाने

से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है, और इससे प्रभावित बोली लगाने वाले या बोली लगाने वालों के प्रति कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

1.40 अवार्ड की अधिसूचना

1.40.1 बिड वैलिडिटी का समय खत्म होने से पहले, खरीदने वाला सफल बिडर को रजिस्टर्ड लेटर या केबल या टेलेक्स या फैक्स या ईमेल से लिखकर बताएगा कि बिड स्वीकार कर ली गई है और पोस्ट से एक अलग परचेज़ ऑर्डर भेजा जाएगा।

1.40.2 जब तक कोई फॉर्मल अनुबंध तैयार और पूरा नहीं हो जाता, तब तक अवार्ड का नोटिफिकेशन एक बाइंडिंग अनुबंध माना जाना चाहिए।

1.40.3 सफल बिडर के हस्ताक्षर किया हुआ अनुबंध फ़ॉर्म और आईटीबी क्लॉज़ 1.43 के अनुसार निष्पादन सुरक्षा देने पर, परचेज़र हर असफल बिडर को तुरंत बताएगा और अपनी बिड सिक्योरिटी वापस कर देगा।

1.41 अनुबंध पर हस्ताक्षर

1.41.1 नोटिफ़िकेशन के तुरंत बाद, परचेज़र सफल बिडर को एग्रीमेंट/परचेज़ ऑर्डर भेजेगा।

1.41.2 क्रय आदेश की तिथि से इक्कीस (21) दिन के भीतर सफल बोलीदाता उस पर हस्ताक्षर करेगा, दिनांक डालेगा और उसे क्रेता को वापस कर देगा।

1.42 ऑर्डर स्वीकृति

1.42.1 सफल बिडर को ऑर्डर जारी होने/अनुबंधहस्ताक्षर होने की तारीख से 14 दिनों के अंदर ऑर्डर एक्सेप्टेंस जमा करना होगा, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि वेंडर को कोई दिलचस्पी नहीं है और आईटीबी के क्लॉज़ 1.16.9 के अनुसार उसकी बिड सिक्योरिटी ज़ब्त हो जाएगी।

1.42.2 ऑर्डर कन्फर्मेशन 14 दिनों के अंदर मिल जाना चाहिए। हालांकि, खरीदने वाले के पास ऑर्डर कन्फर्मेशन जमा करने की टाइम फ्रेम को ओरिजिनल तारीख से आगे बढ़ाने का अधिकार है। टाइम बढ़ाने के बाद भी, अगर ऑर्डर कन्फर्मेशन नहीं मिलता है, तो अनुबंध कैंसिल किया जा सकता है, बशर्ते खरीदने वाला, यह मानकर कि यह कार्टेलाइजेशन का मामला नहीं है और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की इंटीग्रिटी बनी हुई है, वह, ठोस कारणों से, अगले सफल बिडर को पहले सफल बिडर की वित्तीय बोली से मैच करने का मौका दे सकता है, और अगर ऑफर स्वीकार हो जाता है, तो अगले सफल बिडर को पहले सफल बिडर की मूल्य बिड पर अनुबंध दे सकता है।

1.43 परफ़ोर्मेंस सिक्युरिटी

1.43.1 अवार्ड/पीओ का नोटिफिकेशन मिलने के 21 दिनों के अंदर, आपूर्तिकर्ता को एससीसी में बताई गई रकम में निष्पादन सुरक्षा (पीएस) देनी होगी, जो वारंटी पीरियड के 60 दिन बाद तक वैध होगी।

1.43.2 निष्पादन सुरक्षा से मिलने वाली रकम, आपूर्तिकर्ता के अनुबंध के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा न कर पाने की वजह से होने वाले किसी भी नुकसान के मुआवज़े के तौर पर खरीदार को दी जाएगी।

1.43.3 भारत के अंदर सप्लाई के लिए मिले ऑफ़र के लिए निष्पादन सुरक्षा भारतीय रुपये में होगी और दूसरे देशों से सप्लाई के लिए मिले ऑफ़र के मामले में अनुबंध की करेंसी में होगी या अगर निष्पादन सुरक्षा भारतीय एजेंट ने जमा की है, तो उसके बराबर भारतीय रुपये में होगी।

1.43.4 आयात के मामले में, पीएस प्रिंसिपल या इंडियन एजेंट द्वारा सबमिट किया जा सकता है और, देसी सोर्स से खरीद के मामले में, पीएसविनिर्माता या उनके ऑथराइज़्ड डीलर/बिडर द्वारा सबमिट किया जा सकता है।

1.43.5 निष्पादन सुरक्षा इनमें से किसी एक रूप में होगी:

(क) भारत में मौजूद किसी नेशनलाइज़्ड/शेड्यूल बैंक या किसी विदेशी बैंक, जिसकी ब्रांच भारत में हो, द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी या स्टैंड-बाय लेटर ऑफ़ क्रेडिट, जैसा कि बोली दस्तावेज में दिया गया है। या

(ख) खरीदार के पक्ष में बैंकर चेक या अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट । या,

(ग) खरीदार के पक्ष में गिरवी रखी गई एक फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद ।

1.43.6 निष्पादन सुरक्षा खरीदार द्वारा डिस्चार्ज की जाएगी और आपूर्तिकर्ता को उसकी निष्पादन ज़िम्मेदारियों के पूरा होने की तारीख के 60 दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी, जिसमें कोई भी वारंटी ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं, जब तक कि एससीसी में कुछ और न बताया गया हो, बिना किसी ब्याज के।

1.43.7 किसी भी अनुबंध में बदलाव होने पर, आपूर्तिकर्ता को ऐसा बदलाव मिलने के 21 दिनों के अंदर, निष्पादन सुरक्षा में बदलाव करना होगा, जिससे वह अनुबंध के समय के लिए वैध हो जाएगा, और उसके बाद 60 दिनों के लिए और बदलाव किया जाएगा।

1.43.8 निष्पादन सुरक्षा 21 दिनों के अंदर मिल जानी चाहिए। हालांकि, खरीदने वाले के पास निष्पादन सुरक्षा (पीएस) जमा करने की टाइम फ्रेम बढ़ाने का अधिकार है। टाइम बढ़ाने के बाद भी, अगर पीएस नहीं मिलता है, तो अनुबंध कैंसिल किया जा सकता है, बशर्ते खरीदने वाला, यह मानकर कि यह कार्टेलाइजेशन का मामला नहीं है और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की इंटीग्रिटी बनी हुई है, वह, ठोस वजहों से, अगले सफल बिडर को पहले सफल बिडर की वित्तीय बोली से मैच करने का मौका दे सकता है, और अगर ऑफर मान लिया जाता है, तो अगले सफल बिडर को पहले सफल बिडर की मूल्य बिड पर अनुबंध दे सकता है।

1.43.9 जब भी बोली लगाने वाला बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन सुरक्षा जमा करना चाहे, तो उसे बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंकर को तुरंत रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी) से गारंटी की बिना स्टाम्प वाली डुप्लीकेट कॉपी सीधे खरीदार को भेजने की सलाह देनी चाहिए, साथ में एक कवरिंग लेटर भी होना चाहिए ताकि वह असली होने, वगैरह के लिए ओरिजिनल बीजी से तुलना कर सके।

1.44. <u>प्री-बिड कॉन्फ्रेंस (पीबीसी) (लागू नहीं)</u>

1.44.1 अगर कोई हो, तो बिड के इनविटेशन में बताए गए अनुसार एक प्री-बिड कॉन्फ्रेंस होगी। सभी होने वाले बिडर्स से अनुरोध है कि वे कृपया प्री-बिड कॉन्फ्रेंस में शामिल हों। खरीदार को प्री-बिड कॉन्फ्रेंस को ठीक से करने में मदद करने के लिए, सभी होने वाले बिडर्स से अनुरोध है कि वे कृपया अपने सवाल (लिफाफे के ऊपर निविदा नंबर और तारीख और "प्री-बिड कॉन्फ्रेंस के लिए सवाल" लिखे हुए) जमा करें, ताकि वे बिड के इनविटेशन में बताए गए अनुसार खरीदार तक पहुंच सकें। खरीदार प्री-बिड कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देगा, जो प्री-बिड कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई का हिस्सा बन जाएगा। प्री-बिड कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई खरीदार की वेबसाइट पर होस्ट की जाएगी। अपनी बिड बनाने और जमा करने से पहले, सभी होने वाले बिडर्स को सलाह दी जाती है कि वे प्री-बिड कॉन्फ्रेंस के बाद खरीदार की वेबसाइट देखें, ताकि वे बदले हुए निविदा की शर्तों को जान सकें।

1.45 <u>इंटीग्रिटी पैक्ट</u>

1.45.1 सत्यनिष्ठा पैक्ट क्रेता और विक्रेता दोनों को बोलीदाताओं के पूर्व चयन , बोली लगाने और अनुबंध करने , कार्यान्वयन, अनुबंध से संबंधित संचालन और संचालन जैसी सभी गतिविधियों में नैतिक आचरण और पारदर्शिता के लिए बाध्य करती है ।

1.45.2 इंटीग्रिटी पैक्ट में असल में होने वाले वेंडर/बोली लगाने वालों और खरीदार के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें दोनों तरफ के लोग/अधिकारी अनुबंध के किसी भी हिस्से/स्टेज में कोई करप्ट काम नहीं करने के लिए कमिटेड होते हैं। सिर्फ़ वही वेंडर/बोली लगाने वाले, जो खरीदार के साथ ऐसे पैक्ट के लिए कमिटेड होते हैं, उन्हें ही बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के

लिए काबिल माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, इस पैक्ट में शामिल होना एक शुरुआती क्वालिफिकेशन होगी। पैक्ट के ज़रूरी इंग्रीडिएंट्स में शामिल हैं:

i) क्रेता की ओर से सभी बोलीदाताओं के साथ न्याय और विवेक से व्यवहार करने तथा ऐसा कोई लाभ न मांगने या स्वीकार न करने का वादा, जो कानूनी रूप से उपलब्ध न हो;

ii) बोलीदाताओं की ओर से क्रेता के कर्मचारियों को कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं होने वाला कोई भी लाभ नहीं देने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत कोई अपराध नहीं करने का वादा;

iii) बिडर्स की तरफ से यह वादा कि वे कीमतों, स्पेसिफिकेशन्स, सर्टिफिकेशन्स, सब्सिडियरी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के बारे में दूसरे बिडर्स के साथ कोई भी अनडिस्क्लोज्ड एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे।

iv) बोलीदाताओं द्वारा (फॉल क्लॉज के भाग के रूप में) यह वचन देना कि उन्होंने समान सामग्री/उपकरण को बोली मूल्य से कम कीमत पर नहीं बेचा है और न ही बेचेंगे;

iv) विदेशी बोलीदाताओं को भारत में एजेंटों और प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करना होगा और भारतीय बोलीदाताओं को अपने विदेशी प्रिंसिपलों या सहयोगियों का खुलासा करना होगा;

v) बोली लगाने वालों को एजेंटों/दलालों या किसी अन्य बिचौलिए को किए जाने वाले भुगतानों का खुलासा करना होगा;

vi) बोलीदाताओं को निर्दिष्ट अवधि के दौरान भारत या विदेश में किसी अन्य कंपनी के साथ किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन का खुलासा करना होगा जो भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धांत पर असर डाल सकता है;

vii) इंटेग्रिटी पैक्ट किसी भी उल्लंघन के लिए सज़ा देने वाली कार्रवाई तय करता है।

1.45.3 ऐसे इंटीग्रिटी पैक्ट प्रोफ़ॉर्मा के हर पेज पर खरीदार के काबिल **हस्ताक्षरकर्ता** के **हस्ताक्षर** होंगे। बिडर को इंटीग्रिटी पैक्ट के सभी पेज (**तकनीकी बोली** के साथ) उसी **हस्ताक्षरकर्ता** के **हस्ताक्षर** के साथ वापस करने होंगे जिसने बिड पर **हस्ताक्षर** किया था, यानी जो बिड पर **हस्ताक्षर** करने और अपनी कंपनी की तरफ से बाइंडिंग कमिटमेंट करने के लिए सही तरीके से ऑथराइज़्ड है। कोई भी बिड जिसके साथ बिडर का **हस्ताक्षर** किया हुआ इंटीग्रिटी पैक्ट नहीं होगा, उसे नॉन-रिस्पॉन्सिव बिड माना जाएगा और उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा ।

1.45.4 एससीसी यह बताएगा कि अलग से इंटीग्रिटी पैक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं।

1.45.5 इंटीग्रिटी पैक्ट बिड्स के इनविटेशन की तारीख से लेकर अनुबंध के पूरे होने तक लागू रहेगा।

1.45.6 आईपी की ज़रूरत पड़ने पर इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स (आईईएम) के नाम और संपर्क विवरणएससीसी में दिए गए हैं।

1.45.7 आईपी का मॉडल फ़ॉर्मेट चैप्टर-8 में है।

अध्याय दो
अनुबंध की शर्तें
सामान्य शर्तें (जीसीसी)

विषयसूची

क्रम संख्या	खंड
2.1	परिभाषाएँ
2.2	अनुबंध दस्तावेज़
2.3	सत्यनिष्ठा संहिता
2.4	संयुक्त उद्यम, संघ या एसोसिएशन
2.5	आपूर्ति का दायरा
2.6	आपूर्तिकर्ता की ज़िम्मेदारियाँ
2.7	अनुबंध मूल्य
2.8	कॉपीराइट
2.9	आवेदन
2.10	मानक
2.11	अनुबंध दस्तावेज और जानकारी का इस्तेमाल
2.12	पेटेंट क्षतिपूर्ति
2.13	परफ़ोर्मेंस सिक्युरिटी
2.14	निरीक्षण और परीक्षण
2.15	पैकिंग
2.16	सुपुर्दगी और दस्तावेज़
2.17	बीमा
2.18	परिवहन
2.19	आकस्मिक सेवाएँ
2.20	स्पेयर पार्ट्स
2.21	वारंटी
2.22	भुगतान की शर्तें
2.23	चेंज ऑर्डर और अनुबंध में बदलाव
2.24	असाइनमेंट
2.25	उप-अनुबंध
2.26	समय विस्तार
2.27	परिसमाप्त क्षति खंड
2.28	चूक के लिए समाप्ति
2.29	अपरिहार्य घटना
2.30	दिवालियापन के लिए समाप्ति
2.31	सुविधा के लिए समाप्ति
2.32	विवादों का निपटारा
2.33	शासकीय भाषा

2.34	लागू कानून
2.35	सूचना
2.36	कर और शुल्क
2.37	दोषपूर्ण वस्तुओं के उपयोग का अधिकार
2.38	क्षति से सुरक्षा
2.39	साइट की तैयारी और स्थापना
2.40	आयात और निर्यात लाइसेंस
2.41	जोखिम खरीद खंड
2.42	विकल्प खंड
2.43	इंटीग्रिटी पैक्ट
2.44	आदेश स्वीकृति

अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

2.1 परिभाषाएँ

2.1.1 नीचे दिए गए शब्दों और बातों का वही मतलब होगा जो उन्हें दिया गया है:

(क) "अनुबंध" का मतलब है खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच किया गया अनुबंध समझौता, साथ ही उसमें बताए गए अनुबंध दस्तावेज, जिसमें सभी अटैचमेंट, अपेंडिक्स और उसमें बताए गए सभी दस्तावेज शामिल हैं।

(ख) "अनुबंध दस्तावेज" का मतलब अनुबंध समझौता में लिस्टेड दस्तावेज हैं, जिसमें उनमें कोई भी बदलाव शामिल हैं।

(ग) "अनुबंधमूल्य" का मतलब है आपूर्तिकर्ता को दिया जाने वाला मूल्य, जैसा कि अनुबंध समझौता में बताया गया है, और इसमें अनुबंध के तहत किए गए बदलाव और एडजस्टमेंट या कटौतियां शामिल होंगी।

(घ) 'दिन' का तात्पर्य कैलेंडर दिवस से है।

(च) "पूरा करना" का मतलब है, अनुबंध में तय नियमों और शर्तों के मुताबिक आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान और उससे जुड़ी सर्विसेज़ को पूरा करना।

(छ) “जीसीसी” का तात्पर्य अनुबंध की सामान्य शर्तों से है।

(ज) "माल" का मतलब है सभी कमोडिटी, कच्चा माल, मशीनरी और उपकरण, और/या दूसरी सामग्री जो आपूर्तिकर्ता को अनुबंध के तहत खरीदार को सप्लाई करनी होती है।

(झ) "संबंधित सेवाओं" का अर्थ है माल की आपूर्ति से संबंधित सेवाएं, जैसे परिवहन, बीमा, स्थापना, प्रशिक्षण और प्रारंभिक रखरखाव और अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता के ऐसे अन्य दायित्व।

(ट) “एससीसी” का तात्पर्य अनुबंध की विशेष शर्तों से है।

(ठ) "उपठेकेदार" का तात्पर्य किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति, निजी या सरकारी संस्था, या उपरोक्त के संयोजन से है, जिसे आपूर्ति किए जाने वाले माल का कोई हिस्सा या संबंधित सेवाओं के किसी हिस्से का निष्पादन आपूर्तिकर्ता द्वारा उप-ठेके पर दिया जाता है।

(ड) आपूर्तिकर्ता” का तात्पर्य उस प्राकृतिक व्यक्ति, निजी या सरकारी संस्था, अथवा उपरोक्त के संयोजन से है, जिसकी अनुबंध निष्पादित करने की बोली क्रेता द्वारा स्वीकार कर ली गई है और अनुबंध करार में उसका नाम इस रूप में रखा गया है।

(ढ) “परिषद” का तात्पर्य वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) से है, जो भारत सरकार के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001, भारत में है।

(न) 'क्रेता' का तात्पर्य एससीसी में विनिर्दिष्ट भारत में किसी निर्दिष्ट स्थान पर स्थित परिषद की किसी भी घटक प्रयोगशाला/संस्थान से है।

(त) "अंतिम गंतव्य", जहां लागू हो, का तात्पर्य एस.सी.सी. में नामित स्थान से है।

2.2 अनुबंध दस्तावेज़

2.2.1 अनुबंध समझौता में बताए गए क्रम के अनुसार, अनुबंध बनाने वाले सभी दस्तावेज (और उसके सभी हिस्से) एक-दूसरे से जुड़े, एक-दूसरे को पूरा करने वाले और एक-दूसरे को समझाने वाले होने चाहिए। अनुबंध समझौता को पूरा पढ़ा जाएगा।

2.3 सत्यनिष्ठा संहिता

2.3.1 पूर्व न्यायाधिकरण के बिना और इसके अतिरिक्त बोली दस्तावेजों या अनुबंध के अनुसार खरीदार के दंडात्मक प्रावधानों के अधिकार के साथ , यदि खरीदार किसी निष्कर्ष पर पहुंचता हैकि (प्रो स्पेक टिव) बोलीदाता / आपूर्तिकर्ता, सीधे या किसी एजेन्ट के माध्यम से , अनुबंध करने में या अनुबंध निष्पादित करने में अखंडता के इस कोड का उल्लंघन किया है, क्रेता निम्नलिखित में से एक या अधिक को शामिल करते हुए उचित उपाय कर सकता है :

क) संबंधित अनुबंध को रद्द करना और खरीदार द्वारा उठाए गए नुकसान के लिए मुआवजे की वसूली;

ख) खरीद से संबंधित किसी अन्य सुरक्षा या बांड को जब्त करना या भुनाना;

ग) खरीदार द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान, अगर कोई हो, सहित भुगतान की रिकवरी, उस पर मौजूदा रेट पर ब्याज के साथ।

घ) ऊपर दिए गए के अलावा प्रावधान:

1) रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता की लिस्ट से हटाना और बोली लगाने वाले को कम से कम एक साल के लिए खरीदार की भविष्य की खरीद में हिस्सा लेने से बैन करना/रोकना;

2) प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के मामले में, आगे की प्रक्रिया के लिए सूचना संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में दायर की जा सकती है;

3) ज़िम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या स्टाफ़ के ख़िलाफ़ सही डिसिप्लिनरी या क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करना।

2.4 संयुक्त उद्यम, संघ या एसोसिएशन

2.4.1 अगर आपूर्तिकर्ता एक जॉइंट वेंचर, कंसोर्टियम, या एसोसिएशन है, तो अनुबंध के नियमों को पूरा करने के लिए सभी पार्टियां खरीदार के प्रति जॉइंटली और सेवरली ज़िम्मेदार होंगी और जॉइंट वेंचर, कंसोर्टियम, या एसोसिएशन को बांधने के अधिकार के साथ एक पार्टी को लीडर के तौर पर चुनेंगे। खरीदार की पहले से मंज़ूरी के बिना जॉइंट वेंचर, कंसोर्टियम, या एसोसिएशन की बनावट या संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

2.5 आपूर्ति का दायरा

2.5.1 सप्लाई किए जाने वाले सामान और संबंधित सर्विस, चैप्टर 4 में बताए गए स्पेसिफिकेशन और उससे जुड़े टेक्निकल डिटेल्स के अनुसार होंगे।

2.6 आपूर्तिकर्ता की ज़िम्मेदारियाँ

2.6.1 आपूर्तिकर्ता, सप्लाई के दायरे में शामिल सभी सामान और संबंधित सर्विस की सप्लाई जीसीसी के सप्लाई क्लॉज़ के अनुसार करेगा, और सुपुर्दगी और दस्तावेज से जुड़े जीसीसी क्लॉज़ के अनुसार सुपुर्दगी और कंप्लीशन शेड्यूल बनाएगा।

2.7 अनुबंध मूल्य

2.7.1 अनुबंध के तहत सप्लाई किए गए सामान और दी गई संबंधित सर्विसेज़ के लिए आपूर्तिकर्ता जो कीमतें लेगा, वे आपूर्तिकर्ता की बोली में बताई गई कीमतों से अलग नहीं होंगी।

2.8 कॉपीराइट

2.8.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा खरीदार को दिए गए सभी ड्रॉइंग, दस्तावेज, और डेटा और जानकारी वाले दूसरे मटीरियल का कॉपीराइट आपूर्तिकर्ता के पास रहेगा, या, अगर वे खरीदार को सीधे या आपूर्तिकर्ता के ज़रिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें मटीरियल के आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं, तो ऐसे मटीरियल का कॉपीराइट उस तीसरे पक्ष के पास रहेगा।

2.9 आवेदन

2.9.1 ये जनरल कंडीशंस तब तक लागू होंगी जब तक अनुबंध के दूसरे हिस्सों के प्रोविज़न्स इनकी जगह न लें।

2.10 मानक

2.10.1 इस अनुबंध के तहत सप्लाई किया गया सामान और दी जाने वाली सर्विस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगी, और जब कोई लागू स्टैंडर्ड न बताया गया हो, तो सामान के देश के लिए सही ऑथराइज़्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगी और ऐसे स्टैंडर्ड संबंधित संस्था द्वारा जारी किए गए सबसे नए स्टैंडर्ड होंगे।

2.11 अनुबंध दस्तावेज और जानकारी का इस्तेमाल

2.11.1 आपूर्तिकर्ता, खरीदार की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना, अनुबंध, या उसका कोई भी नियम, या खरीदार की तरफ़ से या उसके बारे में दिया गया कोई भी स्पेसिफिकेशन, प्लान, ड्राइंग, पैटर्न, सैंपल या जानकारी, अनुबंध को पूरा करने के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा काम पर रखे गए व्यक्ति के अलावा किसी और को नहीं बताएगा। ऐसे किसी भी काम पर रखे गए व्यक्ति को यह जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और सिर्फ़ वहीं तक दी जाएगी, जहाँ तक ऐसे काम के लिए ज़रूरी हो।

2.11.2 आपूर्तिकर्ता, खरीदार की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना, अनुबंध पूरा करने के अलावा ऊपर बताए गए किसी भी दस्तावेज या जानकारी का इस्तेमाल नहीं करेगा।

2.11.3 अनुबंध के अलावा, ऊपर बताया गया कोई भी दस्तावेज, खरीदार की प्रॉपर्टी रहेगा और अगर खरीदार चाहे तो अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता का काम पूरा होने पर उसे (सभी कॉपी में) खरीदार को वापस कर दिया जाएगा।

2.12 पेटेंट क्षतिपूर्ति

2.12.1 आपूर्तिकर्ता, खरीदार के जीसीसी सब-क्लॉज 2.12.2 का पालन करने के अधीन, खरीदार और उसके कर्मचारियों और अधिकारियों को किसी भी तरह के सभी मुकदमों, कार्रवाई या प्रशासनिक कार्यवाही, दावों, मांगों, नुकसान, क्षति, लागत और खर्चों से बचाएगा और नुकसान से बचाएगा, जिसमें वकील की फीस और खर्च भी शामिल हैं, जो खरीदार को किसी भी पेटेंट, यूटिलिटी मॉडल, रजिस्टर्ड डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, या अनुबंध की तारीख पर रजिस्टर्ड या अन्यथा मौजूद किसी अन्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के किसी भी उल्लंघन या कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप हो सकता है:

(क) भारत में सामान का इंस्टॉलेशन या सामान का इस्तेमाल; और

(ख) गुड्स द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की किसी भी देश में बिक्री।

2.12.2 अगर खरीदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या कोई दावा किया जाता है, तो खरीदार तुरंत आपूर्तिकर्ता को इसकी सूचना देगा, और आपूर्तिकर्ता अपने खर्च पर और खरीदार के नाम पर ऐसी कार्रवाई या दावा कर सकता है और ऐसी किसी भी कार्रवाई या दावे के निपटारे के लिए कोई भी बातचीत कर सकता है ।

2.13 परफ़ोर्मेंस सिक्युरिटी

2.13.1 अवार्ड/पीओ का नोटिफिकेशन मिलने के 21 दिनों के अंदर, आपूर्तिकर्ता को एससीसी में बताई गई रकम में निष्पादन सुरक्षा देनी होगी, जो वारंटी पीरियड के 60 दिन बाद तक वैध होगी।

2.13.2 निष्पादन सुरक्षा से मिलने वाली रकम, आपूर्तिकर्ता के अनुबंध के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा न कर पाने की वजह से होने वाले किसी भी नुकसान के मुआवज़े के तौर पर खरीदार को दी जाएगी।

2.13.3 भारत के अंदर सप्लाई के लिए मिले ऑफ़र के लिए निष्पादन सुरक्षा भारतीय रुपये में होगी और दूसरे देशों से सप्लाई के लिए मिले ऑफ़र के मामले में अनुबंध की करेंसी में होगी या अगर निष्पादन सुरक्षा भारतीय एजेंट ने जमा की है, तो उसके बराबर भारतीय रुपये में होगी।

2.13.4 आयात के मामले में, पीएस प्रिंसिपल या इंडियन एजेंट द्वारा सबमिट किया जा सकता है और, देसी सोर्स से खरीद के मामले में, पीएसविनिर्माता या उनके ऑथराइज़्ड डीलर/बिडर द्वारा सबमिट किया जा सकता है।

2.13.5 निष्पादन सुरक्षा इनमें से किसी एक रूप में होगी:

(क) भारत में मौजूद किसी नेशनलाइज़्ड/शेड्यूल बैंक या विदेश में मौजूद किसी बैंक से बोली दस्तावेज में दिए गए फ़ॉर्म में जारी बैंक गारंटी या स्टैंड-बाय लेटर ऑफ़ क्रेडिट।

या

खरीदार के पक्ष में बैंकर चेक या अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट।

या

क्रेता के पक्ष में गिरवी रखी गई फिक्स्ड डिपॉज़िट रसीद ।

2.13.6 निष्पादन सुरक्षा खरीदार द्वारा डिस्चार्ज की जाएगी और आपूर्तिकर्ता को आपूर्तिकर्ता की निष्पादन ज़िम्मेदारियों, जिसमें कोई भी वारंटी ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं, के पूरा होने की तारीख के 60 दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी, जब तक कि एससीसी में कुछ और न बताया गया हो, बिना किसी ब्याज के।

2.13.7 किसी भी अनुबंध में बदलाव होने पर, आपूर्तिकर्ता को ऐसा बदलाव मिलने के 21 दिनों के अंदर, निष्पादन सुरक्षा में बदलाव करना होगा, जिससे वह अनुबंध के समय के लिए वैध हो जाएगा, और उसके बाद 60 दिनों के लिए और बदलाव किया जाएगा।

2.13.8 ऑर्डर कन्फर्मेशन 14 दिनों के अंदर मिल जाना चाहिए। हालांकि, खरीदने वाले के पास ऑर्डर कन्फर्मेशन जमा करने और निष्पादन सुरक्षा (पीएस) जमा करने की टाइम फ्रेम बढ़ाने का अधिकार है। टाइम बढ़ाने के बाद भी, अगर ऑर्डर कन्फर्मेशन /पीएस नहीं मिलते हैं, तो अनुबंधरद्द कर दिया जाएगा, बशर्ते खरीदने वाला, यह मानकर कि यह कार्टेलाइजेशन का मामला नहीं है और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की इंटीग्रिटी बनी हुई है, वह, ठोस वजहों से, अगले सफल बिडर को पहले सफल बिडर की वित्तीय बोली से मैच करने का मौका दे सकता है, और अगर ऑफर मान लिया जाता है, तो अगले सफल बिडर को पहले सफल बिडर की मूल्य बिड पर अनुबंध दे सकता है।

2.13.9 जब भी बोली लगाने वाला बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन सुरक्षा जमा करना चाहे, तो उसे बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंकर को तुरंत रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी) से गारंटी की बिना स्टाम्प वाली डुप्लीकेट कॉपी सीधे खरीदार को भेजने की सलाह देनी चाहिए, साथ में एक कवरिंग लेटर भी होना चाहिए ताकि वह असली होने, असली होने वगैरह के लिए ओरिजिनल बीजी से तुलना कर सके।

2.14 निरीक्षण और परीक्षण

2.14.1 ज़रूरी इंस्पेक्शन और टेस्ट, प्रशिक्षण की जानकारी बिडिंग दस्तावेज के चैप्टर-4 में दी गई होगी, जो स्पेसिफिकेशन और उससे जुड़ी टेक्निकल डिटेल्स से जुड़ा है।

2.15 पैकिंग

2.15.1 आपूर्तिकर्ता सामान की ऐसी पैकिंग करेगा जो अनुबंध में बताए गए तरीके से, सामान को उसकी आखिरी मंज़िल तक ले जाने के दौरान नुकसान या खराब होने से बचाने के लिए ज़रूरी हो। पैकिंग इतनी होनी चाहिए कि वह बिना किसी रोक-टोक के, सामान को उसकी आखिरी मंज़िल तक ले जाने और खुले में स्टोर करने के दौरान खराब हैंडलिंग और बहुत ज़्यादा तापमान, नमक और बारिश के संपर्क में आने का सामना कर सके। पैकिंग केस का साइज़ और वज़न, जहाँ ज़रूरी हो, सामान की आखिरी मंज़िल से दूरी और ट्रांज़िट के सभी पॉइंट पर भारी हैंडलिंग सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखेगा।

2.15.2 पैकेज के अंदर और बाहर पैकिंग, मार्किंग और डॉक्यूमेंटेशन, अनुबंध में दी गई खास ज़रूरतों का सख्ती से पालन करेंगे, जिसमें एससीसी और खरीदार द्वारा दिए गए किसी भी बाद के निर्देशों में बताई गई अतिरिक्त ज़रूरतें, अगर कोई हों, शामिल हैं।

2.16 सुपुर्दगी और दस्तावेज़

सामान की सुपुर्दगी और उसे पूरा करना और उससे जुड़ी सर्विस, आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुबंध में खरीदार द्वारा बताई गई शर्तों

के अनुसार की जाएंगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए जाने वाले शिपिंग और/या दूसरे दस्तावेज की जानकारी एससीसी में दी गई है।

2.16.2 एफओबी, एफसीए, सीआईएफ, सीआईपी, वगैरह शर्तें, इंटरनेशनल चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स, पेरिस द्वारा पब्लिश किए गए Inco शर्तों के मौजूदा एडिशन में बताए गए नियमों के हिसाब से चलेंगी।

2.16.3 ट्रांसपोर्टेशन का तरीका एससीसी में बताया गया होगा। अगर खरीदार एयर से ट्रांसपोर्टेशन करवाना चाहता है, तो एयर लिफ्टिंग सिर्फ़ एयर इंडिया से ही करानी होगी। अगर एयर इंडिया डिस्पैच के एयरपोर्ट पर ऑपरेट नहीं करती है, तो बिडर किसी दूसरी एयरलाइन की सर्विस लेने के लिए आज़ाद है।

2.17 बीमा

2.17.1 अगर खरीदार सीआईएफ/सीआईपी बेसिस पर खरीदना चुनता है, तो अनुबंध के तहत सप्लाई किया गया सामान एससीसी में बताए गए तरीके से मैन्युफैक्चरिंग या एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण और सुपुर्दगी से होने वाले किसी भी नुकसान या डैमेज के लिए पूरी तरह से इंश्योर्ड होगा।

2.17.2 जहां खरीदार को सीआईएफ या सीआईपी बेसिस पर सामान की सुपुर्दगी चाहिए, वहां आपूर्तिकर्ता कार्गो बीमा का इंतज़ाम करेगा और उसका भुगतान करेगा, खरीदार को बेनिफिशियरी बनाएगा और किसी भी नुकसान या डैमेज की स्थिति में सेटलमेंट तक दावा शुरू करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा।

2.17.3 जहां सुपुर्दगीएफओबी या एफसीए बेसिस पर होती है, वहां बीमा खरीदार की ज़िम्मेदारी होगी।

2.17.4 यह पक्का करने के लिए कि बीमा कंपनियों पर कोई दावा, अगर कोई हो, समय पर फाइल हो जाए, बिडर्स और/या इंडियन एजेंट की ज़िम्मेदारी होगी कि वे डिस्पैच डिटेल्स का पता लगाने के लिए अपने प्रिंसिपल्स से फ़ॉलो-अप करें और परचेज़र को बताएं। साथ ही, वह परचेज़र से संपर्क करके क्लियरेंस के बाद कंसाइनमेंट के आने का भी पता लगाएगा, ताकि उसके तुरंत बाद उसकी मौजूदगी में कंसाइनमेंट खोला जा सके और ज़रूरत पड़ने पर, बिना समय गंवाए बीमा दावा फाइल किया जा सके। बिडर्स/इंडियन एजेंट की तरफ से किसी भी तरह की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और देरी होने पर परचेज़र को हुए किसी भी नुकसान के लिए वह सीधे तौर पर ज़िम्मेदार होगा।

2.18 परिवहन

2.18.1 जहां अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता को सामान एफओबी डिलीवर करना होता है, वहां सामान के ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम आपूर्तिकर्ता करेगा और उसे बताए गए लोडिंग पोर्ट पर जहाज़ पर सामान रखने की जगह तक का भुगतान करेगा, और इसका खर्च अनुबंधमूल्य में शामिल होगा। जहां अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता को सामान एफसीए डिलीवर करना होता है, वहां सामान के ट्रांसपोर्ट और खरीदार द्वारा बताई गई जगह या किसी दूसरी तय जगह पर कैरियर की कस्टडी में सुपुर्दगी का इंतज़ाम आपूर्तिकर्ता करेगा और उसका भुगतान करेगा, और इसका खर्च अनुबंधमूल्य में शामिल होगा।

2.18.2 जहां अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता को सामान सीआईएफ या सीआईपी डिलीवर करना ज़रूरी है, वहां खरीदार के देश में डेस्टिनेशन पोर्ट या ऐसी किसी दूसरी बताई गई डेस्टिनेशन जगह तक सामान का ट्रांसपोर्ट, जैसा कि अनुबंध में बताया जाएगा, आपूर्तिकर्ता अरेंज करेगा और उसका भुगतान करेगा, और इसका खर्च अनुबंधमूल्य में शामिल होगा।

2.18.3 भारत के अंदर से सप्लाई के मामले में, जहाँ आपूर्तिकर्ता को अनुबंध के तहत सामान को भारत में एक तय जगह, जिसे फ़ाइनल डेस्टिनेशन कहा गया है, तक ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो अनुबंध में बताए गए बीमा और भंडारण सहित, ऐसी जगह तक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम आपूर्तिकर्ता करेगा, और उससे जुड़े खर्च अनुबंधमूल्य में शामिल होंगे।

2.19 आकस्मिक सेवाएँ

2.19.1 आपूर्तिकर्ता को बताई गई कोई भी या सभी सर्विस, जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल है, अगर कोई हो, देनी पड़ सकती है। अध्याय 4 में.

2.20 स्पेयर पार्ट्स

2.20.1 आपूर्तिकर्ता को उसके द्वारा बनाए या बांटे गए स्पेयर पार्ट्स से जुड़ी नीचे दी गई कोई भी या सभी चीज़ें, नोटिफ़िकेशन और जानकारी देनी होगी:

(a) ऐसे स्पेयर पार्ट्स जिन्हें खरीदार आपूर्तिकर्ता से खरीदने का चुनाव कर सकता है, लेकिन यह चुनाव आपूर्तिकर्ता को अनुबंध के तहत किसी भी वारंटी की ज़िम्मेदारी से राहत नहीं देगा; और

(ख) स्पेयर पार्ट्स का प्रोडक्शन बंद होने की स्थिति में:

(i) खरीदार को पेंडिंग टर्मिनेशन की एडवांस जानकारी, ताकि खरीदार को ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए काफ़ी समय मिल सके; और

(ii) ऐसे टर्मिनेशन के बाद, अगर अनुरोध की जाए, तो परचेज़र को बिना किसी खर्च के स्पेयर पार्ट्स के ब्लूप्रिंट, ड्रॉइंग और स्पेसिफिकेशन्स देना।

2.21 वारंटी

2.21.1 आपूर्तिकर्ता वारंटी देता है कि सभी सामान नए, बिना इस्तेमाल किए हुए, और सबसे नए या मौजूदा मॉडल के हैं, और यह कि वे डिजाइन और सामग्री में सभी हाल के सुधारों को शामिल करते हैं, जब तक कि अनुबंध में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो।

2.21.2 आपूर्तिकर्ता यह भी गारंटी देता है कि सामान, भारत में मौजूद हालात में नॉर्मल इस्तेमाल के तहत, आपूर्तिकर्ता के किसी काम या गलती से या डिज़ाइन, मटीरियल और कारीगरी से होने वाले किसी भी डिफेक्ट से फ्री होगा।

2.21.3 जब तक एस.सी.सी. में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, वारंटी माल या उसके किसी भाग, जैसा भी मामला हो, के एस.सी.सी. में इंगित अंतिम गंतव्य पर वितरित और स्वीकार किए जाने के बाद बारह (12) महीने के लिए या मूल देश में बंदरगाह या लोडिंग के स्थान से शिपमेंट की तारीख के बाद अठारह (18) महीने के लिए वैध रहेगी, जो भी अवधि पहले समाप्त हो।

2.21.4 खरीदार, आपूर्तिकर्ता को ऐसी किसी भी खराबी के बारे में बताते हुए, उसके सभी मौजूद सबूतों के साथ, तुरंत नोटिस देगा। खरीदार, आपूर्तिकर्ता को ऐसी खामियों की जांच करने का पूरा मौका देगा।

2.21.5 ऐसा नोटिस मिलने पर, आपूर्तिकर्ता, सही समय के अंदर, खराब सामान या उसके पार्ट्स को जल्दी से रिपेयर करेगा या बदलेगा, और इसके लिए खरीदार को कोई खर्च नहीं देना होगा।

2.21.6 अगर आपूर्तिकर्ता को बताया गया है, और वह सही समय के अंदर खराबी को ठीक नहीं कर पाता है, तो खरीदार सही समय के अंदर ज़रूरी सुधार का एक्शन ले सकता है, जो आपूर्तिकर्ता के रिस्क और खर्च पर होगा और अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता के खिलाफ खरीदार के किसी भी दूसरे अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

2.21.7 जिन सामानों को वारंटी में बदलने की ज़रूरत है, उन्हें खरीदार को मुफ़्त में बदलना होगा।

2.22 भुगतान की शर्तें

2.22.1 इस अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले भुगतान का तरीका और शर्तें एससीसी में बताई गई होंगी।

2.22.2 आपूर्तिकर्ता की भुगतान की अनुरोध खरीदार को लिखकर दी जाएगी, जिसके साथ एक इनवॉइस होगा जिसमें, अगर सही हो, डिलीवर किए गए सामान और दी गई सर्विसेज़ के बारे में बताया गया हो, और जीसीसी के सुपुर्दगी और दस्तावेज क्लॉज़ के तहत जमा किए गए दस्तावेज और अनुबंध में बताई गई दूसरी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने पर।

2.22.3 आपूर्तिकर्ता द्वारा इनवॉइस या दावा जमा करने के तीस (30) दिनों के बाद खरीदार को भुगतान तुरंत करना होगा, लेकिन

किसी भी हालत में नहीं। भुगतान का दावा करते समय, आपूर्तिकर्ता को बिल/इनवॉइस में यह सर्टिफ़ाई करना चाहिए कि जिस भुगतान का दावा किया जा रहा है, वह पूरी तरह से अनुबंध के नियमों के अनुसार है और भुगतान का दावा करने के लिए आपूर्तिकर्ता की ओर से सभी ज़िम्मेदारियाँ अनुबंध के तहत पूरी कर दी गई हैं।

2.22.4 भुगतानअनुबंध में बताई गई करेंसी में किया जाएगा।

2.23 चेंज ऑर्डर और अनुबंध में बदलाव

2.23.1 खरीदार किसी भी समय, जीसीसी के नोटिस के क्लॉज़ के अनुसार आपूर्तिकर्ता को लिखित ऑर्डर देकर अनुबंध के आम दायरे में नीचे दिए गए किसी एक या ज़्यादा में बदलाव कर सकता है:

(क) आवश्यक मात्रा में वृद्धि या कमी, क्वान्टिटी ओपिनियन खंड का प्रयोग;
(ख) सुपुर्दगी की अनुसूची और सुपुर्दगी की शर्तों में परिवर्तन;
(ग) निरीक्षण व्यवस्था में परिवर्तन;
(घ) भुगतान और वैधानिक शुल्कों के संदर्भ में परिवर्तन;
(च) किसी अन्य अप्रत्याशित स्थिति के कारण होने वाले परिवर्तन;

2.23.2 परचेज़ ऑर्डर जारी होने के बाद बताई गई कीमत में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, सिवाय कानूनी बदलावों के।

2.23.3 अनुबंध की शर्तों में कोई बदलाव या बदलाव पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए लिखित बदलाव के अलावा नहीं किया जाएगा।

2.24 असाइनमेंट

2.24.1 आपूर्तिकर्ता, खरीदार की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना, अनुबंध के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा या कुछ हिस्सा किसी और को नहीं देगा।

2.25 उप-अनुबंध

2.25.1 अगर बिड में पहले से बताया नहीं गया है, तो आपूर्तिकर्ता इस अनुबंध के तहत दिए गए सभी सब-अनुबंध के बारे में खरीदार को लिखकर बताएगा। ओरिजिनल बिड में या बाद में ऐसी जानकारी देने से आपूर्तिकर्ता को अनुबंध के तहत किसी भी लायबिलिटी, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन से राहत नहीं मिलेगी।

2.26 समय विस्तार .

2.26.1 सामान की सुपुर्दगी और सर्विस का काम आपूर्तिकर्ता द्वारा खरीदार द्वारा बताए गए समय के अनुसार किया जाएगा।

2.26.2 अगर अनुबंध के दौरान किसी भी समय, आपूर्तिकर्ता या उसके सब-कॉन्ट्रैक्टर को सामान की समय पर सुपुर्दगी और सर्विस देने में रुकावट डालने वाली स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो आपूर्तिकर्ता तुरंत खरीदार को देरी की वजह, उसके

संभावित समय और उसके कारणों के बारे में लिखकर बताएगा। आपूर्तिकर्ता का नोटिस मिलने के बाद जितनी जल्दी हो सके, खरीदार स्थिति की जांच करेगा और अपनी समझ से, आपूर्तिकर्ता के काम करने का समय लिक्विडेटेड डैमेज के साथ या बिना बढ़ा सकता है, ऐसे में पार्टियों द्वारा अनुबंध में बदलाव करके इस एक्सटेंशन को मंज़ूरी दी जाएगी।

2.26.3 जीसीसी के फ़ोर्स मेज्योर क्लॉज़ के तहत दिए गए नियमों को छोड़कर, अगर आपूर्तिकर्ता अपनी सुपुर्दगी की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में देरी करता है, तो आपूर्तिकर्ता को जीसीसी के लिक्विडेटेड डैमेज क्लॉज़ के तहत लिक्विडेटेड डैमेज देना होगा, जब तक कि ऊपर दिए गए क्लॉज़ के तहत बिना पेनल्टी क्लॉज़ लगाए समय बढ़ाने पर सहमति न हो जाए।

2.27 परिसमाप्त क्षतियाँ

2.27.1 जीसीसी क्लॉज़ ऑन फ़ोर्स मेज्योर के तहत, अगर आपूर्तिकर्ताअनुबंध में बताए गए समय के अंदर कोई या सभी सामान डिलीवर करने या सर्विस देने में फेल हो जाता है, तो खरीदार, अनुबंध के तहत अपने दूसरे उपायों पर बिना किसी असर के, अनुबंधमूल्य से पेनल्टी के तौर पर, एससीसी में बताए गए देरी से आए सामान या नहीं दी गई सर्विस की डिलीवर की गई कीमत के परसेंटेज के बराबर रकम काटेगा या अगर देरी से आए सामान या नहीं दी गई सर्विस की डिलीवर की गई कीमत अनुबंध से पता नहीं चल पाती है, तो अनुबंध वैल्यू के बराबर रकम काटेगा। यह रकम असल सुपुर्दगी या निष्पादन तक हर हफ़्ते या उसके हिस्से की देरी के लिए एससीसी में बताए गए परसेंटेज की ज़्यादा से ज़्यादा कटौती तक होगी। ज़्यादा से ज़्यादा रकम पहुंचने पर, खरीदार डिफ़ॉल्ट के लिए टर्मिनेशन पर जीसीसी क्लॉज़ के अनुसार अनुबंध खत्म करने पर विचार कर सकता है।

2.28 चूक के लिए समाप्ति

2.28.1 खरीदार, अनुबंध तोड़ने पर किसी दूसरे उपाय पर असर डाले बिना, आपूर्तिकर्ता को डिफॉल्ट का लिखित नोटिस भेजकर, अनुबंध को पूरी तरह या कुछ हिस्से में खत्म कर सकता है।

(क) अगर आपूर्तिकर्ताअनुबंध में बताए गए समय के अंदर, या जीसीसी क्लॉज़ ऑन एक्सटेंशन ऑफ़ टाइम के तहत खरीदार द्वारा दी गई किसी भी एक्सटेंशन के अंदर कोई या सभी सामान डिलीवर करने में फेल हो जाता है; या

(ख) अगर आपूर्तिकर्ताअनुबंध के तहत कोई दूसरी ज़िम्मेदारी पूरी करने में फेल हो जाता है।

(ग) अगर आपूर्तिकर्ता, खरीदार के हिसाब से, अनुबंध के लिए मुकाबला करने या उसे पूरा करने में जीसीसी क्लॉज़ और आईटीबी क्लॉज़ ऑन कोड ऑफ़ इंटेग्रिटी में बताए गए भ्रष्ट या धोखाधड़ी वाले या मिलीभगत वाले या ज़बरदस्ती वाले कामों वगैरह में शामिल रहा है।

2.28.2 अगर खरीदार अनुबंध को पूरी तरह या कुछ हिस्से में खत्म करता है, तो वह नीचे दिए गए एक्शन में से कोई एक या ज़्यादा एक्शन ले सकता है :

(क) परफ़ोर्मेंस सिक्युरिटी जब्त कर ली जाएगी;

(ख) खरीदार, अपनी शर्तों पर और सही तरीके से, बिना डिलीवर किए गए सामान जैसा सामान खरीद सकता है, और आपूर्तिकर्ताअनुबंध के हिसाब से उसके खिलाफ सभी कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार होगा।

(ग) हालांकि, आपूर्तिकर्ताअनुबंध को तब तक पूरा करता रहेगा जब तक वह खत्म न हो जाए।

2.29 अपरिहार्य घटना

2.29.1 समय बढ़ाने, लिक्विडेटेड डैमेज और डिफ़ॉल्ट के लिए टर्मिनेशन से जुड़े जीसीसी क्लॉज़ के नियमों के बावजूद, आपूर्तिकर्ता अपनी निष्पादन सुरक्षा, लिक्विडेटेड डैमेज या डिफ़ॉल्ट के लिए टर्मिनेशन के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, अगर और उस हद तक, निष्पादन में उसकी देरी या अनुबंध के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में दूसरी नाकामी किसी फ़ोर्स मेज्योर की वजह से होती है।

2.29.2 इस क्लॉज़ के लिए, "फ़ोर्स मेज्योर" का मतलब है ऐसी घटना या स्थिति जो आपूर्तिकर्ता के कंट्रोल से बाहर हो, जिसका अंदाज़ा न लगाया जा सके, जिसे टाला न जा सके, और जिसकी शुरुआत आपूर्तिकर्ता की लापरवाही या देखभाल की कमी से न हुई हो। ऐसी घटनाओं में, परचेज़र के अपनी सॉवरेन हैसियत से किए गए काम, युद्ध या क्रांति, आग, बाढ़, महामारी, क्वारंटाइन पाबंदियां, और माल ढुलाई पर रोक शामिल हो सकती हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

2.29.3 अगर कोई फ़ोर्स मेज्योर सिचुएशन आती है, तो आपूर्तिकर्ता खरीदार को ऐसी सिचुएशन और उसके होने के 21 दिनों के अंदर उसके कारण के बारे में लिखकर बताएगा। जब तक खरीदार लिखकर कुछ और न कहे, आपूर्तिकर्ताअनुबंध के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को जहाँ तक हो सके, पूरा करता रहेगा, और फ़ोर्स मेज्योर इवेंट से न रोके गए कामों को पूरा करने के लिए सभी सही दूसरे तरीके ढूंढेगा।

2.29.4 अगर अनुबंध के तहत किसी भी ज़िम्मेदारी को पूरा या कुछ हिस्सा पूरा करने में, किसी भी वजह से 60 दिनों से ज़्यादा समय के लिए रुकावट आती है या देरी होती है, तो कोई भी पार्टी अपनी मर्ज़ी से अनुबंध खत्म कर सकती है, और दोनों तरफ़ से कोई भी फ़ाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा।

2.30 दिवालियापन के लिए समाप्ति

2.30.1 अगर आपूर्तिकर्ता बैंकरप्ट हो जाता है या किसी और तरह से इनसॉल्वेंट हो जाता है, तो परचेज़र किसी भी समय आपूर्तिकर्ता को लिखकर नोटिस देकर अनुबंध खत्म कर सकता है। इस मामले में, अनुबंध खत्म करने पर आपूर्तिकर्ता को कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा खत्म करने से परचेज़र को मिले या बाद में मिलने वाले किसी भी एक्शन या रेमेडी के अधिकार पर कोई बुरा असर न पड़े।

2.31 सुविधा के लिए समाप्ति

2.31.1 खरीदार, आपूर्तिकर्ता को लिखकर नोटिस भेजकर, किसी भी समय अनुबंध को पूरा या कुछ हिस्सा खत्म कर सकता है। खत्म करने के नोटिस में यह बताया जाएगा कि खत्म करना खरीदार की सुविधा के लिए है, अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता का काम किस हद तक खत्म किया गया है, और वह तारीख जिससे यह खत्म होना लागू होगा।

2.31.2 आपूर्तिकर्ता को टर्मिनेशन का नोटिस मिलने के 30 दिनों के अंदर जो सामान पूरा हो जाएगा और शिपमेंट के लिए तैयार होगा, उसे खरीदार अनुबंध की शर्तों और कीमतों पर स्वीकार करेगा। बाकी सामान के लिए, खरीदार चुन सकता है:

(क) किसी भी हिस्से को अनुबंध की शर्तों और कीमतों पर पूरा करके डिलीवर करवाना; और/या

(ख) बाकी को रद्द करना और आपूर्तिकर्ता को आधे-अधूरे बने सामान और आपूर्तिकर्ता द्वारा पहले खरीदे गए सामान और पार्ट्स के लिए तय रकम देना।

2.32 <u>विवादों का निपटारा</u>

2.32.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता, अनुबंध के तहत या उससे जुड़े किसी भी मतभेद या विवाद को सीधे इनफॉर्मल बातचीत से आपसी सहमति से सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे।

2.32.2 अगर, इक्कीस (21) दिनों के बाद भी, पार्टियां आपसी सलाह-मशविरे से अपने झगड़े या मतभेद को सुलझाने में नाकाम रहती हैं, तो खरीदार या आपूर्तिकर्ता, झगड़े वाले मामले के बारे में, जैसा कि आगे बताया गया है, दूसरी पार्टी को आर्बिट्रेशन शुरू करने के अपने इरादे का नोटिस दे सकते हैं, और जब तक ऐसा नोटिस न दिया जाए, इस मामले में कोई आर्बिट्रेशन शुरू नहीं किया जा सकता। कोई भी झगड़ा या मतभेद जिसके बारे में इस क्लॉज़ के अनुसार आर्बिट्रेशन शुरू करने के इरादे का नोटिस दिया गया है, उसे आखिरकार आर्बिट्रेशन से सुलझाया जाएगा। अनुबंध के तहत सामान की सुपुर्दगी से पहले या बाद में आर्बिट्रेशन शुरू किया जा सकता है।

2.32.3 विवाद निपटान तंत्र/मध्यस्थता कार्यवाही निम्नानुसार समाप्त की जाएगी:

(क) अगर इस एग्रीमेंट के किसी भी प्रोविज़न के कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन, असर और मतलब को लेकर पार्टियों के बीच कोई झगड़ा या मतभेद होता है, जिसमें किसी पार्टी के दूसरे के खिलाफ़ या इन प्रोविज़न के तहत किसी दूसरे मामले के संबंध में अधिकार या देनदारियां या कोई दावा या मांग शामिल है, लेकिन ऐसे किसी भी मामले को छोड़कर, जिसके फैसले या निर्धारण के लिए इस एग्रीमेंट में साफ तौर पर बताया गया है, ऐसे झगड़े या मतभेद दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (डीआईएसी), नई दिल्ली को भेजे जाएंगे।

(ख) खरीदार और विदेशी आपूर्तिकर्ता के बीच झगड़े की स्थिति में, झगड़े को ऊपर दिए गए सब-क्लॉज (क) के नियम के अनुसार आर्बिट्रेशन से सुलझाया जाएगा। लेकिन अगर यह आपूर्तिकर्ता को मंज़ूर नहीं है, तो झगड़े को यूएनसीआईटीआरएएल (यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ) आर्बिट्रेशन रूल्स के नियमों के अनुसार सुलझाया जाएगा।

2.32.4 आर्बिट्रेशन की जगह वह जगह होगी जहां से परचेज़ ऑर्डर या अनुबंध जारी किया गया है।

2.32.5 यहां आर्बिट्रेशन के किसी भी संदर्भ के बावजूद,

(क) जब तक वे किसी और बात पर सहमत न हों, पार्टियां अनुबंध के तहत अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करती रहेंगी; और

(ख) खरीदार आपूर्तिकर्ता को देय कोई भी धनराशि का भुगतान करेगा।

2.33 शासकीय भाषा

2.33.1 अनुबंधअंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा, जिससे उसका मतलब निकाला जाएगा। अनुबंध से जुड़े सभी लेटर और दूसरे दस्तावेज, जो पार्टियों के बीच एक्सचेंज किए जाएंगे, सिर्फ़ अंग्रेजी भाषा में लिखे जाएंगे।

2.34 लागू कानून

2.34.1 अनुबंध का मतलब भारत संघ के कानूनों के अनुसार निकाला जाएगा और सभी झगड़े एससीसी में बताए गए अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

2.35 नोटिस

2.35.1 इस अनुबंध/ऑर्डर के तहत एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिया गया कोई भी नोटिस, दूसरी पार्टी को लिखकर या केबल, टेलेक्स, फैक्स, ई-मेल से भेजा जाएगा या एससीसी में बताए गए दूसरी पार्टी के पते पर लिखकर कन्फर्म किया जाएगा।

2.35.2 नोटिस डिलीवर होने पर या नोटिस की इफेक्टिव तारीख पर, जो भी बाद में हो, इफेक्टिव होगा।

2.36 कर और शुल्क

2.36.1 भारत के बाहर बने सामान के लिए, आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर लगाए गए सभी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, लाइसेंस फीस और दूसरी ऐसी लेवी के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा।

2.36.2 भारत में बने सामान के लिए, आपूर्तिकर्ता उसके फाइनल मैन्युफैक्चर/प्रोडक्शन तक लगने वाले सभी टैक्स, ड्यूटी, लाइसेंस फीस वगैरह के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा।

2.36.3 अगर भारत में आपूर्तिकर्ता को कोई टैक्स छूट, कटौती, अलाउंस या खास अधिकार मिल सकते हैं, तो खरीदने वाला पूरी कोशिश करेगा कि आपूर्तिकर्ता को ऐसी किसी भी टैक्स बचत का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके।

2.36.4 **अनुबंध के तहत सभी भुगतान, जहाँ भी लागू हो, कानूनी लेवी (जैसे IT, वगैरह) काटने के बाद किए जाएँगे।**

2.36.5 **सीमा शुल्क** – यदि आपूर्ति विदेश से है तो इस संस्थान को अधिसूचना संख्या 51/96 – सीमा शुल्क के अनुसार माल आयात करने की अनुमति है और सभी आयातों पर अधिसूचना 24/2002 – सीमा शुल्क के अनुसार 5% तक रियायती शुल्क का भुगतान करने की अनुमति है।

2.37 दोषपूर्ण वस्तुओं के उपयोग का अधिकार

2.37.1 अगर सुपुर्दगी, एक्सेप्टेंस और इंस्टॉलेशन के बाद और गारंटी और वारंटी पीरियड के अंदर, सामान का ऑपरेशन या इस्तेमाल ठीक नहीं पाया जाता है, तो खरीदने वाले को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे सामान को तब तक ऑपरेट या इस्तेमाल करता रहे, जब तक कि रिपेयर या थोड़ा या पूरा रिप्लेसमेंट करके डिफेक्ट, गलती या कमी को ठीक नहीं कर दिया जाता, और खरीदने वाले के ऑपरेशन में कोई रुकावट नहीं आएगी।

2.38 क्षति से सुरक्षा

2.38.1 पावर फेलियर और ट्रिप आउट के दौरान सिस्टम को नुकसान होने का खतरा नहीं होना चाहिए। साइट पर उपलब्ध नॉर्मल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की स्थिति इस प्रकार है:

(ए)वोल्टेज 230 वोल्ट – सिंगल फेज/ 415 वी 3 फेज (+_ 10%)

(ख) आवृत्ति 50 हट्र्ज.

2.39 साइट की तैयारी और स्थापना

2.39.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा बताए गए टेक्निकल और एनवायरनमेंटल स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से उपकरण साइट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदार पूरी तरह से ज़िम्मेदार है। खरीदार तय इंस्टॉलेशन डेट से पहले इंस्टॉलेशन साइट्स तय करेगा ताकि अगर ज़रूरी हो, तो आपूर्तिकर्ताउपकरण के इंस्टॉलेशन से पहले साइट्स के सही होने को वेरिफाई करने के लिए साइट इंस्पेक्शन कर सके। आपूर्तिकर्ता, अवॉर्ड/अनुबंध की नोटिफिकेशन के तुरंत बाद खरीदार को उसकी साइट पर सामान के इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी साइट तैयारी के बारे में बताएगा, अगर कोई हो।

2.40 आयात और निर्यात लाइसेंस

2.40.1 अगर ऑर्डर किया गया सामान भारत में एक्जिम नीति की प्रतिबंधित श्रेणी में आता है, तो वेंडर/एजेंट भारत में ज़रूरी लाइसेंस लेने के लिए ऐसी जानकारी दे सकता है।

2.40.2 अगर ऑर्डर किए गए उपकरण के लिए वेंडर को उस तय सरकारी एजेंसी/देश से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होगा, जहाँ से सामान भेजा/बेचा जाता है, तो वेंडर को सरकारी एजेंसी/अथॉरिटी का नाम, पता बताना होगा। वेंडर को यह भी बताना होगा कि नॉर्मल तौर पर लाइसेंस कितने समय में दिया जाएगा।

2.41 जोखिम खरीद खंड

2.41.1 अगर आपूर्तिकर्ताअनुबंध या परचेज़ ऑर्डर में बताए गए ज़्यादा से ज़्यादा सुपुर्दगी टाइम के अंदर सामान डिलीवर नहीं कर पाता है, तो खरीदार, ऐसी शर्तों पर और ऐसे तरीके से जैसा उसे सही लगे, बिना डिलीवर हुए सामान या सर्विस के जैसे सामान या सर्विस खरीद सकता है और आपूर्तिकर्ता ऐसे सामान या सर्विस के लिए हुए किसी भी ज़्यादा खर्च के लिए खरीदार के प्रति ज़िम्मेदार होगा।

2.42 विकल्प खंड

2.42.1 खरीदार के पास यह अधिकार है कि वह ज़रूरी सामान की मात्रा को फ़ाइनल सुपुर्दगी डेट (या अनुबंध की बढ़ी हुई सुपुर्दगी डेट) तक, किसी भी समय, सही नोटिस देकर 25% (पच्चीस) परसेंट तक बढ़ा या घटा सकता है, भले ही शुरू में ऑर्डर की गई मात्रा सुपुर्दगी पीरियड (या बढ़ी हुई सुपुर्दगी पीरियड) की आखिरी डेट से पहले पूरी सप्लाई कर दी गई हो।

2.43 इंटीग्रिटी पैक्ट

2.43.1 एससीसी यह बताएगा कि अलग से इंटीग्रिटी पैक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं।

2.43.2 IP की ज़रूरत पड़ने पर इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स (आईईएम) के नाम और संपर्क विवरणएससीसी में दिए गए हैं।

2.44 आदेश स्वीकृति

2.44.1 सफल बिडर को ऑर्डर जारी होने/अनुबंधहस्ताक्षर होने की तारीख से 14 दिनों के अंदर ऑर्डर एक्सेप्टेंस जमा करना होगा, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि वेंडर को कोई दिलचस्पी नहीं है और आईटीबी के क्लॉज़ 1.16.9 के अनुसार उसकी बिड सिक्योरिटी ज़ब्त हो जाएगी।

अनुबंध की विशेष शर्तें

विषयसूची

क्रम संख्या	जीसीसी खंड
01.	जीसीसी 2.1.1 (एम)
02.	जीसीसी 2.1.1 (एन)
03.	जीसीसी 2.13.1
04.	जीसीसी 2.15.2
05.	जीसीसी 2.16.1
06.	जीसीसी 2.16.3
07.	जीसीसी 2.17.1
08.	जीसीसी 2.21.3
09.	जीसीसी 2.22.1
10.	जीसीसी 2.27.1
11।	जीसीसी 2.27.1
12.	जीसीसी 2.34.1
13.	जीसीसी 2.35.1
14.	जीसीसी 2.43.1
15.	जीसीसी 2.43.2

अनुबंध की विशेष शर्तें (एससीसी)

नीचे दी गई स्पेशल कंडीशंस ऑफ़ अनुबंध (एससीसी) जनरल कंडीशंस ऑफ़ अनुबंध (जीसीसी) को सप्लीमेंट और/या अमेंड करेंगी। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो यहां दिए गए प्रोविज़न जीसीसी के प्रोविज़न पर लागू होंगे /

एस.एन.	**जीसीसी क्लॉज संदर्भ**	**स्थिति**
1	जीसीसी 2.1.1(एल)	क्रेता हैं: *निदेशक, सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी – 333031 (राजस्थान), भारत।*
2	जीसीसी 2.1.1(एम)	अंतिम गंतव्य है: सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान , पिलानी – 333031 (राजस्थान), भारत।
3	जीसीसी 2.13.1	निष्पादन सुरक्षा **की रकम** अनुबंध **वैल्यू का 10% होगी, जो** सुपुर्दगी **पीरियड, वारंटी पीरियड और दो महीने के लिए** वैध **होगी।**
4	जीसीसी 2.15.2	पैकेज के अंदर और बाहर मार्किंग और डॉक्यूमेंटेशन इस तरह होगा: (क) हर पैकेज में पैकिंग लिस्ट होनी चाहिए जिसमें पूरी जानकारी हो भाग संख्या, विवरण, मात्रा आदि। (ख) प्रत्येक पैकेज के बाहरसभी तरफ और ऊपर, अनुबंध संख्या, नाम औरखरीदार का बताया गया पता और अंतिम गंतव्य होना चाहिएहै। (ग) x, 3/x……x/x के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए,जहां "x" में शामिल पैकेजों की कुल संख्या हैखेप। (घ) प्रत्येक पैकेज के सभी किनारों और शीर्ष पर एक होना चाहिए, सही इंडिकेशन/ लेबल/ स्टिकर जो हैंडलिंग/भंडारण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को बताते हों।
5	जीसीसी 2.16.1	आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए जाने वाले शिपिंग और दूसरे दस्तावेज की डिटेल्स इस प्रकार हैं: <u>भारत में निर्मित वस्तुओं के लिए</u> डिस्पैच के 24 घंटे के अंदर, आपूर्तिकर्ता खरीदार को डिस्पैच की पूरी जानकारी देगा और रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट से नीचे दिए गए दस्तावेज और उनकी कॉपी फैक्स/ईमेल से भी भेजेगा। (क) आपूर्तिकर्ता के चालान की दो प्रतियां, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* माल का विवरण और विनिर्देश, मात्रा, इकाई मूल्य, कुल मूल्य दर्शाया गया हो; (ख) पैकिंग सूची; (ग) मूल देश का प्रमाण-पत्र; (घ) बीमा प्रमाणपत्र, यदि अनुबंध के अंतर्गत आवश्यक हो; (च) रेलवे रसीद/कंसाइनमेंट नोट; (छ) निर्माता का गारंटी प्रमाणपत्र और आंतरिक निरीक्षण प्रमाणपत्र; (ज) खरीदार के इंस्पेक्टर द्वारा जारी किया गया इंस्पेक्शन प्रमाणपत्र, अगर कोई हो; और (झ) अनुबंध के हिसाब से ज़रूरत पड़ने पर कोई और दस्तावेज।

		टिप्पणी: 01. **इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और** सुपुर्दगी **नोट वगैरह में आइटम की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया गया नाम** अनुबंध **में इस्तेमाल किए गए नाम जैसा ही होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर के नाम के साथ डिस्पैच की जानकारी भी इनवॉइस में लिखी होनी चाहिए।** 02. **ऊपर दिए गए दस्तावेज सामान के आने से पहले खरीदार को मिल जाने चाहिए और अगर नहीं मिलते हैं, तो आपूर्तिकर्ता किसी भी खर्च के लिए ज़िम्मेदार होगा।** <u>विदेश में निर्मित वस्तुओं के लिए</u> डिस्पैच के 24 घंटे के अंदर, आपूर्तिकर्ता खरीदार को डिस्पैच की पूरी जानकारी देगा और रजिस्टर्ड पोस्ट/कूरियर से नीचे दिए गए दस्तावेज और उनकी कॉपी फैक्स/ईमेल से भी भेजेगा। (ए) आपूर्तिकर्ता के चालान की दो प्रतियां जिसमें आपूर्तिकर्ता का पूरा विवरण हो मात्रा, मूल्य आदि सहित माल; (बी) पैकिंग सूची; (ग) आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी मूल देश का प्रमाणपत्र; (घ) निर्माता की गारंटी और निरीक्षण प्रमाणपत्र; (ई) क्रेता निरीक्षक द्वारा जारी निरीक्षण प्रमाणपत्र, यदि कोई हो; (च) बीमा प्रमाणपत्र, यदि अनुबंध के अंतर्गत आवश्यक हो; (छ) पोत/वाहक का नाम; (ज) बिल ऑफ लैडिंग/एयरवे बिल; (ठ) जब कभी आवश्यक हो, कोई अन्य दस्तावेज अनुबंध। टिप्पणी: 01. **इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और** सुपुर्दगी **नोट वगैरह में आइटम की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया गया नाम** अनुबंध **में इस्तेमाल किए गए नाम जैसा ही होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर के नाम के साथ डिस्पैच की जानकारी भी इनवॉइस में लिखी होनी चाहिए।** 02. **ऊपर दिए गए दस्तावेज सामान के आने से पहले खरीदार को मिल जाने चाहिए और अगर नहीं मिलते हैं, तो आपूर्तिकर्ता किसी भी खर्च के लिए ज़िम्मेदार होगा।**
6	जीसीसी 2.16.3	भारत के अंदर से सप्लाई के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन का तरीका ***एयर/रैल/रोड होगा***। ***(सिर्फ़ एक ही रखें)*** विदेश से सप्लाई के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन का तरीका ***हवाई/समुद्री होगा। (सिर्फ़ एक ही रखें)***
7	जीसीसी 2.17.1	बीमा "गोदाम से गोदाम (अंतिम गंतव्य)" तक अनुबंध के सीआईएफ या सीआईपी मूल्य के 110% के बराबर राशि के लिए "सभी जोखिम के आधार पर" होगा, जिसमें हड़ताल, दंगे और नागरिक हंगामा शामिल हैं।

8	जीसीसी 2.21.3	**वारंटी की वैधता अवधि स्थापना/कमीशन और स्वीकृति की तिथि से बारह (12) महीने होगी सीएसआईआर-**सीरी **द्वारा।**
9	जीसीसी2.22.1	इस अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले भुगतान का तरीका और शर्तें इस तरह होंगी: <u>विदेश से सप्लाई किए गए सामान के लिए भुगतान:</u> फॉरेन करेंसी वाले हिस्से का भुगतानअनुबंध की करेंसी में इस तरह किया जाएगा: (क) शिपमेंट पर: भेजे गए सामान की अनुबंध कीमत का 90% (90%) , जीसीसी क्लॉज़ 2.16 में बताए गए दस्तावेज जमा करने पर, आपूर्तिकर्ता के देश के किसी बैंक में उसके नाम खोले गए इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ़ क्रेडिट के ज़रिए भुगतान किया जाएगा। (ख) स्वीकृति पर: प्राप्त माल के अनुबंध मूल्य का दस प्रतिशत (10 %) माल की प्राप्ति और सफल स्थापना और कमीशनिंग के तीस (30) दिनों के भीतर क्रेता द्वारा जारी स्वीकृति प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित दावे को प्रस्तुत करने पर परफ़ोर्मेंस सिक्युरिटी के साथ, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाएगा।
	जीसीसी 2.22.1	तो एल/सीआपूर्तिकर्ता की कॉस्ट पर कन्फर्म किया जाएगा। विदेश में सभी बैंक चार्ज बेनिफिशियरी यानी आपूर्तिकर्ता के अकाउंट में जाएंगे और भारत में सभी बैंक चार्ज ओपनर यानी खरीदार के अकाउंट में जाएंगे। अगर एल/सी को खरीदार के अलावा किसी और वजह से बढ़ाने/फिर से शुरू करने की अनुरोध की जाती है, तो उसका चार्ज आपूर्तिकर्ता के अकाउंट में जाएगा। लोकल करेंसी वाले हिस्से का भुगतानदावा पेश करने के तीस (30) दिनों के अंदर भारतीय रुपये में किया जाएगा, जिसके साथ खरीदार का एक प्रमाणपत्र होगा जिसमें यह बताया गया हो कि सामान डिलीवर हो गया है और बाकी सभी कॉन्ट्रैक्टेड सर्विसेज़ पूरी हो गई हैं। अनुबंध की 100% वैल्यू के लिए एलसी, एफओबी/एफसीए वैल्यू से भारतीय एजेंट को देने वाला एजेंसी कमीशन, अगर कोई हो, घटाने के बाद बनाया जाएगा। <u>भारत से सप्लाई किए गए सामान और सेवाओं के लिए भुगतान:</u> भुगतान भारतीय रुपये में इस तरह किया जाएगा: (क) शिपमेंट के बाद: अनुबंध मूल्य का नब्बे प्रतिशत (90%) अच्छी हालत में सामान मिलने और जीसीसी क्लॉज़ 16.1 में बताए गए दस्तावेज जमा करने पर भुगतान किया जाएगा। (ख) स्वीकृति परः शेष दस प्रतिशत (10 %) अनुबंध की कीमत आपूर्तिकर्ता को तीस दिन के अंदर देनी होगी।स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से (30) दिन बादक्रेता द्वारा निष्पादन प्रस्तुत करने के अधीनसुरक्षा, अगर कोई हो। **टिप्पणी:** **अनुबंध के तहत सभी भुगतान, सोर्स पर लगने वाली कानूनी लेवी (जैसे ईएसआईसी, आय कर, वगैरह) काटने के बाद किए जाएंगे, जहां भी लागू हो।**

10	जीसीसी 2.27.1	**देर से** सुपुर्दगी **और इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग में देरी के लिए पेनल्टी हर हफ़्ते या हफ़्ते के हिस्से के लिए 0.5% होगी।**
	जीसीसी 2.27.1	**जुर्माने की अधिकतम राशि 10% होगी**
11	जीसीसी 2.34.1	**अधिकार क्षेत्र दिल्ली है।**
12	जीसीसी 2.35.1	नोटिस के लिए, खरीदार का पता है निर्देशक ध्यान दें: भंडार एवं क्रय अधिकारी स्थान: सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी – 333031 (राजस्थान), भारत।
13	जीसीसी 2.35.1	टेलीफ़ोन : : +91- 1596-252439, +91-1596-252428 फैक्स नंबर : : +91-1596-242294 ईमेल पता: spo.ceeri@सीएसआईआर.res.in
14	जीसीसी 2.43.1	इंटेग्रिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर होना है ।
15	जीसीसी 2.43.2	*आईईएम के नाम और संपर्क विवरण नीचे दिए गए हैं:*

अध्याय 3

आवश्यकताओं की अनुसूची

(नोट्स सिर्फ़ अंदरूनी इस्तेमाल के लिए)

3.1 ज़रूरतों का शेड्यूल खरीदार द्वारा बोली दस्तावेज में शामिल किया जाएगा, और इसमें कम से कम, सप्लाई किए जाने वाले सामान और सर्विसेज़ का विवरण शामिल होगा।

3.2 ज़रूरतों के शेड्यूल का मकसद बोली लगाने वालों को अपनी बोलियां अच्छे से और सही तरीके से तैयार करने के लिए काफ़ी जानकारी देना है, खासकर मूल्य शेड्यूल, जिसके लिए चैप्टर 5 में एक फ़ॉर्म दिया गया है। इसके अलावा, ज़रूरतों का शेड्यूल, मूल्य शेड्यूल के साथ, आईटीबी क्लॉज़ 1.37 के अनुसार अनुबंध देते समय मात्रा में बदलाव होने पर एक आधार के तौर पर काम करना चाहिए।

Detailed Technical Specifications

Sr. No.	Item Description with Specifications	Quantity
1.	**Reactor Chamber** • Stainless steel reactor chamber suitable for substrates up to 200mm in diameter • Compatible with Irregular size and shape samples • Embedded heater and thermocouple on the bottom surface of the reactor, 220V, 50Hz, 800Watt • Heating up to 400 ^{o}C (no heater controller) • Heater lid to secure the heater and thermocouple. • Adjustable disc-shaped legs for leveling. • O-ring between the reactor and the sample load section. • Stainless steel sample load section o Two ports for in-situ ellipsometry o Two ports fitted with CF 1.33 vacuum optical windows suitable for visible light transmission. o One port for viewing, fitted with CF 1.33 vacuum optical windows suitable for visible light transmission. o Stainless Steel sample load/unload lid and suitable O-ring o Sample load tray stainless steel. o Bottom flange size suitable to mate the chamber. o Top flange size suitable to mate to flat lid or plasma head • Stainless steel top lid (flat) and suitable O-ring between top lid and the sample load section.	1 No.
2.	**Hollow Cathode Plasma Source compatible to ALD System** • Power Level > 250 Watt • Input power Single phase 230V • Material: Tungsten/ SS316/ Molybdenum • Mounting Assembly: SS/ Aluminum chamber	1 No.

NOTE:

1. **THE BIDDERS MUST SUBMIT THEIR BIDS IN OFFLINE MODE ONLY THROUGH POST OR BY HAND BEFORE DUE DATE AND TIME. (Bids received through online mode or by FAX/E-mail would not be considered for evaluation).**
2. **Vendor must submit the following Annexures on Letter Head duly filled stamped and signed (as per CSIR-CEERI tender document format) along with Technical Bid:**
   - **i. Bidder Information Form (Annexure – 5C)**
   - **ii. Manufactruer's Authorization Form (Annexure – 5D)**
   - **iii. Bid Securing Declaration Form (Annexure – 5F)**
   - **iv. Performance Statement Form (Annexure – 5G)**
   - **v. Deviation Statement Form (Annexure – 5H)**
   - **vi. Service Support Form (Annexure -5I)**
   - **vii. Bid Form (Annexure – 5J)**
   - **viii. Declaration by the Bidder for Code of Integrity and conflict of Interest (Annexure -5O)**
3. **Vendor must submit the authorization letter of OEM mentioning the Tender Number and warranty support.**
4. **Vendor must submit the compliance chart of General and Special Terms and conditions as per CSIR-CEERI tender document.**
5. **Vendor must submit the compliance chart of specification showing deviation, if any.**
6. **Vendors has to mentioned Country of Origin of each part of the equipment.**
7. **Domestic Bidder has to submit the Certificate mentioned the Local Contents in the offered equipment on their Letter Head and also confirm whether they are Class – I Local Supplier or Class – II Local supplier.**
8. **Vendor must submit all the required documents as per CSIR-CEERI tender document.**

अध्याय 3

(बोली लगाने वाले को इसे भरना होगा और तकनीकी बोली के साथ लगाना होगा)

आवश्यकता की अनुसूची

क्रम. नहीं।	वस्तुओं और सेवाओं का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	भौतिक इकाई	अंतिम गंतव्य/ जगह	वितरण कार्यक्रम (द्वारा भरा जाना है बोलीदाता)	कंसाइनमेंट आने के बाद इंस्टॉलेशन, उपकरण की कमीशनिंग, एक्सेप्टेंस टेस्ट वगैरह करने के लिए ज़रूरी टाइम फ्रेम (बोली लगाने वाले द्वारा भरा जाएगा)

सुपुर्दगी का समय: एफओबी / एफसीए / सीआईएफ / सीआईपी _____ ***(शिपमेंट का बताया गया पोर्ट या सुपुर्दगी की बताई गई जगह)***

(केवल एक को रखें)

इस तारीख से गिना जाएगा : _____

(बोली लगाने वाले द्वारा भरा जाएगा)

की गुंजाइश : _____

प्रशिक्षण की ज़रूरत: _____

(जगह, लोगों की संख्या, प्रशिक्षण का समय, प्रशिक्षणकी प्रकृति)

तारीख : .....

स्थान : ..... **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

बोली लगाने वालों के लिए नोट:

(1) सुपुर्दगी शेड्यूल में वह समय साफ़-साफ़ लिखा होना चाहिए जिसके अंदर सफल बोली लगाने वाले को एलसी बनने की तारीख से या अनुबंध की तारीख से या अग्रिम भुगतान की तारीख से पूरा कंसाइनमेंट डिलीवर करना होगा। इसमें खरीदार की जगह पर कंसाइनमेंट पहुंचने के बाद उपकरण के इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के लिए ज़रूरी समय भी अलग से लिखा होना चाहिए।

(2) सुपुर्दगी की तारीख या समय ध्यान से बताया जाना चाहिए, जिसमें ये बातें ध्यान में रखी जाएं

(क) इनकोटर्म्स नियमों के अनुसार बिडर्स को दिए गए इंस्ट्रक्शन्स में बताई गई सुपुर्दगी शर्तों का मतलब (यानी, ईएक्सडब्लू, या सीआईएफ, सीआईपी, एफओबी, एफसीए शर्तें—कि "सुपुर्दगी" तब होती है जब सामान कैरियर्स को डिलीवर किया जाता है), और

(ख) यहां बताई गई तारीख जिससे सुपुर्दगी की ज़िम्मेदारियां शुरू होती हैं (यानी, अवार्ड का नोटिस, अनुबंध पर हस्ताक्षर, लेटर ऑफ़ क्रेडिट खोलना या कन्फर्म करना, अग्रिम भुगतान जारी करने की तारीख वगैरह)।

अध्याय 4

स्पेसिफिकेशन्स और संबंधित तकनीकी विवरण

(नोट्स सिर्फ़ अंदरूनी इस्तेमाल के लिए)

इंडेंटर को यह पक्का करना चाहिए कि स्पेसिफिकेशन्स इस तरह से डेवलप किए जाएं कि VfM , लेवल प्लेइंग फील्ड और प्रोक्योरमेंट में बड़ा कॉम्पिटिशन पक्का हो (जीएफआर 2017 का रूल 173 (ix))। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स (टीएस) वे बेंचमार्क हैं जिनके आधार पर परचेज़र बिड्स की टेक्निकल रिस्पॉन्सिवनेस को वेरिफाई करेगा और बाद में, बिड्स को इवैल्यूएट करेगा। इसलिए, अच्छी तरह से डिफाइन किया गया टीएस बिडर्स द्वारा रिस्पॉन्सिव बिड्स तैयार करने के साथ-साथ परचेज़र द्वारा बिड्स की जांच, इवैल्यूएशन और तुलना को आसान बनाएगा। यह सप्लाई किए गए सामान की क्वालिटी पक्का करने में भी मदद करेगा। इंडेंटर को यह पक्का करना चाहिए कि स्पेसिफिकेशन में ये होना चाहिए:

i) *एक जैसा मौका देता है और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन पक्का करता है; इसके अलावा, स्पेसिफिकेशन्स बहुत ज़्यादा रोक-टोक वाले नहीं होने चाहिए क्योंकि मकसद सही संख्या में कॉम्पिटिटिव टेंडरर्स को अट्रैक्ट करना होना चाहिए।*

ii) *साफ़, सटीक, ऑब्जेक्टिव, काम का, बड़े पैमाने पर/आम, स्टैंडर्डाइज़्ड (बार-बार खरीदे जाने वाले आइटम के लिए) और मापने लायक होना चाहिए। टीएस इतना बड़ा होना चाहिए कि एक जैसे सामान बनाने में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले काम, मटीरियल और उपकरण पर रोक न लगे;*

iii) *मांगकर्ता की केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीकी, गुणात्मक और प्रदर्शन विशेषताओं को निर्धारित करें, बिना अनावश्यक और गैर-जरूरी विशेषताओं को शामिल किए, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित व्यय हो सकता है;*

iv) *सामान्यतः भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसएस) द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर होना चाहिए, जहाँ भी ऐसे मानक मौजूद हों। उन वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन पर बीएसएस चिह्न लगा हो। बीएसएस मानकों की अनुपस्थिति में, टीएस प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हो सकता है। बशर्ते कि मांगकर्ता , लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, टीएस को उन मामलों में भी समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर आधारित कर सकता है जहाँ बीएसएस मानक मौजूद हों। भारतीय मानकों से किसी भी विचलन या बेहतर प्रदर्शन के लिए किसी भी अतिरिक्त मापदंडों के लिए, विचलन/संशोधन के विशिष्ट कारणों को सीए के अनुमोदन से विधिवत दर्ज किया जाना चाहिए। जहां तकनीकी मापदंड केवल मामूली रूप से भिन्न हैं, भारतीय मानकों को निर्दिष्ट किया जा सकता है और विभागीय विनिर्देशों में केवल पैकिंग, अंकन, निरीक्षण आदि जैसे अतिरिक्त विवरण शामिल हो सकते हैं, जैसा कि किसी विशेष अंतिम उपयोग के लिए विशेष रूप से अनुपालन किए जाने की आवश्यकता होती है;*

v) *स्पेसिफिकेशन्स में शामिल सभी डाइमेंशन मीट्रिक यूनिट्स में दिखाए जाएंगे। अगर किसी ज़रूरी वजह से, एफपीएस यूनिट्स में डाइमेंशन बताने हैं, तो मीट्रिक सिस्टम में उनके बराबर डाइमेंशन भी बताने होंगे;*

vi) *खरीदे जाने वाले सामान पर लागू स्थिरता मानदंड और पर्यावरण या प्रदूषण नियंत्रण और अन्य अनिवार्य और वैधानिक नियमों, या आंतरिक दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, की कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करना;*

vii) *अन्य संगठनों या क्षेत्र में सफल समान खरीद से विनिर्देशों के सर्वोत्तम प्रथाओं के उदाहरणों का उपयोग करें जो टीएस का मसौदा तैयार करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान कर सकते हैं;*

viii) *वीएफएम के अनुरूप , अप्रचलित वस्तुओं की खरीद से बचें तथा यह आवश्यक करें कि सभी वस्तुएं और सामग्री नई, अप्रयुक्त तथा नवीनतम या वर्तमान मॉडल की हों तथा उनमें डिजाइन और सामग्री में सभी हालिया सुधार शामिल हों, जब तक कि बोली दस्तावेजों में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो;*

ix) एफिशिएंसी, सही फ्यूल/पावर कंजम्पशन, एनवायरनमेंट-फ्रेंडली मटीरियल का इस्तेमाल, कम शोर और एमिशन लेवल, कम मेंटेनेंस कॉस्ट, वगैरह जैसे फैक्टर्स पर ज़ोर होना चाहिए। भारत सरकार ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, 2001 के प्रोविज़न्स के तहत 01 मार्च, 2002 को ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) (http://www.bee-india.nic.in) बनाया है, जिसका मुख्य मकसद इंडियन इकॉनमी की एनर्जी इंटेंसिटी को कम करना और इस तरह मार्केट में बिकने वाले संबंधित प्रोडक्ट की कॉस्ट सेविंग पोटेंशियल को बढ़ाना है।

x) सैंपल के इवैल्यूएशन वाली खरीद को कम करें: सामान की पब्लिक खरीद पर मौजूदा गाइडलाइंस के मुताबिक, आमतौर पर सैंपल के हिसाब से खरीद नहीं की जानी चाहिए। निविदा के साथ सैंपल मंगाना और सैंपल के इवैल्यूएशन के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिकेशन्स में, एक बिल्ट-इन सैंपल क्लॉज हो सकता है। आमतौर पर ऐसे क्लॉज शेड/टोन, मेकअप, फील, फिनिश और कारीगरी वगैरह जैसी तय न हो सकने वाली खासियतों को दिखाने के लिए तय किए जाते हैं। कुछ स्पेसिफिकेशन्स में, सैंपल क्लॉज नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसी तय न हो सकने वाली खासियतों पर सेलर और बायर के बीच सहमति बननी बाकी रहती है। जहां ड्रॉइंग/स्पेसिफिकेशन मौजूद नहीं हैं, वहां हम पार्ट के मौजूद सैंपल के हिसाब से खरीद सकते हैं। ऐसे मामलों में, सप्लाई सिर्फ उन मामलों में तय रेफरेंस सैंपल के हिसाब से होनी चाहिए, जबकि बाकी खासियतों के लिए यह तय ड्रॉइंग/स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों की खरीद का फैसला विस्तृत विवरण/ड्राइंग के आधार पर किया जाना चाहिए और बिड्स के साथ कोई सैंपल नहीं मंगाया जाना चाहिए या उसका इवैल्यूएशन नहीं किया जाना चाहिए। अगर चाहें, तो खरीदार का रेफरेंस सैंपल संभावित निविदा देने वालों को दिखाया जा सकता है ताकि वे उन ज़रूरी विशेषताओं को दिखा सकें जिन्हें तय नहीं किया जा सकता, जिन्हें सफल बिडर(ओं) की फाइनल सप्लाई को स्पेसिफिकेशन्स/ड्राइंग्स के अलावा पूरा करना होगा। अगर ज़रूरी हो, तो खरीदार के रेफरेंस सैंपल के अलावा, सप्लाई के बल्क प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस देने से पहले, सफल बिडर(ओं) द्वारा खरीदार के सैंपल से मिलता-जुलता प्री-प्रोडक्शन सैंपल जमा करने का नियम भी तय किया जा सकता है, जो तय नहीं की जा सकने वाली विशेषताओं के लिए हो। सैंपल के हिसाब से खरीदी जाने वाली चीज़ों के इंडेंट के साथ जहाँ तक हो सके तीन सीलबंद सैंपल होने चाहिए।

आवश्यक तकनीकी विवरण

निविदादस्तावेज में बताई जाने वाली ज़रूरी टेक्निकल जानकारी में, किसी खास खरीद के लिए लागू होने वाली सीमा तक, ये चीज़ें शामिल होंगी:

i) आपूर्ति का दायरा और साथ ही, आवश्यक वस्तुओं का अंतिम उपयोग;

ii) सभी आवश्यक तकनीकी, गुणात्मक, कार्यात्मक, पर्यावरणीय और प्रदर्शन विशेषताएँ और आवश्यकताएँ (जैसे सामग्री संरचना, शारीरिक, आयाम और सहनशीलता, कारीगरी और विनिर्माण प्रक्रिया जहाँ भी लागू हो; परीक्षण अनुसूची; यदि कोई हो), जिसमें उचित रूप से गारंटीकृत या स्वीकार्य अधिकतम या न्यूनतम मूल्य शामिल हैं। जब भी आवश्यक हो, उपयोगकर्ता गारंटीकृत तकनीकी मापदंडों के लिए एक अतिरिक्त प्रारूप (बोली जमा करने की शीट के अनुलग्नक के रूप में) शामिल कर सकता है, जहां बोली लगाने वाला संबंधित स्वीकार्य या गारंटीकृत मूल्यों के संदर्भ में ऐसी तकनीकी प्रदर्शन विशेषताओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा;

iii) चित्र;

iv) जहां लागू हो, वहां सभी मापदंडों का उल्लेख करते हुए बीआईएस चिह्न की आवश्यकता, जहां ऐसी विशिष्टता विकल्प प्रदान करती है;

v) थोक उत्पादन से पहले अनुबंध के बाद के चरण में अग्रिम नमूने की आवश्यकता, यदि कोई हो,

vi) संरक्षण, पैकिंग और अंकन की विशेष आवश्यकताएं, यदि कोई हो;

vii) आदेशित वस्तुओं के लिए निरीक्षण प्रक्रिया और अनुरूपता के मानदंड;

viii) प्रदूषण, उत्सर्जन, शोर, यदि कोई हो, के संदर्भ में वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए विशेष परीक्षण या प्रकार परीक्षण प्रमाणपत्र या प्रकार अनुमोदन की आवश्यकताएं;

ix) पूर्ण सुपुर्दगी/पूरा होने, स्थापना, कमीशनिंग, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, बिक्री के बाद सेवा और वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अन्य अतिरिक्त कार्य और/या संबंधित सेवाएं, यदि कोई हो;

x) वारंटी आवश्यकताएँ;

xi) बिडर्स के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, अगर कोई हों; और

xii) सामान से जुड़ी कोई दूसरी खास बातें, जैसे उपकरण की शेल्फ लाइफ, वगैरह।

अध्याय 4

Specifications and Allied Technical Details for Reactor Chamber and Hollow Cathode Plasma Source compatible to ALD System.

(आइटम का नाम डालें)

4.1 **एंड यूज़:** Will be used for Research and Development.

4.2 **स्पेसिफिकेशन्स:** Detailed specifications mentioned in schedule of requirement as mentioned in chapter3.

4.3 **सप्लाई और आकस्मिक कार्यों का दायरा : Supply installation/ commissioning and Performance Test Demonstration, as per the specification mentioned in tender document**

4.4 **निरीक्षण और परीक्षण:** सीएसआईआर-सीरी, पिलानी में ।

4.4.1 **सामान्य: Installation/ commissioning and Training at CSIR-CEERI, Pilani - 333031.**

1. आपूर्तिकर्ता अपने खर्च पर और खरीदार को कोई खर्च दिए बिना, सामान और उससे जुड़ी सेवाओं के सभी टेस्ट और/या इंस्पेक्शन करेगा, जैसा कि यहां बताया गया है।
2. इंस्पेक्शन और टेस्ट आपूर्तिकर्ता या उसके सब-कॉन्ट्रैक्टर की जगह पर, सुपुर्दगी की जगह पर और/या सामान के फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर किए जा सकते हैं।
3. जब भी आपूर्तिकर्ता ऐसा कोई टेस्ट और इंस्पेक्शन करने के लिए तैयार हो, तो उसे खरीदने वाले को जगह और समय के साथ पहले से सही जानकारी देनी होगी। आपूर्तिकर्ता को किसी भी संबंधित थर्ड पार्टी या विनिर्माता से कोई भी ज़रूरी परमिशन या सहमति लेनी होगी ताकि खरीदने वाला या उसका चुना हुआ प्रतिनिधि टेस्ट और/या इंस्पेक्शन में शामिल हो सके।
4. अगर कोई इंस्पेक्ट या टेस्ट किया हुआ सामान स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से नहीं है, तो खरीदने वाला उस सामान को रिजेक्ट कर सकता है और आपूर्तिकर्ता या तो रिजेक्ट किए गए सामान को बदल देगा या स्पेसिफिकेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी बदलाव करेगा, जिसके लिए खरीदने वाला कोई चार्ज नहीं लेगा।
5. खरीदार का सामान के आखिरी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद उसे इंस्पेक्ट करने, टेस्ट करने और, जहां ज़रूरी हो, रिजेक्ट करने का अधिकार किसी भी तरह से सीमित या माफ नहीं किया जाएगा, इस वजह से कि सामान को शिपमेंट से पहले खरीदार या उसके प्रतिनिधि ने पहले ही इंस्पेक्ट, टेस्ट और पास कर दिया है।
6. आपूर्तिकर्ता खरीदार को ऐसे किसी भी टेस्ट और/या इंस्पेक्शन के नतीजों की रिपोर्ट देगा।
7. यह पक्का करने के लिए कि बीमा कंपनियों पर दावा , अगर कोई हो, समय पर फाइल हो जाएं, बिडर्स और/या इंडियन एजेंट, अगर कोई हो, तो डिस्पैच डिटेल्स का पता लगाने और परचेज़र को बताने के लिए अपने प्रिंसिपल्स से फॉलो-अप करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। साथ ही, वह कस्टम्स क्लियरेंस के बाद कंसाइनमेंट के आने का पता लगाने के लिए परचेज़र से भी संपर्क करेंगे, ताकि उसके तुरंत बाद उनकी मौजूदगी में कंसाइनमेंट खोला जा सके और ज़रूरत पड़ने पर, बिना समय गंवाए बीमादावा फाइल किया जा सके। बिडर्स/इंडियन एजेंट की तरफ से किसी भी देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और देरी की स्थिति में परचेज़र को हुए किसी भी नुकसान के लिए वह सीधे तौर पर ज़िम्मेदार होंगे।
8. खरीदार के सामान और उपकरण लेने से पहले, आपूर्तिकर्ता बनाए गए सामान और उपकरण की ड्रॉइंग के साथ ऑपरेशन और मेंटेनेंस मैनुअल देगा। ये इतने डिटेल में होंगे कि खरीदार स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए काम के सभी हिस्सों को ऑपरेट, मेंटेन, एडजस्ट और रिपेयर कर सके।
9. मैनुअल और ड्रॉइंग रूलिंग लैंग्वेज (English) में और अनुबंध में बताए गए फॉर्म और नंबर में होंगे।
10. जब तक कोई और बात तय न हो, सामान और उपकरण को टेकओवर के लिए तब तक पूरा नहीं माना जाएगा, जब तक कि खरीदने वाले को मैनुअल और ड्राइंग नहीं दे दिए जाते।

11. एक्सेप्टेबिलिटी टेस्ट के सफलतापूर्वक पूरा होने, डिलिवरेबल्स मिलने वगैरह के बाद और जब खरीदार उपकरण के काम करने के तरीके से खुश हो जाएगा, तो आपूर्तिकर्ता और खरीदार के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर किया हुआ एक्सेप्टेंस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। जिस तारीख को ऐसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किया जाएगा, वह उपकरण के सफलतापूर्वक चालू होने की तारीख मानी जाएगी।

4.4.2 निर्माता का निरीक्षण प्रमाणपत्र

सामान बनने और असेंबल होने के बाद, शिपमेंट से पहले आपूर्तिकर्ता को आपूर्तिकर्ता के प्लांट में सामान का इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करना होगा, ताकि यह चेक किया जा सके कि सामान टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से है या नहीं। इसके लिए विनिर्माता का टेस्ट प्रमाणपत्र डेटा शीट के साथ जारी किया जाएगा और सुपुर्दगीदस्तावेज के साथ जमा किया जाएगा। खरीदार के पास ऐसे इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के दौरान आपूर्तिकर्ता की जगह पर मौजूद रहने का ऑप्शन होता है।

4.4.3 प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन *(अगर लागू न हो तो हटा दें) या डिटेल में बताएं।* *(इस क्लॉज़ को बनाते समय सीएसआईआर मैनुअल ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ़ गुड्स 2018 के पैरा 2.2.2 (07) के प्रोविज़न पर विचार करने की ज़रूरत है।)*

4.4.4 थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन *(अगर लागू न हो तो डिलीट कर दें) या डिटेल में बताएं।*

4.4.5 स्वीकृति परीक्षण

एक्सेप्टेंस टेस्ट, आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में, खरीदार की साइट पर उपकरण इंस्टॉल होने के बाद, खरीदार, उनके कंसल्टेंट या खरीदार द्वारा चुने गए किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। एक्सेप्टेंस में बिना किसी परेशानी के ऑपरेशन शामिल होगा। एक्सेप्टेंस टेस्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। उपकरण के किसी भी हिस्से में कोई खराबी, थोड़ी या पूरी तरह से खराबी होने की उम्मीद नहीं है। आपूर्तिकर्ता, खरीदार की पूरी संतुष्टि के लिए, बताए गए टेस्ट के सफलतापूर्वक पूरा होने को साबित करने के लिए टेस्ट के नतीजे के बारे में ज़रूरी लॉग बनाए रखेगा।

अगर ऑर्डर किया गया आइटम एक्सेप्टेंस टेस्ट पास नहीं कर पाता है, तो कमियों को ठीक करने और एक्सेप्टेंस टेस्ट पास करने के लिए दो हफ़्ते से ज़्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। ऐसा न होने पर, खरीदार के पास यह अधिकार होगा कि वह आपूर्तिकर्ता से बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के उपकरण बदलवा ले।

इंस्टॉल किए गए सामान और उपकरण के लिए एक्सेप्टेंस टेस्ट का सफल संचालन और समापन भी आपूर्तिकर्ता की ज़िम्मेदारी होगी और इसका खर्च भी आपूर्तिकर्ता उठाएगा।

फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर एक्सेप्टेंस टेस्ट में ये शामिल हैं:

(ए) संदर्भ तापमान सेंसर के साथ स्नान का प्रदर्शन।

(ख) स्टैंडर्ड सर्टिफ़िकेशन ज़रूरी है।

4.5 प्रशिक्षण

उपकरण की स्थापना और चालू करने के दौरान तथा स्थापना के बाद, खरीदार के परिसर (CSIR-CEERI, पिलानी) में खरीदार के चार (04) इंजीनियरों/तकनीशियनों को आपूर्ति किए गए उपकरण के संचालन, समस्या निवारण (troubleshooting) और रखरखाव का दो (02) दिनों की अवधि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। *इस शर्त को तैयार करते समय **CSIR Manual on Procurement of Goods, 2018** के पैरा **2.2.2 (07)** के प्रावधान को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।*

4.6 वारंटी

उपकरण की वारंटी, एक्सेप्टेंस की तारीख से बारह (12) महीने के लिए होनी चाहिए। वारंटी पीरियड के दौरान, अगर उपकरण का कोई आइटम खराब पाया जाता है, तो उसे मुफ़्त में दिया जाना चाहिए।

1.7 एनुअल मेंटेनेंस अनुबंध (*अगर लागू न हो तो हटा दें*) *या डिटेल में बताएं।*

अध्याय 5

मूल्य अनुसूची प्रपत्र

(नोट्स सिर्फ़ अंदरूनी इस्तेमाल के लिए)

यह फ़ॉर्मेट लैब निविदा दस्तावेज के हिसाब से बना सकती हैं। हालांकि, रेफरेंस के लिए मूल्य शेड्यूल फ़ॉर्म का एक इंडिकेटिव स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है।

अध्याय 5

मूल्य अनुसूची प्रपत्र

विषयसूची

क्रम संख्या	मूल्य अनुसूची प्रपत्र का प्रकार
01.	विदेश से आने वाले सामान के लिए मूल्य शेड्यूल
02.	भारत से ऑफ़र किए जाने वाले सामान के लिए मूल्य शेड्यूल

नोट: बोली लगाने वाला सही मूल्य शेड्यूल फ़ॉर्म भर सकता है और बोली लगाने वाले दस्तावेज के क्लॉज़ 1.10 और 1.18.3 के अनुसार उसे साथ में लगा सकता है।

भारत से आने वाले सामानों की कीमत अनुसूची

बोली लगाने वाले का नाम_____ **निविदा संख्या**_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्रम संख्या	आइटम विवरण एचएसएन कोड के साथ	उद्गम देश	इकाई	मात्रा	यूनिट दर पहले के काम, एक्स-वेयरहाउस, एक्स-शो रूम ऑफ द शेल्फ मूल्य (पहले से चुकाए गए सभी टैक्स मिलाकर)	कुल कीमत एक्स-वर्क्स, एक्स-वेयरहाउस, एक्स-शो रूम ऑफ द शेल्फ मूल्य (पहले से चुकाए गए सभी टैक्स मिलाकर) 5x6	अगर अनुबंध दिया जाता है, तो जीएसटी और दूसरे टैक्स देने होंगे।	पैकिंग और डिस्पैच स्टेशन तक फॉरवर्डिंग यदि कोई	ट्रांसपोर्टेशन , लैब / संस्थान तक बीमा के लिए चार्ज ***, हवाई/सड़क से। रेल (केवल एक को रखें)***	कुल कीमत	स्थापना, कमीशनिंग और प्रशिक्षण चार्ज, अगर कोई हो

टिप्पणी:

(क) वैकल्पिक वस्तुओं की लागत, यदि कोई हो, अलग से दर्शाई जाएगी

(ख) पुर्जों की लागत, यदि कोई हो

विदेशी मुद्रा में कुल बोली मूल्य_____

शब्दों में _____

बोलीदाता के हस्ताक्षर _____

नाम _____

व्यवसाय का पता _____

विदेश से आने वाले सामान की कीमत अनुसूची

बोलीदाता का नाम _____ निविदा संख्या _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्रम संख्या	आइटम विवरण	उद्गम देश	इकाई	मात्रा	यूनिट मूल्य मुद्रा का संकेत एफओबी (शिपमेंट का नामित पोर्ट या एफसीए (सुपुर्दगी का नामित स्थान) ***(केवल एक को रखें)***	कुल कीमत (5x6) एफओबी (शिपमेंट का नामित पोर्ट) या एफसीए (सुपुर्दगी का नामित स्थान) ***(केवल एक को रखें)***	के लिए शुल्क बीमा और पोर्ट/डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्टेशन	कुल कीमत ***सीआईएफ/सीआईपी (केवल एक को रखें)*** (7+8)	एफओबी/एफसीए कीमत के प्रतिशत के रूप में इंडियन एजेंट्स कमीशन, कोट की गई कीमत में शामिल है।	लगभग। शिपमेंट वजन और आयतन	भारतीय रीति-रिवाज टैरिफ नंबर और 5 एचएसएन नंबर. (आईसीटी और एचएसएन नं.)

टिप्पणी:

करेंसी _____ विदेशी करेंसी में टोटल बिड मूल्य _____

शब्दों में _____

(क) भारतीय एजेंट का नाम और पता _____

(ख) स्थापना, कमीशनिंग और प्रशिक्षण शुल्क, यदि कोई _____ बोलीदाता के हस्ताक्षर _____

नाम _____

(ग) स्पेयर पार्ट्स की कीमत, यदि कोई हो _ _____ व्यावसायिक पता _____

(घ) भारतीय एजेंट का कमीशन सिर्फ़ भारतीय रुपये में दिया जाएगा, जो जीसीसी के क्लॉज़ 2.22 के अनुसार दस्तावेज पर बातचीत की तारीख को लागू एक्सचेंज रेट पर आधारित होगा ।

(च) वैकल्पिक वस्तुओं की लागत अलग से बताई जाएगी।

अध्याय 6

योग्यता संबंधी जरूरतें

(सीएसआईआर मैनुअल के अनुलग्नक-4 ई का संदर्भ लें)

(नोट्स सिर्फ़ अंदरूनी इस्तेमाल के लिए)

प्री-क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया (पीक्यूसी) इतना आसान होना चाहिए कि एक भी काबिल वेंडर/कॉन्ट्रैक्टर छूट न जाए। नहीं तो, इससे खरीद/काम/सर्विस की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि, दूसरी तरफ, ये क्राइटेरिया इतने कड़े होने चाहिए कि एक भी नाकाबिल वेंडर/कॉन्ट्रैक्टर को जगह न मिले और इस तरह काबिल वेंडर/कॉन्ट्रैक्टर के लिए सही कॉम्पिटिशन खराब हो जाए, जिससे खरीदार के मकसद को नुकसान हो। किसी भी तरफ गलत फैसला नुकसानदायक हो सकता है। एक सैंपल पीक्यूसी नीचे दिया गया है:

पीक्यूसी बनाते समय, कॉम्पिटिशन की काफ़ी मात्रा पर इसके असर पर पूरा ध्यान देना चाहिए। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, पिछले सफल बिडर्स से यह तय किया जा सकता है – कि पीक्यूसी पूरी मात्रा/पैकेज पर लागू होना चाहिए या बिडर्स द्वारा बताई गई पार्ट मात्रा/पैकेज के अनुपात में होना चाहिए। अगर ज़रूरत अचानक पिछली खरीद से कई गुना ज़्यादा हो जाती है , तो पिछले पीक्यूसी को बिना सोचे-समझे अपनाने से पिछले सफल वेंडर डिसक्वालिफ़ाई हो सकते हैं, जिससे कॉम्पिटिशन कम हो सकता है। इसलिए, निविदा स्वीकार करने के लिए सीए की मंज़ूरी से हर खरीद के लिए पीक्यूसी सावधानी से तय किया जाना चाहिए। पीक्यूबीदस्तावेज में यह साफ़ किया जाना चाहिए कि बिडर्स को पात्रता क्राइटेरिया के सपोर्ट में ऑथेंटिकेटेड दस्तावेज जमा करने होंगे।

नमूना पूर्व-योग्यता मानदंड

क्राइटेरिया 1 - अनुभव और पिछला प्रदर्शन:

a) बोली लगाने वाले (मैन्युफ़ैक्चरर या प्रिंसिपल या अधिकृत प्रतिनिधि– जिसे आगे सिर्फ़ 'बोली लगाने वाला' कहा जाएगा) ने पिछले फ़ाइनेंशियल साल के 31 मार्च (जिसे आगे 'संबंधित तारीख' कहा जाएगा) को खत्म होने वाले कम से कम पिछले _____] सालों से रेगुलर तौर पर, _____पैरामीटर वाले/के साथ उसी या उससे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन्स के साथ (जिसे आगे 'प्रोडक्ट' कहा जाएगा) मैन्युफ़ैक्चर और सप्लाई (/बनाया/कमीशन किया) किया होगा (जिसे आगे 'प्रोडक्ट' कहा जाएगा)। बोली लगाने वाले को चैप्टर-8 में दिए गए मैन्युफ़ैक्चरर ऑथराइज़ेशन फ़ॉर्म को जमा करना चाहिए और

b) 'बोली लगाने वाले' ने 'संबंधित तारीख' को खत्म होने वाले पिछले पांच सालों में से कम से कम एक साल में 'प्रोडक्ट' की कम से कम _____ संख्या (जिसे आगे 'क्वालिफाइंग मात्रा' कहा जाएगा) बनाई और सप्लाई (/बनाई/कमीशन) की हो, और जिसमें से

c) 'प्रोडक्ट' के ऑफ़र किए गए वर्शन/मॉडल की कम से कम _____ संख्या, बिड खुलने की तारीख को कम से कम _____ साल से सफलतापूर्वक चल रही होनी चाहिए।

क्राइटेरिया 2 - क्षमता- उपकरण और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी:

'बोली लगाने वाले' के पास बनाने और सप्लाई करने की सालाना क्षमता (/बनाई/ चालू) कम से कम _____ (क्वालिफाइंग मात्रा) होनी चाहिए।

नोट: अगर निविदा में कई प्रोडक्ट हैं, तो यह क्राइटेरिया प्रोडक्ट के हिसाब से लागू होगा। उदाहरण के लिए, अलग-अलग स्पेसिफिकेशन/साइज़ के प्रिंटिंग पेपर के मामले में, यह बनाए गए और सप्लाई किए गए पेपर की मात्रा के हिसाब से स्पेसिफिकेशन/साइज़ के हिसाब से लागू होगा।

क्राइटेरिया 3 - फाइनेंशियल स्थिति – सभी स्थितियों में

क) 'बोली लगाने वाले' का पिछले तीन सालों का औसत सालाना फाइनेंशियल टर्नओवर, जो 'संबंधित तारीख' को खत्म होता है, ₹ _____ (या 'संबंधित तारीख' को लागू एक्सचेंज रेट पर विदेशी करेंसी में बराबर) होना चाहिए (बिड दस्तावेज में मात्रा की अनुमानित लागत का 40-80% या कोई और प्रतिशत तय करें) जैसा कि संबंधित समय की सालाना रिपोर्ट (ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट) के अनुसार हो, जिसे भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट या संबंधित देशों में बराबर के व्यक्ति से सही तरीके से ऑथेंटिकेट किया गया हो।

एमएसएमई मंत्रालय ने साफ़ किया है कि सभी सेंट्रल मंत्रालय/डिपार्टमेंट/सेंट्रल पब्लिक सेक्शन अंडरटेकिंग्स, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए सभी लोक प्रापण में पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव की शर्त में ढील दे सकते हैं, बशर्ते क्वालिटी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स पूरे हों। इसके अलावा, स्टार्ट-अप्स (जैसा कि औद्योगिक नीतिएवंसंवर्द्धन विभाग ने बताया है) के लिए पिछले टर्नओवर

और पिछले अनुभव की शर्त में ढील दी जा सकती है, बशर्ते क्वालिटी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स पूरे हों और बिडिंग दस्तावेज (जीएफआर 2017 का रूल 173 (i)) में सही प्रोविज़न किए गए हों।

ख) बिडर फर्म (विनिर्माता या प्रिंसिपल या अधिकृत प्रतिनिधि) को 'संबंधित तारीख'को खत्म होने वाले पिछले तीन सालों में एक साल से ज़्यादा कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ होना चाहिए।

ग) बिडर फर्म (विनिर्माता या अधिकृत प्रतिनिधि का प्रिंसिपल) की नेट वर्थ 'द रिलेवेंट डेट' को नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और ii) 'द रिलेवेंट डेट' को खत्म हुए पिछले तीन सालों में 30% (तीस परसेंट) से ज़्यादा कम नहीं हुई होनी चाहिए।

नोट: इंडियन बिडर्स/कंपनियों (विनिर्माता या प्रिंसिपल या अधिकृत प्रतिनिधि) के मामले में, जिन्हें भारत में बैंकों ने कानूनी गाइडलाइंस के तहत रीस्ट्रक्चर किया है, उन्हें उनके पास मौजूद इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल बैकिंग को देखते हुए फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्राइटेरिया के लिए क्वालिफाई माना जाएगा।

विशेष मामलों में प्रयोज्यता:

क) 'मेक इन इंडिया ' के लिए लागू होना: ऐसे बिडर्स (विनिर्माता या प्रिंसिपल या अधिकृत प्रतिनिधि) जिनके पास वैध / अनुमोदितचल रहा 'मेक इन इंडिया' एग्रीमेंट/प्रोग्राम है और जो ऊपर दिए गए एक्सपीरियंस और पास्ट परफॉर्मेंस में किसी एक या ज़्यादा सब-क्राइटेरिया को छोड़कर, बाकी सभी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उन्हें भी क्वालिफाइड माना जाएगा, बशर्ते:

i) उनके विदेशी 'मेक-इन-इंडिया' सहयोगी बिना किसी छूट के ऊपर दिए गए सभी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, और

ii) बिडर एक वैध / अनुमोदितचल रहे 'मेक इन इंडिया' एग्रीमेंट/प्रोग्राम के लिए सही डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जमा करता है।

iii) बोली लगाने वाला (मैन्युफ़ैक्चरर या प्रिंसिपल या ऑथराइज़्ड रिप्रेज़ेंटेटिव) बोली के साथ एक कानूनी तौर पर लागू होने वाला अंडरटेकिंग देता है, जिसे वह और वह विदेशी मैन्युफ़ैक्चरर मिलकर पूरा करेंगे, ताकि अनुबंध की आम और खास शर्तों के हिसाब से 'द प्रोडक्ट' की संतोषजनक मैन्युफ़ैक्चरिंग, सप्लाई (और इरेक्शन, कमीशनिंग अगर लागू हो) और निष्पादन हो सके। इसमें सभी वारंटी की ज़िम्मेदारियाँ भी शामिल हैं।

ख) ऑथराइज़्ड रिप्रेज़ेंटेटिव: किसी मुख्य विनिर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कोट करने वाले बिडर्स की बिड्स को भी क्वालिफाइड माना जाएगा, बशर्ते:

i) उनका मुख्य विनिर्माता बिना किसी छूट के ऊपर दिए गए सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है, और

ii) मुख्य विनिर्माता, अनुबंध की आम और खास शर्तों के अनुसार पूरी गारंटी और वारंटी की शर्तों को पक्का करते हुए, तय फॉर्म में कानूनी तौर पर लागू होने वाला निविदा-खास ऑथराइज़ेशन देता है; और

iii) बोली लगाने वाले को खुद उसी या किसी दूसरे प्रिंसिपल विनिर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर, मौजूदा बोली में दी गई सर्विसेज़ (सप्लाई, इंस्टॉलेशन, संतोषजनक कमीशनिंग, आफ्टर सेल्स सर्विस, जैसा भी मामला हो) के लिए उसी या मिलते-जुलते 'प्रोडक्ट' के लिए पिछले तीन सालों से 'संबंधित तारीख' को खत्म होने वाले कामों से जुड़ा होना चाहिए।

ग) मौजूदा सफल पुराने आपूर्तिकर्ता के लिए: अगर बोली लगाने वाला (विनिर्माता या प्रिंसिपल या अधिकृत प्रतिनिधि) जो हाल की _____ खरीद में से कम से कम एक में 'द प्रोडक्ट' का सफल पुराना आपूर्तिकर्ता है, और ऊपर दी गई किसी भी या ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है, तो उसे भी उसके साबित क्रेडेंशियल्स को देखते हुए, हाल के दिनों में उसके द्वारा सप्लाई की गई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा।

घ) जॉइंट वेंचर और होल्डिंग कंपनियाँ: गुड्स/उपकरण की सप्लाई में पीक्यूसी के कम्प्लायंस के लिए जॉइंट वेंचर के पार्टनर्स के क्रेडेंशियल्स को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता (दोहराता हूँ नहीं), और हर पार्टनर को सभी PQ C क्राइटेरिया को अलग-अलग पूरा करना होगा। हालाँकि, फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने के लिए, एक होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्रेडेंशियल्स को सिर्फ़ पूरी तरह से ओन्ड सब्सिडियरी बिडिंग कंपनी के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसके पास इस ओनरशिप को साबित करने वाले सही लीगल दस्तावेज हों।

बोली लगाने वालों के लिए नोट:

क) 'सबस्टैंटियल कंप्लायंस का सिद्धांत': प्री-क्वालिफिकेशन बिडिंग (पीक्यूबी) और प्री-क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया (पीक्यूसी) उन सोर्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए हैं जो इस अनुबंध को पूरा करने में सक्षम हैं ताकि पब्लिक मनी के खर्च से पैसे की सबसे अच्छी वैल्यू मिल सके। इस प्रोसेस का मकसद न तो बिडर्स को कोई हक देना है और न ही इन क्राइटेरिया का बहुत ज़्यादा बाल-बाल या गलत कानूनी मतलब

निकालकर, पीक्यूबी और पीक्यूसी के असली मकसद को नज़रअंदाज़ करके उन्हें कोई अधिकार या खास अधिकार देना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, खरीदने वाले का मतलब 'सबस्टैंटियल कंप्लायंस के सिद्धांत' के अनुसार लोक प्रापण में इस्तेमाल होने वाले शब्दों और फ्रेज़ पर आधारित होगा और आखिरी होगा।

ख) बिडर को, चाहे बिड दस्तावेज में पूछा गया हो या नहीं, यह बताना होगा कि पिछले तीन सालों में किसी भी देश में किसी भी एंटिटी के साथ इस कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी का कोई उल्लंघन हुआ है या किसी दूसरी प्रोक्योरिंग एंटिटी ने उसे डिबार किया है। ऐसा न करना इस कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी का उल्लंघन माना जाएगा।

ग) अगर एजेंट अपने मुख्य विनिर्माता की तरफ से ऑफशोर खरीद में कोटेशन देते हैं, तो एक एजेंट दो विनिर्माता को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता या किसी खास निविदा इन्क्वायरी में उनकी तरफ से कोटेशन नहीं दे सकता। एक विनिर्माता सिर्फ़ एक एजेंट/डीलर को भी ऑथराइज़ कर सकता है । नीचे दिए गए में से सिर्फ़ एक ही बिड हो सकती है:

i) प्रिंसिपल विनिर्माता सीधे या अपनी ओर से किसी एक इंडियन एजेंट के ज़रिए; और

ii) सिर्फ़ एक प्रिंसिपल की ओर से भारतीय/विदेशी एजेंट।

घ) निविदा की शर्तों के हिसाब से सभी ज़रूरी दस्तावेज/प्रमाणपत्र के साथ, बिडर को एक छोटा सा लेख देना होगा, जिसमें सही डेटा हो, और जिसमें उसकी उपलब्ध कैपेसिटी (टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों) के बारे में बताया गया हो, ताकि वह तय समय के अंदर, अपने सभी मौजूदा कमिटमेंट्स पूरे करने के बाद, ज़रूरी सामान/उपकरण को बना और सप्लाई कर सके।

च) बिडर द्वारा जमा किए गए सपोर्टिंग दस्तावेज इस तरह सर्टिफाइड होने चाहिए:

i) सप्लाई/वर्क ऑर्डर की सभी कॉपी; क्लाइंट्स का कम्प्लीशन प्रमाणपत्र और संपर्क विवरण; संबंधित इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट/नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन (NSIC)/मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से जारी दस्तावेज; अनुभव, पिछली परफॉर्मेंस और कैपेसिटी/काबिलियत के सपोर्ट में एनुअल रिपोर्ट वगैरह, बिडर की तरफ से निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए ऑथराइज़्ड व्यक्ति द्वारा ऑथेंटिकेट किए जाने चाहिए । अगर मांगे जाएं तो ओरिजिनल दस्तावेज इंस्पेक्शन के लिए जमा करने होंगे।

ii) सभी फाइनेंशियल स्टैंडिंग डेटा सर्टिफाइड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड होना चाहिए, जैसे, चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट या संबंधित देशों में उनके बराबर के किसी व्यक्ति से; और भारतीय बिडर या विदेशी बिडर के भारतीय काउंटरपार्ट को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर देना होगा।

छ) कोई बिडर या उसका कोई भी सहयोगी, जिसने अनुबंध के डिज़ाइन या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स यानी बिड के विषय को तैयार करने में कंसल्टेंट के तौर पर हिस्सा लिया हो, वह बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकता।

ज) अपने विदेशी प्रिंसिपल की तरफ से कोटेशन देने वाले भारतीय एजेंटों को विदेशी प्रिंसिपल के साथ एजेंसी एग्रीमेंट की एक कॉपी जमा करनी होगी, जिसमें प्रिंसिपल की तरफ से दी जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा हो, ऐसा न करने पर उनकी बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।

झ) विदेशी बोलीदाताओं को भारत में एजेंट और प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करना होगा और भारतीय बोलीदाता को अपने विदेशी प्रिंसिपल या सहयोगियों का खुलासा करना होगा।

अध्याय 7

अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध नंबर _____ तारीख:_ _____

यह अनुबंध समझौता*[insert: number] के तहत किया गया है। [डालें: महीना]* का दिन , *[डालें: वर्ष]* .

बीच में

(1) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो भारत सरकार के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001, भारत में है, जिसका प्रतिनिधित्व _ _____ द्वारा किया जाता है *[क्रेता का पूरा नाम और पता लिखें* (इसके बाद इसे "क्रेता" कहा जाएगा), और

(2) [*आपूर्तिकर्ता का नाम डालें], [आपूर्तिकर्ता के देश: डालें]* के कानूनों के अंतर्गत निगमित एक निगम और जिसका प्रमुख व्यवसाय स्थान *[आपूर्तिकर्ता का पता डालें] में है* (जिसे इसके पश्चात "आपूर्तिकर्ता" कहा जाएगा)।

जबकि क्रेता ने कुछ वस्तुओं और सहायक सेवाओं, अर्थात *[वस्तुओं और सेवाओं का संक्षिप्त विवरण डालें] के लिए बोलियाँ आमंत्रित की हैं* और एक बोली को स्वीकार कर लिया है
उन Goods और Services की सप्लाई के लिए आपूर्तिकर्ता*[अनुबंधमूल्य शब्दों और आंकड़ों में डालें, अनुबंध करेंसी में बताया गया]* (जिसे आगे "अनुबंध मूल्य" कहा जाएगा)।

अब यह एग्रीमेंट इस तरह से गवाही देता है:

01. इस अनुबंध में शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें संदर्भित अनुबंध की शर्तों में क्रमशः दिया गया है।

02. नीचे दिए गए दस्तावेज खरीदने वाले और आपूर्तिकर्ता के बीच अनुबंध का हिस्सा होंगे, और हर एक को अनुबंध का एक ज़रूरी हिस्सा माना जाएगा:

(क)यह अनुबंध समझौता
(ख) अनुबंध की विशेष शर्तें
(ग) अनुबंध की सामान्य शर्तें
(घ) तकनीकी आवश्यकताएँ (आवश्यकताओं की अनुसूची और तकनीकी विनिर्देशों सहित)
(ई) आपूर्तिकर्ता की बोली और मूल मूल्य अनुसूची
(च) क्रेता द्वारा अवार्ड की अधिसूचना
(g) *[यहां कोई अन्य दस्तावेज़ जोड़ें]*

03. यह अनुबंध बाकी सभी अनुबंध दस्तावेज पर लागू होगा। अगर अनुबंध दस्तावेज में कोई अंतर या गड़बड़ी होती है, तो दस्तावेज ऊपर दिए गए क्रम में लागू होंगे।

04. जैसा कि आगे बताया गया है, खरीदार द्वारा आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले भुगतान के बदले में, आपूर्तिकर्ता

खरीदार के साथ अनुबंध के नियमों के अनुसार सभी तरह से गुड्स और सर्विसेज़ देने और उनमें कमियों को ठीक करने का वादा करता है।

05. खरीदार, गुड्स और सर्विसेज़ के प्रोविज़न और उनमें कमियों को ठीक करने के बदले, अनुबंधमूल्य या अनुबंध के प्रोविज़न के तहत, अनुबंध में बताए गए समय और तरीके से, देने लायक दूसरी रकम आपूर्तिकर्ता को देने का वादा करता है।

जिसके सबूत के तौर पर, पार्टियों ने इस एग्रीमेंट को ऊपर बताए गए दिन, महीने और साल में यूनियन ऑफ़ इंडिया के कानूनों के अनुसार पूरा किया है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की ओर से

हस्ताक्षर: *[हस्ताक्षर डालें]*
की क्षमता में *[शीर्षक या अन्य उपयुक्त पदनाम डालें]*

[आधिकारिक गवाह की पहचान डालें] की उपस्थिति में
हस्ताक्षर: *[हस्ताक्षर डालें]*
की क्षमता में *[शीर्षक या अन्य उपयुक्त पदनाम डालें]*

[आधिकारिक गवाह की पहचान डालें] की उपस्थिति में

आपूर्तिकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ताक्षर: *[आपूर्तिकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर डालें]*
की क्षमता में *[शीर्षक या अन्य उपयुक्त पदनाम डालें]*

[आधिकारिक गवाह की पहचान डालें] की उपस्थिति में

अध्याय 8

अन्य मानक प्रपत्र

(नीचे बताए अनुसार संलग्न करें)

विषयसूची

क्रम संख्या	नाम
01.	बिडर इन्फॉर्मेशन फॉर्म (**तकनीकी बोली** के साथ अटैच किया जाना है)
02.	विनिर्माता ऑथराइज़ेशन फ़ॉर्म (**तकनीकी बोली** के साथ अटैच किया जाना है)
03.	बिड सिक्योरिटी फॉर्म (**तकनीकी बोली** के साथ अटैच किया जाना है)
04.	बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन (**तकनीकी बोली** के साथ अटैच किया जाना है)
05.	परफॉर्मेंस स्टेटमेंट फॉर्म (**तकनीकी बोली** के साथ अटैच किया जाना है)
06.	डेविएशन स्टेटमेंट फॉर्म (**तकनीकी बोली** के साथ अटैच किया जाना है)
07.	सर्विस सपोर्ट डिटेल फ़ॉर्म (**तकनीकी बोली** के साथ अटैच करें)
08.	बिड फ़ॉर्म (कीमत वाली बिड के साथ अटैच करें)
09.	निष्पादन सुरक्षा फॉर्म (**तकनीकी बोली** के साथ अटैच किया जाना है)
10.	एक्सेप्टेंस प्रमाणपत्र फॉर्म (**तकनीकी बोली** के साथ अटैच करें)
11.	इंटीग्रिटी पैक्ट (**तकनीकी बोली** के साथ अटैच किया जाना है)
12.	बिड ओपनिंग में भाग लेने के लिए लेटर ऑफ़ अथॉरिटी का फ़ॉर्मैट
13.	बिडर को ईमानदारी के कोड का पालन करने और हितों के टकराव की घोषणा का फ़ॉर्मैट जमा करना होगा।

टिप्पणी : बिड्स/ऑफ़र्स के साथ अटैच किए जाने वाले दूसरे दस्तावेज के लिए, कृपया बोली दस्तावेज का क्लॉज़ 1.10.1 देखें।

अनुलग्नक–5सी

<u>बोलीदाता सूचना प्रपत्र</u>

<u>(सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 5.1.2 (ix)(ए) का संदर्भ लें)</u>

(a) बिडर को यह फ़ॉर्म नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार भरना होगा। इसके फ़ॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह फ़र्म के लेटर हेड पर किया जाना चाहिए।

तारीख: *[बिड सबमिशन की तारीख (दिन, महीना और साल) डालें*]

निविदा नंबर: *[बोली के लिए इनविटेशन से नंबर डालें]*

_____ पृष्ठों में से पृष्ठ 1

01.	बोली लगाने वाले का कानूनी नाम *[बोली लगाने वाले का कानूनी नाम डालें]*
02.	जेवी के मामले में, हर पार्टी का कानूनी नाम: *[जेवी में हर पार्टी का कानूनी नाम डालें]*
03.	बोली लगाने वाले का असल या तय रजिस्ट्रेशन का देश: *[असल या तय रजिस्ट्रेशन का देश डालें]*
04.	बिडर के रजिस्ट्रेशन का साल: *[बिडर के रजिस्ट्रेशन का साल डालें]*
05.	रजिस्ट्रेशन वाले देश में बिडर का लीगल एड्रेस: *[रजिस्ट्रेशन वाले देश में बिडर का लीगल एड्रेस डालें]*
06.	बोली लगाने वाले के अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी नाम: *[अधिकृत प्रतिनिधि का नाम डालें]* पता: *[अधिकृत प्रतिनिधि का पता डालें]* टेलीफ़ोन/फ़ैक्स नंबर: *[अधिकृत प्रतिनिधिके टेलीफ़ोन/फ़ैक्स नंबर डालें]* ईमेल एड्रेस: *[अधिकृत प्रतिनिधि का ईमेल एड्रेस डालें]*
07.	नीचे दिए गए ओरिजिनल दस्तावेज की कॉपी अटैच हैं: *[अटैच किए गए ओरिजिनल दस्तावेज के बॉक्स पर निशान लगाएं]* ऊपर 1 में बताई गई फर्म के इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के आर्टिकल।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर _____

नाम _____

व्यावसायिक पता _____

अनुलग्नक–5डी

निर्माताओं का प्राधिकरण प्रपत्र

(सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 5.1.2 (ix)(बी) का संदर्भ लें)

[बिडर को विनिर्माता से यह फॉर्म बताए गए निर्देशों के अनुसार भरने के लिए कहना होगा। यह प्राधिकार पत्रविनिर्माता के पत्रशीर्ष पर होना चाहिए और इस पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसके पास उन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का सही अधिकार हो जो विनिर्माता के लिए ज़रूरी हों और इसे तकनीकी बोली के साथ अटैच किया जाना चाहिए।

तारीख: *[बिड सबमिशन की तारीख (दिन, महीना और साल) डालें]*

निविदा नंबर: *[बोली के लिए इनविटेशन से नंबर डालें]*

प्रति: *[खरीदार का पूरा नाम और पता डालें]*

जबकि
हम *[विनिर्माता का पूरा नाम डालें], जो [बनाए गए सामान का टाइप डालें]* के ऑफिशियल विनिर्माता हैं , जिनकी फैक्ट्रियां [विनिर्माता की फैक्ट्रियों का पूरा पता डालें] पर हैं, हम *[बोली लगाने वाले का पूरा नाम डालें]* को एक बोली लगाने के लिए ऑथराइज़ करते हैं, जिसका मकसद हमारे द्वारा बनाए गए निम्नलिखित सामान *[सामान का नाम और/या छोटा ब्यौरा डालें] देना है,* और बाद में अनुबंध पर बातचीत करके हस्ताक्षर करना है।

हम ऊपर दी गई फर्म के दिए गए सामान के संबंध में, अनुबंध की सामान्य शर्तों के क्लॉज़ 2.21 के अनुसार अपनी पूरी गारंटी और वारंटी देते हैं।

हस्ताक्षर: *[विनिर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर डालें]*

नाम: *[विनिर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि का पूरा नाम डालें]*
शीर्षक: *[शीर्षक डालें]*

इस ऑथराइज़ेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए सही तरीके से ऑथराइज़्ड: *[बिडर का पूरा नाम डालें]*

तारीख _____ तारीख _____, _____ *[हस्ताक्षर करने की तारीख डालें]*

अनुलग्नक–5ई

<u>बिड सिक्युरिटी प्रपत्र</u>

<u>(सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 5.1.2 (ix)(सी) और 6.1.1 (01) का संदर्भ लें)</u>

जबकि _____ (जिसे आगे निविदा देने वाला कहा जाएगा) ने _____ की सप्लाई के लिए अपना ऑफर तारीख _____ को पेश किया है (जिसे आगे निविदा कहा जाएगा") क्रेता की निविदा पूछताछ संख्या _____ के विरुद्ध इन उपहारों से सभी लोग जान लें कि हम _____ के _____ का पंजीकृत कार्यालय यहां है_____ _ _____ (जिसे आगे "खरीदार" कहा जाएगा) के प्रति बाध्य हैं

कुल योग में _____

जिसके लिए भुगतान उस खरीदार को किया जाएगा और किया जाना है, बैंक इन कागज़ात से खुद को, अपने उत्तराधिकारियों और असाइनी को बाध्य करता है। इस _____ तारीख _____ 20_____ को उस बैंक की कॉमन सील से सील किया गया।

इस ज़िम्मेदारी की शर्तें ये हैं:

(1) यदि निविदाकर्ता इस निविदा की वैधता अवधि के भीतर किसी भी तरह से निविदा से वापस ले लेता है या उसमें संशोधन करता है या उसे कमतर आंकता है या कम करता है।

या

(2) यदि निविदाकर्ता को उसकी निविदा की वैधता अवधि के दौरान क्रेता द्वारा उसकी निविदा की स्वीकृति के बारे में सूचित किया जाता है :-

(क) यदि निविदाकर्ता अनुबंध के उचित प्रदर्शन के लिए परफ़ोर्मेंस सिक्युरिटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

(ख)अनुबंध को स्वीकार करने/पूरा करने में विफल रहता है या मना कर देता है।

हम खरीदार को उसकी पहली लिखित मांग मिलने पर ऊपर दी गई रकम का भुगतान करने का वादा करते हैं, खरीदार को अपनी मांग साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी, बशर्ते कि खरीदार अपनी मांग में यह नोट करे कि उसने जो रकम मांगी है, वह उसे एक या दोनों शर्तों के होने की वजह से मिलनी है, जिसमें हुई शर्त या शर्तों के बारे में बताया गया हो।

यह गारंटी निविदा वैलिडिटी पीरियड के बाद 45 दिनों तक यानी _____ तक लागू रहेगी और इससे जुड़ी कोई भी डिमांड इस तारीख तक बैंक तक पहुंच जानी चाहिए।

_____

(बैंक के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम और पदनाम

बैंक की जारीकर्ता शाखा की मुहर, नाम और पता

नोट: जब भी बिडर बैंक गारंटी के रूप में बिड सिक्योरिटी जमा करना चाहे, तो उसे बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंकर को तुरंत रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी) से गारंटी की बिना स्टाम्प वाली डुप्लीकेट कॉपी सीधे खरीदार को भेजने की सलाह देनी चाहिए, साथ में एक कवरिंग लेटर भी होना चाहिए ताकि वह ओरिजिनल बीजी से उसकी सच्चाई, असलियत वगैरह की जांच कर सके।

अनुलग्नक–5एफ

बोली-सुरक्षित घोषणा पत्र

(सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 5.1.2 (ix)(डी) और 6.1.1 (02) का संदर्भ लें)

तारीख:_ _____

बोली संख्या _____

(खरीदार का पूरा नाम और पता डालें)

मैं/हम नीचे हस्ताक्षरकर्ता, घोषणा करते हैं कि:

मैं/हम समझते हैं कि आपकी शर्तों के अनुसार, बिड्स को बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन से सपोर्ट किया जाना चाहिए।

अगर मैं/हम बिड की शर्तों के तहत किसी भी ज़िम्मेदारी का उल्लंघन करता/करती हूँ, तो मुझे/हमें नोटिफिकेशन की तारीख से एक साल के समय के लिए आपके साथ किसी भी अनुबंध के लिए बिड करने से डिसक्वालिफ़ाई किया जा सकता है, क्योंकि मैं/हम

(a) बिड के फॉर्म में बताई गई बिड वैलिडिटी के समय के दौरान, निविदा से मेरी/हमारी बिड को वापस ले लिया/बदल दिया/बदल दिया, खराब कर दिया या कम कर दिया ; या

(b) बोली वैधता की अवधि के दौरान खरीदार द्वारा हमारी बोली को स्वीकार किए जाने की सूचना मिलने के बाद (i) यदि आवश्यक हो तो अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहें या उसका पुन: उपयोग करें, या (ii) बोलीदाताओं के लिए निर्देशों के अनुसार, परफ़ोर्मेंस सिक्युरिटी प्रदान करने में विफल रहें या मना कर दें।

मैं/हम समझते हैं कि अगर मैं/हम सफल बिडर नहीं हैं, तो यह बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन वैध नहीं रहेगा, इनमें से जो भी पहले हो, उस दिन (i) सफल बिडर के नाम का आपका नोटिफिकेशन मिलने पर; या (ii) मेरी/हमारी बिड की वैलिडिटी खत्म होने के तीस दिन बाद।

हस्ताक्षर किया हुआ: (उस व्यक्ति के हस्ताक्षर डालें जिसका नाम और कैपेसिटी दिखाई गई है) की कैपेसिटी में (बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की लीगल कैपेसिटी डालें)।

नाम: (बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम डालें)

ओर से बिड पर हस्ताक्षर करने के लिए सही तरीके से ऑथराइज़्ड : (बिडर का पूरा नाम डालें)

तारीख _____ तारीख _____ _(हस्ताक्षर करने की तारीख डालें)

कॉर्पोरेट सील (जहाँ उपयुक्त हो)

(नोट: जॉइंट वेंचर के मामले में, बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन, बिड सबमिट करने वाले जॉइंट वेंचर के सभी पार्टनर्स के नाम पर होना चाहिए)

अनुलग्नक–5जी

प्रदर्शन विवरण प्रपत्र

(सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 5.1.2 (ix)(ई) का संदर्भ लें)

(पिछले 3 सालों के लिए)

फर्म का नाम.....

आदेश खरीदार का पूरा पता) द्वारा रखा गया	ऑर्डर नंबर और तारीख	उपकरण का विवरण और मात्रा	आदेश का मूल्य	सुपुर्दगी पूरी होने की तारीख अनुबंध	सुपुर्दगी के वास्तविक समापन की तिथि	देरी से सुपुर्दगी के कारणों को बताने वाली टिप्पणियाँ, अगर कोई हों	क्या उपकरण ठीक से इंस्टॉल किया गया है? (खरीदार/कंसाइनी से प्रमाणपत्र अटैच करें)	संपर्क व्यक्ति का टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और मेल पता

निर्माता/बोलीदाता के हस्ताक्षर व मुहर .....

जगह :

तारीख :

अनुलग्नक–5एच

विचलन विवरण प्रपत्र

(सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 5.1.2 (ix)(एफ) का संदर्भ लें

क्रम संख्या .	निविदा इन्क्वायरी के स्पेसिफिकेशन्स / पार्ट्स / एक्सेसरीज़ का नाम	कोट मॉडल / पार्ट / एक्सेसरी के स्पेसिफिकेशन	अनुपालन हाँ या नहीं	अगर कोई डेविएशन है, तो उसे साफ़ शब्दों में बताया जाना चाहिए (कम्प्लायंस / डेविएशन के साथ संबंधित टेक्निकल लिटरेचर होना चाहिए)	अगर कोई बदलाव है, तो उसके लिए टेक्निकल वजह बताएं। अगर स्पेसिफिकेशन पूछताछ में पूछे गए स्पेसिफिकेशन से बेहतर/कमतर है, तो इसे वजह बताते समय साफ़-साफ़ बताना चाहिए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

- ✓ अगर बिडर एक से ज़्यादा मॉडल ऑफ़र करता है, तो हर मॉडल के लिए कम्प्लायंस स्टेटमेंट अलग से अटैच करना होगा।
- ✓ टेक्निकल और कमर्शियल डेविएशन को अलग-अलग बताया जाना चाहिए।
- ✓ अगर बिडर कम्प्लायंस स्टेटमेंट नहीं लगाता है, तो उसकी बिड रिजेक्ट हो सकती है।

जगह:
तारीख:

हस्ताक्षर और मुहर
निर्माता/बोलीदाता

टिप्पणी:

1) जहां कोई विचलन नहीं है, बयान को "कोई विचलन नहीं" दर्शाते हुए एक पृष्ठांकन के साथ विधिवत हस्ताक्षरित करके वापस किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक–5आई

सेवा समर्थन प्रपत्र

सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 5.1.2 (ix)(g) का संदर्भ लें)

क्रम संख्या	प्रशिक्षण की प्रकृति प्रदान किया	समान प्रकार की सूची में सर्विस किए गए उपकरण पिछले 3 वर्षों	पता, टेलीफोन संख्या, फैक्स संख्या और मेल पता

निर्माता/बोलीदाता के हस्ताक्षर व मुहर.....

जगह :

तारीख :

अनुलग्नक–5जे

बोली प्रपत्र

सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 5.1.2 (ix)(h) का संदर्भ लें)

[बोली लगाने वाले को यह फ़ॉर्म बताए गए निर्देशों के अनुसार भरना होगा। इसके फ़ॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा और कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।]

तारीख: *[बिड सबमिशन की तारीख (दिन, महीना और साल) डालें]*

निविदा नंबर: *[बोली के लिए इनविटेशन से नंबर डालें]*

बिड नंबर के लिए इनविटेशन: *[IFB का नंबर डालें]*

प्रति: *[खरीदार का पूरा नाम डालें]*

हम, नीचे हस्ताक्षर करने वाले, यह घोषणा करते हैं कि:

(a) हमने बोली दस्तावेजों की जांच की है और इसमें परिशिष्ट संख्या भी शामिल है: *[प्रत्येक परिशिष्ट की संख्या और जारी करने की तारीख डालें]*

(b) हम बोली दस्तावेजों के अनुरूप और आवश्यकताओं की अनुसूची में निर्दिष्ट सुपुर्दगी कार्यक्रमों के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं और संबंधित सेवाओं की आपूर्ति करने की पेशकश करते हैं *[वस्तुओं और संबंधित सेवाओं का संक्षिप्त विवरण डालें];*

(c) हमारी बोली का कुल मूल्य, नीचे मद (डी) में दी गई किसी भी छूट को छोड़कर, है: *[विभिन्न राशियों और संबंधित मुद्राओं को इंगित करते हुए, शब्दों और आंकड़ों में कुल बोली मूल्य दर्ज करें];*

(d) दिए जाने वाले डिस्काउंट और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका इस प्रकार है:

डिस्काउंट: अगर हमारी बिड मान ली जाती है, तो नीचे दिए गए डिस्काउंट लागू होंगे। *[दी गई हर छूट और ज़रूरतों के शेड्यूल के उस खास आइटम के बारे में डिटेल में बताएं जिस पर वह लागू होती है।]*

(e) हमारी बोली, बोली खोलने के लिए तय तारीख से आईटीबी उप-धारा 1.17.1 में निर्दिष्ट समय अवधि के लिए वैध होगी और यह हमारे लिए बाध्यकारी रहेगी तथा उस अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार की जा सकती है;

(f) यदि हमारी बोली स्वीकार की जाती है, तो हम अनुबंध के उचित प्रदर्शन के लिए आईटीबी खंड 1.43 और जीसीसी खंड 2.13 के अनुसार परफ़ोर्मेंस सिक्युरिटी प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आईटीबी खंड 1.42 और जीसीसी खंड 2.44 के अनुसार अनुबंध की तिथि से 14 दिनों के भीतर आदेश स्वीकृति भी प्रस्तुत करेंगे;

(g) बिडिंग प्रोसेस या अनुबंध को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए कमीशन, ग्रेच्युटी या फीस दी गई हैं या दी जानी हैं: *[हर पाने वाले का पूरा नाम, उसका पूरा पता, हर कमीशन या ग्रेच्युटी देने का कारण और हर कमीशन या ग्रेच्युटी की रकम और करेंसी डालें]*

प्राप्तकर्ता का नाम	पता	कारण	राशि

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(अगर कोई भुगतान नहीं किया गया है या किया जाना है, तो "कोई नहीं" बताएं।)

(h) हम समझते हैं कि यह बिड, और आपके अवार्ड के नोटिफिकेशन में शामिल आपकी लिखित मंज़ूरी, हमारे बीच एक बाइंडिंग अनुबंध बनेगी, जब तक कि एक फॉर्मल अनुबंध तैयार और पूरा नहीं हो जाता।

(i) हम समझते हैं कि आप सबसे कम कीमत वाली बोली या आपको मिलने वाली किसी दूसरी बोली को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं हैं।

हस्ताक्षर:
[जिस व्यक्ति का नाम और क्षमता दिखाई गई है, उसके हस्ताक्षर डालें]

[बिड सबमिशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की लीगल कैपेसिटी डालें] की कैपेसिटी में

नाम: *[बिड सबमिशन फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम डालें]*

[बोली लगाने वाले का पूरा नाम डालें] के लिए और उनकी ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए सही तरीके से ऑथराइज़्ड:

तारीख _____ तारीख _____, _____ *[हस्ताक्षर करने की तारीख डालें]*

अनुलग्नक–5के

परफ़ोर्मेंस सिक्युरिटी **प्रपत्र**

सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 5.1.2 (ix)(i) और 6.1.2 (02) का संदर्भ लें)

निष्पादन सुरक्षा के लिए मॉडल बैंक गारंटी फॉर्मेट

सेवा में,

……..

जबकि …… (आपूर्तिकर्ता का नाम और पता) (जिसे इसके पश्चात "आपूर्तिकर्ता" कहा जाएगा) ने अनुबंध संख्या …….. दिनांक …… के अनुसरण में (माल और सेवाओं का विवरण) (जिसे इसके पश्चात "अनुबंध" कहा जाएगा) की आपूर्ति करने का जिम्मा लिया है।

और जबकि उक्त अनुबंध में आपके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि आपूर्तिकर्ता आपको अनुबंध के अनुसार अपने दायित्वों के अनुपालन हेतु सुरक्षा के रूप में उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए आपके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा बैंक गारंटी प्रदान करेगा;

और जबकि हम आपूर्तिकर्ता को ऐसी बैंक गारंटी देने के लिए सहमत हो गए हैं;

अब अतः हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि हम आपूर्तिकर्ता की ओर से आपके प्रति कुल …… (शब्दों और अंकों में गारंटी की राशि) तक के गारंटर और उत्तरदायी हैं, और हम आपकी पहली लिखित मांग पर, जिसमें आपूर्तिकर्ता को अनुबंध के अंतर्गत चूककर्ता घोषित किया जाएगा, आपको बिना किसी लाग-लपेट या तर्क के, पूर्वोक्त (गारंटी की राशि) की सीमा के भीतर कोई भी राशि या राशियां देने का वचन देते हैं, बिना आपको अपनी मांग या उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए आधार या कारण साबित करने या दिखाने की आवश्यकता के।

हम इस बात को माफ करते हैं कि आपको हमें डिमांड बताने से पहले आपूर्तिकर्ता से उस कर्ज़ की मांग करने की ज़रूरत नहीं है।

हम इस बात पर भी सहमत हैं कि इसके तहत किए जाने वाले अनुबंध की शर्तों या आपके और आपूर्तिकर्ता के बीच किए जाने वाले किसी भी अनुबंधदस्तावेज में कोई भी बदलाव, बढ़ोतरी या कोई और बदलाव हमें इस गारंटी के तहत किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी से आज़ाद नहीं करेगा और हम ऐसे किसी भी बदलाव, बढ़ोतरी या बदलाव की सूचना देने से मना करते हैं।

…… दिन ……., 20…… तक वैध रहेगी ।

(बैंक के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

……

अधिकारी का नाम और पदनाम

……

बैंक की जारीकर्ता शाखा की मुहर, नाम और पता

नोट: जब भी बोली लगाने वाला बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन सुरक्षा जमा करना चाहे, तो उसे बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंकर को तुरंत रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी) से गारंटी की बिना स्टाम्प वाली डुप्लीकेट कॉपी सीधे खरीदार को भेजने की सलाह देनी चाहिए, साथ में एक कवरिंग लेटर भी होना चाहिए ताकि वह असली होने, वगैरह के लिए ओरिजिनल बीजी से उसकी तुलना कर सके।

अनुलग्नक–5एल

स्वीकृति प्रमाणपत्र प्रपत्र

(सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 5.1.2 (ix) (j) का संदर्भ लें)

सं._____ दिनांक: _____

M/s _____

_____

_____

विषय: उपकरण के कमीशनिंग का प्रमाणपत्र

---

01. यह सर्टिफ़ाई किया जाता है कि नीचे दी गई जानकारी के अनुसार उपकरण सभी स्टैंडर्ड और स्पेशल एक्सेसरीज़ के साथ अच्छी कंडीशन में मिला है/मिले हैं (पैरा 2 में बताई गई बातों के अनुसार)। इसे इंस्टॉल और चालू कर दिया गया है।

(ए) अनुबंध संख्या _____ दिनांक _____

(ख) उपकरण का विवरण_____

(ग) प्राप्तकर्ता का नाम _____

(घ) प्रयोगशाला/ संस्थानों को माल की सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि ._ ___

(ई) प्रयोगशाला/संस्थानों द्वारा माल की प्राप्ति की वास्तविक तिथि _____

(च) स्थापना/कमीशनिंग के पूरा होने की निर्धारित तिथि _____

(छ) प्रशिक्षण प्रारंभ तिथि_____

(ज) प्रशिक्षण समापन तिथि_____

(i) प्रशिक्षित लोगों के नाम_____

(जे) स्थापना/कमीशनिंग के पूरा होने की वास्तविक तिथि _____

(k) देरी से सुपुर्दगी के लिए जुर्माना (लैब/ संस्थान स्तर पर) ₹ _____

(एल) देरी से स्थापना के लिए जुर्माना (प्रयोगशाला/ संस्थान स्तर पर ₹ _____

अभी तक सप्लाई नहीं किए गए एक्सेसरीज़/आइटम्स की डिटेल्स और उस अकाउंट पर की जाने वाली रिकवरी:

क्रम सं.	विवरण	वसूल की जाने वाली राशि

02. एक्सेप्टेंस टेस्ट हमारी पूरी संतुष्टि के हिसाब से किया गया है। आपूर्तिकर्ता ने अपने अनुबंध की शर्तों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया है।

या

आपूर्तिकर्ता नीचे दी गई बातों के बारे में अपनी अनुबंध की शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहा है :

(ए)……

(बी) ……..

(सी)……

(डी)……...

आपूर्तिकर्ता के अपने अनुबंध की शर्तों को पूरा न कर पाने की वजह से रिकवरी की रकम क्रम संख्या 3 में बताई गई है।

आपूर्तिकर्ता के लिए

हस्ताक्षर ……..

नाम ……..

पदनाम ……..…..

फर्म का नाम ……

दिनांक ……

क्रेता के लिए

हस्ताक्षर…… …..

नाम……...

पदनाम……

लैब/ संस्थान का नाम …….

दिनांक……

अनुलग्नक–5एम

<u>इंटीग्रिटी पैक्ट का प्रारूप</u>

<u>(सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 5.1.2 (ix) (k) का संदर्भ लें)</u>

<u>अखंडता समझौता</u>

बीच में

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) भारतीय सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक, सीएसआईआर- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी – 333031 (राजस्थान) द्वारा किया जाता है, जिसे आगे "प्रिंसिपल" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

और .....को यहां "बोलीदाता/ठेकेदार" कहा गया है।

प्रस्तावना

प्रिंसिपल, तय ऑर्गनाइज़ेशनल प्रोसीजर के तहत, **..... के लिए अनुबंध देना चाहता है।** प्रिंसिपल देश के सभी ज़रूरी कानूनों, नियमों, रेगुलेशन, रिसोर्स के सही इस्तेमाल और अपने बिडर(स) और/या कॉन्ट्रैक्टर(स) के साथ अपने रिश्तों में फेयरनेस/ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह मानने को महत्व देता है।

इन लक्ष्यों को पाने के लिए, प्रिंसिपल ने एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर (आईईएम) नियुक्त किया है , जो निविदा प्रोसेस और ऊपर बताए गए सिद्धांतों के पालन के लिए अनुबंध के एग्ज़िक्यूशन पर नज़र रखेगा।

धारा 1 – प्रिंसिपल की प्रतिबद्धताएँ

(1) प्रधानाचार्य भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने तथा निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है:

(a) प्रिंसिपल का कोई भी कर्मचारी, खुद या परिवार के सदस्यों के ज़रिए, किसी अनुबंध के निविदा या उसे पूरा करने के सिलसिले में, खुद या किसी तीसरे व्यक्ति से कोई ऐसा मटीरियल या इंमैटेरियल फ़ायदा नहीं मांगेगा, वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा, जिसका वह व्यक्ति कानूनी तौर पर हक़दार नहीं है।

(b) प्रिंसिपल, निविदा प्रोसेस के दौरान सभी बिडर के साथ बराबरी और समझदारी से पेश आएगा। प्रिंसिपल खास तौर पर, निविदा प्रोसेस से पहले और उसके दौरान, सभी बिडर को एक जैसी जानकारी देगा और किसी भी बिडर को कोई कॉन्फिडेंशियल/एक्स्ट्रा जानकारी नहीं देगा जिससे बिडर को निविदा प्रोसेस या अनुबंध पूरा करने के मामले में कोई फायदा हो सके।

(c) प्रिंसिपल इस प्रोसेस से उन सभी जाने-पहचाने लोगों को बाहर कर देगा जिन्हें पहले से भेदभाव का सामना करना पड़ा है।

(2) यदि प्रिंसिपल को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत एक आपराधिक अपराध है, या इस संबंध में कोई ठोस संदेह है, तो प्रिंसिपल मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

धारा 2 – बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) की प्रतिबद्धताएँ

(1) बिडर/कॉन्ट्रैक्टर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने के लिए खुद को कमिट करते हैं। वे निविदा प्रोसेस में हिस्सा लेने और अनुबंध पूरा करने के दौरान नीचे दिए गए नियमों का पालन करने के लिए खुद को कमिट करते हैं।

(a) बिडर/कॉन्ट्रैक्टर, सीधे या किसी दूसरे व्यक्ति या फर्म के ज़रिए, निविदा प्रोसेस या अनुबंध के एग्ज़िक्यूशन में शामिल प्रिंसिपल के किसी भी कर्मचारी या किसी तीसरे व्यक्ति को, निविदा प्रोसेस या अनुबंध के एग्ज़िक्यूशन के दौरान किसी भी

तरह का फ़ायदा पाने के लिए, बदले में कोई भी मटीरियल या दूसरा फ़ायदा ऑफ़र, वादा या नहीं देंगे, जिसका वह कानूनी तौर पर हक़दार नहीं है।

(b) बिडर/कॉन्ट्रैक्टर दूसरे बिडर के साथ कोई भी बिना बताए एग्रीमेंट या समझ नहीं करेंगे, चाहे वह फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। यह खास तौर पर कीमतों, स्पेसिफिकेशन्स, सर्टिफिकेशन्स, सब्सिडियरी कॉन्ट्रैक्ट्स, बिड्स जमा करने या न करने या बिडिंग प्रोसेस में कॉम्पिटिशन को रोकने या कार्टेलाइजेशन शुरू करने के लिए किसी भी दूसरे काम पर लागू होता है।

(c) बिडर/कॉन्ट्रैक्टर संबंधित IPC/PC एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे; इसके अलावा, बिडर/कॉन्ट्रैक्टर कॉम्पिटिशन या निजी फायदे के लिए प्रिंसिपल द्वारा बिज़नेस रिलेशनशिप के हिस्से के तौर पर दी गई किसी भी जानकारी या दस्तावेज का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, या दूसरों को नहीं देंगे, जिसमें प्लान, टेक्निकल प्रपोज़ल और बिज़नेस डिटेल्स शामिल हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई या भेजी गई जानकारी भी शामिल है।

(d) विदेशी मूल के बिडर/कॉन्ट्रैक्टर को भारत में अपने एजेंट/रिप्रेजेंटेटिव का नाम और पता बताना होगा, अगर कोई हो। इसी तरह, भारतीय नागरिकता वाले बिडर/कॉन्ट्रैक्टर को विदेशी प्रिंसिपल का नाम और पता बताना होगा, अगर कोई हो। "विदेशी आपूर्तिकर्ता के भारतीय एजेंट पर गाइडलाइन" में बताई गई आगे की जानकारी बिडर/कॉन्ट्रैक्टर को देनी होगी। इसके अलावा, भारतीय एजेंट/रिप्रेजेंटेटिव को किए गए सभी भुगतान सिर्फ़ भारतीय रुपये में होने चाहिए।

(e) बिडर/कॉन्ट्रैक्टर अपनी बिड पेश करते समय, अनुबंध देने के संबंध में एजेंट, ब्रोकर या किसी दूसरे बिचौलिए को किए गए सभी भुगतान के बारे में बताएंगे, या करने का इरादा रखते हैं।

(f) बोली लगाने वालों को किसी दूसरी कंपनी के साथ हुई किसी भी गड़बड़ी के बारे में बताना होगा, जो एंटी-करप्शन प्रिंसिपल पर असर डाल सकती है।

(2) बोलीदाता/ठेकेदार किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर बताए गए अपराध करने के लिए नहीं उकसाएंगे या ऐसे अपराधों में सहायक नहीं बनेंगे।

(3) आईपी पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति आईईएम के समक्ष मामलों का प्रतिनिधित्व करते समय न्यायालयों का दरवाजा नहीं खटखटाएगा और वह मामले में उनके निर्णय की प्रतीक्षा करेगा।

धारा 3 – निविदा प्रोसेस से डिसक्वालिफ़िकेशन और भविष्य के अनुबंध से बाहर करना

(1) अगर बोली लगाने वाले/ठेकेदार ने, अवॉर्ड देने से पहले या काम पूरा होने के दौरान, ऊपर बताई गई धारा 2 का उल्लंघन करके या किसी और तरह से कोई गलती की है, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, तो प्रिंसिपल बोली लगाने वाले/ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने या सीएसआईआर मैनुअल ऑन प्रोक्योरमेंट 2019 के अनुसार कार्रवाई करने का हकदार होगा।https://www.सीएसआईआर.res.in/sites/default/files/Store%20data%20-English.pdf

(2) सत्यनिष्ठा समझौते का किसी भी तरह का उल्लंघन बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और भविष्य के व्यापारिक सौदों से बाहर कर दिया जाएगा, यह जीएफआर, 2017, पीसी अधिनियम, 1988 और अन्य वित्तीय नियमों / दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अधीन है।

धारा 4 – क्षति के लिए प्रतिपूर्ति

(1) यदि प्रिंसिपल ने धारा 3 के अनुसार अवार्ड से पहले बोलीदाता (ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है, तो प्रिंसिपल अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सीएसआईआर-सीरी के साथ किसी भी अनुबंध की बोली लगाने के लिए बोलीदाता को अयोग्य घोषित करने का हकदार है।

(2) यदि प्रिंसिपल ने धारा 3 के अनुसार अनुबंध को समाप्त कर दिया है, या यदि प्रिंसिपल धारा 3 के अनुसार अनुबंध को समाप्त करने का हकदार है, तो प्रिंसिपल ठेकेदार से अनुबंध मूल्य के बराबर क्षतिपूर्ति या प्रदर्शन बैंक गारंटी के बराबर राशि की मांग करने तथा उसे वसूलने का हकदार होगा।

धारा 5 – पिछला अपराध

(1) बोलीदाता यह घोषणा करता है कि पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण का पालन करने वाले किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी या भारत में किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जो निविदा प्रक्रिया से उसके बहिष्कार को उचित ठहरा सके।

(2) यदि बोलीदाता द्वारा इस विषय पर गलत बयान दिया जाता है तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है अथवा "व्यावसायिक व्यवहारों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशा-निर्देश" में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 6 – सभी बोलीदाताओं / ठेकेदारों / उप-ठेकेदारों के साथ समान व्यवहार

(1) बोलीदाता/ठेकेदार यह वचन लेंगे कि वे सभी उपठेकेदारों से इस सत्यनिष्ठा समझौते के अनुरूप प्रतिबद्धता की मांग करेंगे तथा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे प्रधान को प्रस्तुत करेंगे।

(2) प्रिंसिपल सभी बोलीदाताओं, ठेकेदारों और उपठेकेदारों के साथ समान शर्तों के साथ समझौते में प्रवेश करेगा।

(3) प्रिंसिपल उन सभी बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

धारा 7 – उल्लंघन करने वाले बोलीदाताओं / ठेकेदारों / उपठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक आरोप

(1) यदि प्रिंसिपल को किसी बोलीकर्ता, ठेकेदार या उपठेकेदार अथवा उसके किसी कर्मचारी अथवा प्रतिनिधि या सहयोगी के आचरण के बारे में जानकारी मिलती है, जो भ्रष्टाचार दर्शाता है, या यदि प्रिंसिपल को इस संबंध में ठोस संदेह है, तो प्रिंसिपल इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को देगा।

धारा 8 - इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स

(1) प्रिंसिपल इस पैक्ट के लिए एक काबिल और भरोसेमंद इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर नियुक्त करता है। मॉनिटर का काम इंडिपेंडेंटली और ऑब्जेक्टिवली यह रिव्यू करना है कि क्या और किस हद तक पार्टियां इस एग्रीमेंट के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करती हैं।

(2) मॉनिटर पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं है और अपना काम निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करता है। वह JS (A), सीएसआईआर को रिपोर्ट करता है।

(3) बिडर/कॉन्ट्रैक्टर यह मानते हैं कि मॉनिटर को प्रिंसिपल के सभी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन को बिना किसी रोक-टोक के एक्सेस करने का अधिकार है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिए गए दस्तावेज भी शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्टर मॉनिटर को, उसके अनुरोध और सही दिलचस्पी दिखाने पर, अपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन तक बिना रोक-टोक और बिना किसी शर्त के एक्सेस देगा। यही बात सब-कॉन्ट्रैक्टर पर भी लागू होती है। मॉनिटर की यह अनुबंध की ज़िम्मेदारी है कि वह बिडर/कॉन्ट्रैक्टर/सब-कॉन्ट्रैक्टर की जानकारी और दस्तावेज को गोपनीय रखे।

(4) प्रिंसिपल, प्रोजेक्ट से जुड़ी पार्टियों के बीच हुई सभी मीटिंग्स के बारे में मॉनिटर को पूरी जानकारी देगा, बशर्ते ऐसी मीटिंग्स का प्रिंसिपल और कॉन्ट्रैक्टर के बीच अनुबंध के रिश्तों पर असर पड़ सकता हो। पार्टियां मॉनिटर को ऐसी मीटिंग्स में हिस्सा लेने का ऑप्शन देती हैं।

(5) जैसे ही मॉनिटर को इस एग्रीमेंट का उल्लंघन नोटिस होता है, या उसे लगता है कि नोटिस किया गया है, तो वह प्रिंसिपल के मैनेजमेंट को इसकी जानकारी देगा और मैनेजमेंट से इसे बंद करने या सुधार के लिए कार्रवाई करने, या कोई और ज़रूरी कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। मॉनिटर इस बारे में नॉन-बाइंडिंग सुझाव दे सकता है। इसके अलावा, मॉनिटर को पार्टियों से यह मांग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे किसी खास तरीके से काम करें, कार्रवाई से बचें या कार्रवाई को बर्दाश्त करें।

(6) आईईएमs उन्हें मिली सभी शिकायतों की जांच करेंगे और जल्द से जल्द जेएस (एडमिन), सीएसआईआर को अपनी सिफारिशें/राय देंगे। अगर किसी गंभीर गड़बड़ी का शक हो, जिसके लिए कानूनी/प्रशासनिक कार्रवाई की ज़रूरत हो, तो वे अपनी रिपोर्ट सीधे सीवीओ को भी भेज सकते हैं। सिर्फ़ बहुत गंभीर मामले में, जिसमें कोई खास, वेरिफ़ाई किया जा सकने वाला विजिलेंस एंगल हो, मामले की रिपोर्ट सीधे सीवीओ को की जानी चाहिए। आईईएमs से उम्मीद की जाती है कि वे शिकायतों पर 30 दिनों के अंदर अपनी सलाह देंगे।

(7) मॉनिटर सीएसआईआर के स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान की जाने वाली समान शर्तों पर पारिश्रमिक का हकदार होगा।

(8) यदि मॉनिटर ने संयुक्त सचिव (ए), सीएसआईआर को प्रासंगिक आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत अपराध का प्रमाणित संदेह होने की सूचना दी है, और संयुक्त सचिव (ए), सीएसआईआर ने उचित समय के भीतर ऐसे अपराध के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्पष्ट कार्रवाई नहीं की है या इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को नहीं दी है, तो मॉनिटर यह सूचना सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी प्रेषित कर सकता है।

(9) 'मॉनीटर' शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

(10) आईईएम को प्रोसेस की ईमानदारी की जांच करनी चाहिए, उनसे अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करने की चिंता करने की उम्मीद नहीं की जाती है। संगठन के किसी भी अधिकारी की तरफ से गलत इरादे की शिकायतों को संबंधित संगठन के सीवीओ द्वारा देखा जाना चाहिए।

(11) वारंटी/गारंटी जैसे मुद्दे आईईएम के क्षेत्राधिकार से बाहर होने चाहिए।

धारा 9 – पैक्टअवधि

यह पैक्ट तब शुरू होता है जब दोनों पार्टी कानूनी तौर पर इस पर हस्ताक्षर कर देती हैं। कॉन्ट्रैक्टर के लिए यह अनुबंध के तहत आखिरी भुगतान के 10 महीने बाद और बाकी सभी बिडर्स के लिए अनुबंध मिलने के 6 महीने बाद खत्म हो जाता है।

अगर इस दौरान कोई दावा किया जाता है, तो वह मान्य होगा और ऊपर बताए गए इस पैक्ट के खत्म होने के बावजूद वैध रहेगा, जब तक कि जेएस (एडमिन), सीएसआईआर इसे खत्म/तय न कर दे।

धारा 10 – अन्य प्रावधान

(1) यह एग्रीमेंट भारतीय कानून के अधीन है। निष्पादन की जगह और अधिकार क्षेत्र प्रिंसिपल का रजिस्टर्ड ऑफ़िस, यानी नई दिल्ली है।

(2) परिवर्तन और अनुपूरक के साथ-साथ समाप्ति नोटिस लिखित रूप में किए जाने की आवश्यकता है। साइड एग्रीमेंट नहीं किए गए हैं।

(3) यदि ठेकेदार एक साझेदारी या संघ है, तो इस समझौते पर सभी भागीदारों या संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(4) अगर इस एग्रीमेंट का एक या कई प्रोविज़न अमान्य हो जाते हैं, तो भी इस एग्रीमेंट का बाकी हिस्सा वैध रहेगा। ऐसे में,

पार्टीज़ अपने ओरिजिनल इरादों पर एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगी।

_____ _____

(प्रिंसिपल के लिए और उनकी ओर से) (बोली लगाने वाले/कॉन्ट्रैक्टर के लिए और उनकी ओर से)
(कार्यालय सील) (कार्यालय सील)

स्थान..... स्थान.....
दिनांक..... दिनांक.....

गवाह 1:(नाम और पता): _____

गवाह 2::(नाम और पता): _____

अनुलग्नक–5एन

बिड ओपनिंग में भाग लेने के लिए लेटर ऑफ़ अथॉरिटी का फ़ॉर्मैट

(बोली लगाने वाले के लेटर हेड पर)

सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 5.1.2 (ix)(l) और 5.3.2 देखें)

संदर्भ क्रमांक ._____ दिनांक:_ _____

विषय: बिड खोलने की प्रक्रिया में भाग लेने वालों के लिए प्राधिकार पत्र

सेवा में,

_____

_____

(खरीदार का नाम और पता)

महोदय

आपके बिड नंबर _____ के इनविटेशन के बारे में, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया है और रेफरेंस नंबर _____ तारीख _____ के साथ बिड सबमिट की है।

आपकी ज़रूरत के हिसाब से, हम आपको मंज़ूरी देते हैं श्री /श्रीमती_____ को _____ को _____ बजे (आईएसटी) आपके घर पर बिड खोलने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है । प्रतिनिधि की पहचान की एक कॉपी, जिसे नीचे हस्ताक्षर करने वाले ने सर्टिफ़ाई किया हो, साथ में अटैच है।

धन्यवाद

आपका विश्वासी,

(बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर और मुहर)

अनुलग्नक–5ओ

बिडर द्वारा कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट के लिए घोषणा का फ़ॉर्मैट

(सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 3.2.1 और 5.1.2 (ix)(m) का संदर्भ लें)

(बोली लगाने वाले के पत्रशीर्ष पर)

संदर्भ संख्या : _____ **दिनांक** _____

सेवा में,

_____

_____

(खरीदार का नाम और पता)

महोदय,

आपके निविदा नंबर _____ तारीख _____ _ के संदर्भ में, मैं /हम यह घोषणा करते हैं कि हम आपके निविदादस्तावेज के आईटीबी के पैरा 1.3.0 में बताए गए लोक प्रापण के लिए कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी का पालन करेंगे और हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट नहीं होगा।

पिछले तीन सालों में किसी भी देश में किसी भी एंटिटी के साथ कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी का कोई भी पिछला उल्लंघन या किसी दूसरी प्रोक्योरिंग एंटिटी द्वारा डिबार किए जाने का डिटेल्स नीचे दिया गया है:

क

ख

ग

हम यह वादा करते हैं कि इस कोड का उल्लंघन करने पर हम किसी भी सज़ा के लिए ज़िम्मेदार होंगे।

धन्यवाद,

सादर,

हस्ताक्षर

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

कंपनी की मुहर

अनुलग्नक–5पी

विदेश से आने वाले सामान के लिए मूल्य शेड्यूल फॉर्म

(सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 5.1.4 (02)(एल) का संदर्भ लें)

बोलीदाता का नाम _____ निविदा संख्या _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्रम संख्या	आइटम विवरण	उद्गम देश	इकाई	मात्रा	यूनिट मूल्य मुद्रा का संकेत शिपमेंट का नामित पोर्ट या एफसीए (सुपुर्दगी का नामित स्थान) ***(केवल एक को रखें)***	कुल कीमत (5x6) एफओबी (शिपमेंट का नामित पोर्ट) या एफसीए (सुपुर्दगी का नामित स्थान) ***(केवल एक को रखें)***	के लिए शुल्क बीमा और पोर्ट/डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्टेशन	कुल कीमत ***सीआईएफ/सीआईपी (केवल एक को रखें)*** (7+8)	एफओबी/एफसीए कीमत के प्रतिशत के रूप में इंडियन एजेंट्स कमीशन, कोट की गई कीमत में शामिल है।	लगभग शिपमेंट वजन और आयतन	भारतीय रीति-रिवाज टैरिफ नंबर और 5 एचएसएन नंबर. (आईसीटी और एचएसएन नं.)

टिप्पणी:

करेंसी _____

विदेशी करेंसी में टोटल बिड मूल्य _____

शब्दों में _____

(ए) भारतीय एजेंट का नाम और पता _____

बोलीदाता के हस्ताक्षर _____

(बी) स्थापना, कमीशनिंग और प्रशिक्षण शुल्क,
यदि कोई _____

नाम _____

(ग) स्पेयर पार्ट्स की कीमत, यदि कोई हो _ _____

व्यावसायिक पता _____

(d) भारतीय एजेंट का कमीशन सिर्फ़ भारतीय रुपये में दिया जाएगा, जो जीसीसी के क्लॉज़ 22.1 के अनुसार दस्तावेज पर बातचीत की तारीख को लागू एक्सचेंज रेट पर आधारित होगा।

(ई) वैकल्पिक वस्तुओं की लागत अलग से बताई जाएगी।

अनुलग्नक–5क्यू

भारत से आने वाले सामान के लिए मूल्य शेड्यूल फॉर्म

(सीएसआईआर मैनुअल के पैरा 5.1.4(02)(एल) का संदर्भ लें)

बोली लगाने वाले का नाम _____ **निविदा संख्या _____**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्रम संख्या	आइटम विवरण 5 एचएसएन कोड के साथ	उद्गम देश	इकाई	मात्रा	यूनिट दर एक्स-वर्क्स, एक्स-वेयरहाउस, एक्स-शो रूम ऑफ द शेल्फ मूल्य (पहले से चुकाए गए सभी टैक्स मिलाकर)	कुल कीमत एक्स-वर्क्स, एक्स-वेयर-हाउस, एक्स-शो रूम ऑफ द शेल्फ मूल्य (पहले से चुकाए गए सभी टैक्स मिलाकर) 5x6	अगर अनुबंध दिया जाता है, तो जीएसटी और दूसरे टैक्स देने होंगे।	पैकिंग और डिस्पैच स्टेशन तक फॉरवर्डिंग, यदि कोई	इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, लैब / संस्थान तक बीमा के लिए चार्ज। ***हवाई/सड़क से। रेल (केवल एक को रखें)***	कुल कीमत	स्थापना, कमीशनिंग और प्रशिक्षण चार्ज, अगर कोई हो

टिप्पणी:

(क) वैकल्पिक वस्तुओं की लागत, यदि कोई हो, अलग से दर्शाई जाएगी

(ख) पुर्जों की लागत, यदि कोई हो

भारतीय मुद्रा में कुल बोली मूल्य_____

शब्दों में_____

बोलीदाता के हस्ताक्षर _____

नाम _____

व्यवसाय का पता _____

अनुलग्नक–5आर

बीडओपनिंग अटेंडेंस शीट कम रिपोर्ट

(सीएसआईआर मैनुअल का पैरा 5.3.2 देखें)

_____

(लैब / संस्थान का नाम)

उपस्थिति लेखा						
क्रमांक	बिडर का नाम	बिडर का पता	बिडर का प्राधिकार एवं दिनांक द्वारा प्रस्तुत		संपर्क संख्या	प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

बिड ओपनिंग रिपोर्ट						
निविदा संख्या			शीर्षक		ओपनिंग की तारीख	
प्रस्ताव सं.	बिडर का नाम	बोली लगाने वाले का संदर्भ और तिथि	अपेक्षित ईएमडी की प्रस्तुति (हाँ/नहीं)	अनिवार्य दस्तावेजों की प्रस्तुति (हाँ/नहीं)	कोट किया गया दर कर /ड्यूटी	प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
--/---						
--/--						
--/--						

नियमित भुगतान करने वालों की कुल संख्या को निविदा बॉक्स से बाहर नहीं निकाला जा सकता है ताकि ऊपर दिए गए किसी भी टिप्पणी का पालन किया जा सके।

..... (आंकड़े और शब्दों में)

हस्ताक्षर, दिनांक और समय निविदा खोलने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम	हस्ताक्षर, दिनांक और समय निविदा खोलने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम	हस्ताक्षर, दिनांक और समय निविदा खोलने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम

कुल प्राप्त नियमित निविदाएं ..... (आंकड़ों / शब्दों में) ऊपर के अनुसार

हस्ताक्षर, दिनांक और समय अनुभाग अधिकारी का नाम और पद	

ध्यातव्य: इस दस्तावेज़ के हिंदी तथा अंग्रेज़ी पाठ में किसी प्रकार की विसंगति , विरोधाभास अथवा व्याख्या संबंधी विवाद की स्थिति में अंग्रेज़ी पाठ ही प्रामाणिक एवं मान्य होगा।"